

**Seventeenth Lok Sabha
V Session
(29/01/2021 to 25/03/2021)**

लोक सभा

**समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021/09 माघ, 1942 (शक)

संख्या 91

अपराह्न 12.52 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. महासचिव (श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव) की पदमुक्ति और सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि लोक सभा की महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवम्बर, 2020 से लोक सभा के महासचिव पद से मुक्त हो गई हैं।

अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव की सेवाओं को देखते हुए उन्होंने उन्हें सभा की मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

3. लोक सभा महासचिव की नियुक्ति

अध्यक्ष ने घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव और लोक सभा सचिवालय में हाल ही तक सचिव के रूप में कार्यरत श्री उत्पल कुमार सिंह को 01.12.2020 से लोक सभा का महासचिव नियुक्त किया गया है।

अपराह्न 12.55 बजे

4. शपथ

वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री सुनील कुमार, सदस्य ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

अपराहन 12.56 बजे

5. राष्ट्रपति का अभिभाषण - सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 29 जनवरी, 2021 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराहन 12.56 बजे

6. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री सुरेश सी. अंगड़ी, वर्तमान सदस्य, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और सदस्य, चौदहवीं से सोलहवीं लोकसभा; श्री राम विलास पासवान, राज्य सभा के वर्तमान सदस्य और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और सदस्य, छठी, सातवीं, नौवीं से चौदहवीं और सोलहवीं लोकसभा; श्री रामकृष्ण बाबा पाटिल, सदस्य, बारहवीं लोक सभा; डॉ. हरी सिंह, सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा; श्री लीलाधरभाई खोड़ाजी वाघेला, सदस्य, सोलहवीं लोक सभा; डॉ. ए. कलानिधि, सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा; श्री जसवंत सिंह, सदस्य, नौवीं से ग्यारहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा; श्री राशिद मसूद, सदस्य, छठी, सातवीं, नौवीं, दसवीं और चौदहवीं लोक सभा; डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र, सदस्य, दसवीं लोक सभा; श्री सी.एम. चांग, सदस्य, पंद्रहवीं लोक सभा; श्री महेश कुमार कनोडिया, सदस्य, दसवीं से बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा; श्री अबू आयेस मण्डल, सदस्य, चौदहवीं लोक सभा; डॉ. महादीपक सिंह शाक्य, सदस्य, पांचवीं, छठी और नौवीं से बारहवीं लोकसभा; श्रीमती चंद्रावती, सदस्य, छठी लोकसभा; सरदार मोहिंदर सिंह गिल, सदस्य, पांचवीं लोकसभा; श्री तरुण गोगोई, सदस्य, पांचवीं से सातवीं, दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा; श्री अहमद एम. पटेल, सदस्य, छठी से आठवीं लोकसभा; श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य, चौदहवीं लोकसभा; श्री पृथ्वी राज, सदस्य, तीसरी लोकसभा; श्री रामलाल राही, सदस्य, छठी, सातवीं, नौवीं और दसवीं लोकसभा; श्री राधिका रंजन प्रमाणिक, सदस्य, नौवीं से तेरहवीं लोकसभा; श्री सत्य देव सिंह, सदस्य, छठी, दसवीं और ग्यारहवीं लोकसभा; श्री मोहन रावले, सदस्य, दसवीं से चौदहवीं लोकसभा; श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, बारहवीं लोक सभा; श्री मदनलाल शर्मा, सदस्य, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा; श्री जमाल ख्वाजा, सदस्य, दूसरी लोक सभा; और सरदार बूटा सिंह, सदस्य, तीसरी से पांचवीं, सातवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने सभा की ओर से उन सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों, पुलिसकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराहन 1.16 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं

अध्यक्ष ने नियम 384 के अंतर्गत बैठने की व्यवस्था के बारे में *घोषणा की।

उन्होंने सदस्य पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के ई-परिचालन के बारे में भी *घोषणा की।

अपराहन 1.17 बजे

8. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (खण्ड एक और खण्ड दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) राष्ट्रपति द्वारा 28 अक्टूबर, 2020 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 13)।
- (2) राष्ट्रपति द्वारा 4 नवम्बर, 2020 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 14)।
- (3) राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 2020 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 15)।
- (4) राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 2021 को प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 1)।

9. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित सात प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)' के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (2) 'सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल)' के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) 'भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)' के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) 'हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)' के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।
- (5) 'एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड' के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का पांचवां प्रतिवेदन।
- (6) 'भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण (2015 के निष्पादन लेखापरीक्षा संख्या 12 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का छठा प्रतिवेदन।
- (7) 'घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) का सातवां प्रतिवेदन।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019' के बारे में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 1.21 बजे

(लोक सभा सोमवार, 01 फरवरी, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 1 फरवरी, 2021/12 माघ, 1942 (शक)

संख्या 92

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. केन्द्रीय बजट - 2021-2022

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.49 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-26 के लिए प्रतिवेदन (खंड एक से चार) - पन्द्रहवां वित्त आयोग।
- (2) उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

अपराह्न 12.50 बजे

3. राजवितीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने राजवितीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (एक) मध्यम-अवधि राजवितीय नीति सह राजवितीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और
- (दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

अपराहन 12.50 बजे

4. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

वित्त विधेयक, 2021

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने केन्द्रीय बजट 2021-22 के सदस्य पोर्टल के माध्यम से ई-परिचालन के बारे में घोषणा* की।

अपराहन 12.51 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 2 फरवरी, 2021 के अपराहन 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 2 फरवरी, 2021/13 माघ, 1942 (शक)

संख्या 93

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 4.05 बजे स्थगित हुई तथा
अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 5.00 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 2-20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1-201 और 203-230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 5.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा [&]घोषणा

अध्यक्ष ने घोषणा की कि संसदीय कार्य मंत्री ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के कारण संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को सभी मंत्रियों की ओर से पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति देने का निवेदन किया है और उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

[&] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) परिनियम, 2019 जो 27 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) केंद्रीय भण्डारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 559(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित पिरदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) प्रतिरूप नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती का तरीका, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020, जो 23 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सा.का.नि. 488 (अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 23 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (नौ) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/सीसीपीआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/एमआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (कार्य का आवंटन और संचालन) विनियम, 2020, जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 1-1/2020-सीसीपीए में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-

- 105/एसीआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 (2005 का संख्यांक 2) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 3/132/एफडी/डीएमएन/2020/ई-156562 जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत यथाविहित कर दर को बहाल किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ. 3423 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्टूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।
- (तीन) अधिसूचना सं. 230/1/20/2020-डब्ल्यूएस-तीन जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के आरंभ होने की तारीख से डा. जयंतकुमार मगनलाल व्यास की राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।
- (3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ. 3422 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्टूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।
- (तीन) अधिसूचना सं. 23011/93/2020-बीपीआरएण्डडी जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से डा. बिमल पटेल को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(चार) अधिसूचना सं. 23011/98/2020-बीपीआरएण्डडी जो 4 दिसम्बर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के उसमें उल्लिखित शासी निकाय की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) पंजाब एगो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) पंजाब एगो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) महाराष्ट्र एगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) महाराष्ट्र एगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2582 (अ), जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में नए कीटनाशक को सम्मिलित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2020 जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 953(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2020 जो 30 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1404(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2020 जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2390(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (9) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1255 (अ), जो 13 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सोसाइटी के रूप में कार्पाट के विघटन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में इसके विलय के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 2309 (अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो के पैरा 27 में "आम आदमी बीमा योजना" के स्थान पर "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" वाक्यांश शामिल करना है।
- (दो) का.आ. 2198 (अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-

एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक के पैरा 4 में "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक" के उपबंध को शामिल करना है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति -दिसम्बर, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई पर 35वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) की ओर से विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 695(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसके शुद्धिपत्र जो 11 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 17(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कवरती के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 15 सितम्बर, 2020 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020;
- (2) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020;
- (3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता)दूसरा संशोधन2020 ,विधेयक (;
- (4) मंत्रियों के संबलम और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020;
- (5) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद 2020 ,विधेयक (संशोधन);
- (6) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद 2020 ,विधेयक (संशोधन);
- (7) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020;
- (8) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020;
- (9) महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020; और
- (10) कराधान और अन्य विधि कतिपय उपबंधों में छूट देना)2020 ,विधेयक (।

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 17 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी:-

- (1) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020;
- (2) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020;
- (3) संसद सदस्य वेतन2020 ,विधेयक (संशोधन) भत्ता और पेंशन ,;
- (4) कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020;
- (5) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य 2020 ,विधेयक (संवर्धन और सरलीकरण);
- (6) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक2020 ,;
- (7) जम्मू2020 ,कश्मीर राजभाषा विधेयक-;
- (8) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020;
- (9) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020;
- (10) अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक2020 ,;
- (11) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020;
- (12) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 ,;
- (13) विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020;
- (14) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;

- (15) सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ,;
- (16) उपजीविकाजन्य सुरक्षा 2020 ,स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता ,; और
- (17) बैंककारी विनियमन 2020 ,विधेयक (संशोधन) ।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डा. सत्यपाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" के बारे में 21वां प्रतिवेदन।
- (2) "आईसीएआर के लेखाओं की जांच", "निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त न किया जाना" और "नारियल विकास बोर्ड की निधियों को अवरुद्ध करना" पर समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (3) "हल्के लड़ाकू विमान का अभिकल्प, विकास, विनिर्माण और शामिल करना" पर समिति के 114वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

7. लोक लेखा समिति के विवरण

डा. सत्यपाल सिंह ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) "माल और सेवाओं की खरीद में अनियमितताएं, अस्तित्वहीन फर्मों को कार्य सौंपना, वैट प्रतिदाय की वसूली न होना और विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) "कश्मीर रेल संपर्क" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) "सीजीएचएस में एलोपैथिक दवाओं की खरीद" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) "रेल वित्त" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (5) "भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने में मंत्रालयों द्वारा अनुपालन न करना" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (6) "अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 81वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (7) "भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबंधन" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 83वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (8) "सीमा शुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार सुविधा का कार्य-निष्पादन" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 97वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

- (9) "रत्न और आर-श्रंखला के हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 98वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (10) "भारत में आपदा के लिए तैयारी" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 102वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (11) "कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा और ईएसआईसी की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 115वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (12) "भारतीय रेल में पुलों का अनुरक्षण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 119वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (13) "तनावग्रस्त परिसंपत्तियां स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ)" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 125वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (14) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 126वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (15) "हाइड्रोकार्बन उत्पादन भागीदारी संविदाओं" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 130वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (16) "अनुदानों का अविवेकपूर्ण निर्गम" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (17) "भंडारों का प्रापण और इन्वेंट्री नियंत्रण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (18) "पथकर शुल्क के उद्ग्रहण में विलंब के कारण राजस्व हानि" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (19) "सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के प्रशासन" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (20) "निर्यात अवसंरचना विकास और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एसआईडीई) योजना" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (21) "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 68वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (22) "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 69वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (23) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2008-09) से अधिक व्यय" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 70वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (24) "कैंटीन स्टोर विभाग" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 75वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (25) "भारतीय वायु सेना में पायलटों का प्रशिक्षण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (26) "भूमि और विकास कार्यालय के कार्यकरण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 78वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

8. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) खान मंत्रालय से संबंधित "जिला खनिज फाउंडेशन तथा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन" के बारे में 47वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन।
- (2) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।
- (3) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।
- (4) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।
- (5) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।
- (6) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।
- (7) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दयानिधि मारन ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में दो सौ चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 226वां प्रतिवेदन।
- (2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में दो सौ पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 227वां प्रतिवेदन।

* ये प्रतिवेदन 21 दिसम्बर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से प्रस्तुत किए गए और उसी दिन माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अद्येक्षित किए गए।

- (3) दिल्ली में यातायात की बिगड़ती हुई स्थिति के प्रबंधन के बारे में दो सौ बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 228वां प्रतिवेदन।
- (4) कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और उससे संबंधित मुद्दों संबंधी 229वां प्रतिवेदन।

10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. महेश शर्मा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के कार्यकरण के बारे में समिति के 110वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 121वां प्रतिवेदन।
- (2) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) (मांग सं. 4) के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 122वां प्रतिवेदन।
- (3) कोविड-19 महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन संबंधी 123वां प्रतिवेदन।
- (4) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2020-21 (मांग सं. 43) के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 124वां प्रतिवेदन।

* ये प्रतिवेदन 21 नवम्बर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और 25 नवम्बर, 2020 को लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित किए गए।

11. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विष्णु दत्त शर्मा ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

- (1) *ओलम्पिक खेल, 2021 के लिए तैयारी के संबंध में तीन सौ सत्रहवां प्रतिवेदन।
- (2) *खेलो इंडिया योजना के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 311वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ अठारहवां प्रतिवेदन।
- (3) *युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन।
- (4) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 312वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ बीसवां प्रतिवेदन।
- (5) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन।
- (6) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ बाईसवां प्रतिवेदन।

12. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा 1 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* ये प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30(एक) के अंतर्गत 24 दिसम्बर, 2020 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और माननीय सभापति ने निदेश 30(दो) के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन और परिचालन के आदेश दिए। ये प्रतिवेदन उसी दिन लोक सभा सचिवालय को भी अग्रेषित किए गए।

अपराहन 5.09 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संडीला रेलवे स्टेशन से सटे समपारों पर रेल उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा पश्चिम बंगाल के झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की समस्या के समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीएमएफटी निधि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री गोपाल चिनय्या शेटी द्वारा देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा मांझी, बिहार में रेल पुल के निर्माण कार्य और छपरा-वाराणसी रेल लाइन के दोहरीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को धन की समय पर अदायगी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्री संतोष पान्डेय द्वारा मध्य प्रदेश के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर मूलभूत सड़क सुविधाओं के बारे में ।
- (8) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा ऑनलाइन गेम्स और गैम्बलिंग को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा नर्मदा जिले के गांवों को "ईको-सेंसीटीव" जोन के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा दौसा-गंगापुर रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (12) डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन तालाबों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (13) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासियों के बारे में ।
- (14) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखंड में गैर-कानूनी खनन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (15) श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री अब्दुल खालेक द्वारा कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बारे में ।
- (17) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिलों में टैक्स होलिडे एवं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (18) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने वाले सेमी हाईस्पीड रेल लाइन कोरिडोर के बारे में ।
- (19) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिज़ाची थंगापंडियन द्वारा बहुभाषी सरकारी बेबसाइट के निर्माण की आवश्यकता के बारे में ।
- (20) प्रोसौगत . राय द्वारा कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (21) श्री संजय जाधव द्वारा महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (22) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार में जहानाबाद शहर के पूर्वी छोर पर एक बाईपास रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (23) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा राज्य को लंबित सब्सिडी की राशि की अदायगी और राज्य से पारबॉइल्ड चावल उठाए जाने के बारे में ।
- (24) कुंवर दानिश अली द्वारा गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (25) डॉ. जी. रणजीत रेड्डी द्वारा तेलंगाना में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरे जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (26) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा राज्यों को जीएसटी मुआवजा राशि की अदायगी के बारे में ।
- (27) श्री सय्यद ईमत्याज जलील द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता के बारे में ।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 5.10 बजे स्थगित हुई तथा
सायं 7.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

सायं 7.00 बजे

14. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय: 10 घंटे

लिया गया समय: 07 मिनट

शेष: 9 घंटे 53 मिनट

श्रीमती लॉकेट चटर्जी निम्नलिखित प्रस्ताव पर बोलीं और उनका भाषण अपूर्ण रहा :-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2021 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। ”

सायं 7.07 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 3 फरवरी, 2021 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 3 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक)

संख्या 94

अपराहन 4.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने उचित शिष्टाचार और सभा की गरिमा बनाए रखने के बारे में टिप्पणी* की।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 4.04 बजे स्थगित हुई तथा
अपराहन 4.30 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 4.30 बजे

2. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 21 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 21 का पूरक प्रश्न पूछा गया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 4.35 बजे स्थगित हुई तथा
अपराहन 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 5.00 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 22-40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231-460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2020, जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1964(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क के खण्ड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 903(अ), जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।
 - (दो) का.आ. 904(अ), जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।
 - (तीन) का.आ. 905(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मणिपुर राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।
 - (चार) का.आ. 906(अ), जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नागालैंड राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री पीयूष गोयल) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-21 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-21 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) केंद्रीय लोक सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) केंद्रीय लोक सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नार्थ इस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नार्थ इस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (तीन) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (चार) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (पांच) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (14) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, खुर्दा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, खुर्दा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 1128(अ) जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 26 और 27 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
 - (दो) का.आ. 1231(अ) जो 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 में नीति शर्त का समावेश करने तथा लोहा और इस्पात की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
 - (तीन) का.आ. 1460(अ) जो 13 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत चांदी की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
 - (चार) का.आ. 1873(अ) जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

टायरों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

- (पांच) का.आ. 2289(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 6 के एचएस कोड 0603 के अंतर्गत कटे पुष्पों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 2352(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 84 के अंतर्गत मर्दों की आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (सात) का.आ. 2540(अ) जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 85 के एक्विजिशन कोड 8528 72 के अंतर्गत मर्दों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 2705(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29, 38 और 39 के अंतर्गत आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 4338(अ) जो 2 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 95 से नीति शर्त संख्या 2 (तीन) में संशोधन के बारे में है।
- (दस) का.आ. 4449(अ) जो 12 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.25 में संशोधन के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 4534(अ) जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत स्वर्ण और चांदी की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 06(अ) जो 1 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) की अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 113(अ) जो 8 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 15 के एक्विजिशन कोड 1511 90 के अंतर्गत मर्दों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 114(अ) जो 8 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 8 के एचएस कोड 0808 11 00 के अंतर्गत में नीति शर्त का समावेश करने तथा आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 486(अ) जो 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 48 के एचएस कोड 4810 के अंतर्गत में नीति शर्त का समावेश करने के बारे में है।

(2) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष 2017-2018 की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) कांडला स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (दो) मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी
- (तीन) नोएडा स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (चार) फाल्टा स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (पांच) शांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एसईजेड अथॉरिटी
- (छह) कोचीन स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (सात) विशाखापत्तनम स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 जो 22 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 जो 22 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) आधार (नामांकन और अपडेट) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई(13)/खंड-दो में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) सुशासन के लिए आधार सत्यापन (सामाजिक कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय बायलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 551 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) बारहवां प्रतिवेदन - स्टार्टअप इकोसिस्टम का वित्तपोषण
- (2) तेरहवां प्रतिवेदन - वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) चौदहवां प्रतिवेदन - वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) पंद्रहवां प्रतिवेदन - कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (5) सोलहवां प्रतिवेदन - योजना मंत्रालय (नीति) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (6) सत्रहवां प्रतिवेदन - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई ।
- (7) अठारहवां प्रतिवेदन - वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के सातवें

* 12वें से 23वें प्रतिवेदनों को लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 9 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और इन्हें 11 सितम्बर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा देखा गया। अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

- प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (8) उन्नीसवां प्रतिवेदन - वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
 - (9) बीसवां प्रतिवेदन - कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
 - (10) इक्कीसवां प्रतिवेदन - योजना मंत्रालय (नीति) की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
 - (11) बाईसवां प्रतिवेदन - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
 - (12) तेईसवां प्रतिवेदन - 'एनएसएसओ और सीएसओ की समीक्षा तथा परियोजना निगरानी/मूल्यांकन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित देश में सांख्यिकी संग्रहण मशीनरी को सुचारु बनाना' विषय पर 50वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
 - (13) चौबीसवां प्रतिवेदन - फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।
- (4) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।
- (5) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक

- सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।
- (6) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

7. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रामप्रीत मंडल ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन⁵ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 297वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 300वां प्रतिवेदन।
- (2) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 298वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 301वां प्रतिवेदन।
- (3) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 299वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 302वां प्रतिवेदन।
- (4) 'ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट - इसका प्रभाव तथा पुनरुद्धार के उपाय' के बारे में 303वां प्रतिवेदन।

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. रंजन सिंह राजकुमार ने "डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019" के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का 340वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

⁵ ये प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 2020 को माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और उसी दिन माननीय लोक सभा अध्यक्ष को भी अग्रेषित किए गए, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तथा माननीय सभापति ने इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राहुल कस्वां ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'जम्मू-कश्मीर में पर्यटन का विकास' के बारे में समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 280वां प्रतिवेदन।
- (2) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 276वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 281वां प्रतिवेदन।
- (3) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 282वां प्रतिवेदन।
- (4) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 279वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 283वां प्रतिवेदन।
- (5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 275वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 284वां प्रतिवेदन।
- (6) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 285वां प्रतिवेदन।
- (7) 'महापत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग' के बारे में समिति के 269वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 286वां प्रतिवेदन।

10. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:-

- (1) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-2022) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव :-

“कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव से संबंधित क्रम सं. 7 पर मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।”

- (2) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-2022) में राज्य सभा के दस सदस्यों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव :-

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में

शामिल होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से 10 सदस्य निर्वाचित करने के लिए सहमत हो और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 5.08 बजे स्थगित हुई तथा
सायं 7.01 बजे पुनः समवेत हुई।)*

सायं 7.01 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा से नई दिल्ली और बंगलूर तक सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रमणीक प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा सभी शहरों में साइकिल ट्रैक के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि का अंतरण किए जाने की विधि के बारे में ।
- (5) श्री रेबती त्रिपुरा द्वारा त्रिपुरा जनजातिय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी द्वारा महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित अनार अनुसंधान केंद्र के विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों, ताराई और दुअर में जलाभाव के बारे में ।
- (8) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल के अटिनिगल में नवाईकुलम में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के लिए नए भवन के निर्माण में बिलंब के बारे में ।
- (9) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा तमिलनाडु के मन्नारपुरम के समीप तिरुचिरापल्ली जंक्शन 4 लेन रेल उपरि पुल परियोजना के बारे में ।

- (10) श्री गौतम सिंगमणि पोन द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना में कथित तौर पर धोखाधड़ी के बारे में ।
- (11) श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. द्वारा मोरप्पुर-धर्मपुरी नई रेल लाइन को पूरा करने के लिए पहल किए जाने के बारे में ।
- (12) श्री कुरुवा गोरांतला माधव द्वारा आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अधीन लंबित रकम की स्वीकृति के बारे में ।
- (13) श्रीमती साजदा अहमद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा प्रदान करने संबंधी सुविधाओं के बारे में ।
- (14) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा नई शिक्षा नीति के बारे में ।
- (15) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी और नकदी फसलों की हानि के लिए प्रतिकर की दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम-चैन्नई मार्ग पर विस्टाडोम कोच जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा सायं 7.02 बजे स्थगित हुई तथा रात्रि 9.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

रात्रि 9.04 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 4 फरवरी, 2021 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 4 फरवरी, 2021/15 माघ, 1942 (शक)

संख्या 95

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41-43 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 4.14 बजे स्थगित हुई तथा
अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 44-60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461-690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 5.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 41 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3834(अ) जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अधिसूचना सं. एल-1/236/2018/सीईआरसी जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (दो) अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

- (तीन) अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 18 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड)(छठा संशोधन) विनियम, 2019 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व का साझाकरण) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/246/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/13/2010/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (5) उपर्युक्त (4) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरती के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरती के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) (एक) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्कों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईडब्ल्यूएआई/कार्गो/184/2009/खंड-दो में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (चार) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (पांच) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन कोष न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (छह) मुंबई पत्तन न्यास, पेंशन कोष न्यास, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह] की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्षपीठ ने सभा को सूचित किया कि केरल के मल्लपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य श्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और अध्यक्ष ने उनका त्यागपत्र 03 फरवरी, 2021 से स्वीकार कर लिया है।

5. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2020-21) (17वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।
- (2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2020-21) (17वीं लोक सभा) का पांचवां प्रतिवेदन।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राधा मोहन सिंह ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

- (1) 'पर्यटन संवर्धन और तीर्थयात्रा सर्किट' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) 'नई रेल खानपान नीति-2017' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) 'भारतीय रेल में पुलों का रखरखाव' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (17वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार सोनी ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
- (2) 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा. स्वामी साक्षीजी महाराज ने परमाणु ऊर्जा; जैव प्रौद्योगिकी; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; अंतरिक्ष; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में विभाग-संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 326वें से 332वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में क्रमशः 333वां, 334वां, 335वां, 336वां, 337वां, 338वां और 339वां प्रतिवेदन⁵ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:-

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय सौर मिशन-एक मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा

* तीसरे और चौथे प्रतिवेदन को लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 11 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और इन्हें राज्य सभा के माननीय सभापति के समक्ष उनके अवलोकनार्थ भी रखा गया। अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

⁵ ये प्रतिवेदन 30 नवम्बर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और उसी दिन माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अगेषित किए गए।

संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'भारत में ऊर्जा सुलभता-नवीनकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति और भूमिका की समीक्षा' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'लघु पनबिजली क्षेत्र का विकास और स्थिति' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2014-15)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 5.05 बजे

10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री भर्तृहरि महताब ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

11. अध्यादेश के बारे में विवरण – सभा पटल पर रखा गया

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 14) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 5.12 बजे स्थगित हुई तथा
सायं 6.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

सायं 6.00 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री सनगन्ना अमरप्पा कराडी द्वारा बेंगलुरु से कटरा तक ट्रेन सेवाओं के बारे में।
- (2) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा दिल्ली-लखनऊ-गौरखपुर-बरौनी रेल खंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस तथा राजधानी एक्सप्रेस तथा लखनऊ-गौरखपुर-वाराणसी खंड पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुलगांव और हिंगन घाट रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री नायब सिंह द्वारा हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अम्बाला-हिसार) पर अंडर पास या ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हवाई अड्डे से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड में मानव-पशु संघर्ष के कारण हो रही समस्याओं के बारे में ।
- (8) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में महिलाओं को शिक्षित किए जाने के बारे में ।
- (9) श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के पृथ्वी गंज हवाई अड्डे को विकसित कर परिचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा जयतारन होते हुए बर से बिलाड़ा तक रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा देश में छोटे राज्य गठित किए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बोर्ड गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा राष्ट्रीय ग्रंथालय नीति के बारे में ।
- (13) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमानत और कोयल नदियों के किनारे तटबंध का निर्माण किए जाने के बारे में ।
- (14) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस द्वारा आंगनमाली-सबरीमाला रेल परियोजना के बारे में ।
- (15) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा कृषि कानून को निरस्त किए जाने के बारे में ।

- (16) श्री वी. कलानिधि द्वारा चैन्नई में कोडुंगयूर डम्पिंग यार्ड के कारण हो रही समस्याओं के बारे में ।
- (17) श्री वल्लभनेनी बालाशौरी द्वारा आंध्र प्रदेश में शीतागार सुविधाओं के बारे में ।
- (18) सुश्री मिमी चक्रवर्ती द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय किए जाने के बारे में ।
- (19) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थावे जंक्शन पर रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (20) श्री मलूक नागर द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (21) श्री के. नवासखनी द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्ययन संबंधी राजसहायता के बारे में ।
- (22) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा चीन में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय विद्यार्थियों के बारे में ।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा सायं 6.02 बजे स्थगित हुई तथा
सायं 7.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

*(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा सायं 7.02 बजे स्थगित हुई तथा
रात्रि 8.30 बजे पुनः समवेत हुई।)*

***रात्रि 9.00 बजे**

(लोक सभा शुक्रवार, 5 फरवरी, 2021 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 5 फरवरी, 2021/16 माघ, 1942 (शक)

संख्या 96

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 (71 और 78 के साथ युग्मित) का मौखिक उत्तर दिया गया।

सदस्य, जिनके नाम से तारांकित प्रश्न सं. 71 और 78 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न सं. 71 और 78 के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए।

तारांकित प्रश्न सं. 62-80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691-920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. %अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को देशी कोविड वैक्सीन बनाने में उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.14 बजे स्थगित हुई तथा
सायं 6.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

%मूल हिन्दी में। विस्तृत जानकारी के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सायं 6.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 की धारा 25 की उप-धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिनियम, 2020, जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनआईएफटी/एचओ/अधिनियम-परिनियम/2007-खंड-चार में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डा. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
(दो) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरि के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) भारतीय पास्चर संस्थान, कुनूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय पास्चर संस्थान, कुनूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से संसद तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने विशेषाधिकार समिति (17वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।
- (4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

* 10वें से 13वें प्रतिवेदन को लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 10 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए और इन्हें 14 सितम्बर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा देखा गया। अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

सायं 6.02 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 8 फरवरी, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

सायं 6.04 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में वाडसा रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों के ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा उत्तर प्रदेश में नेपाल से भारत में आने वाले जूट सामान के लिए नीलामी प्रक्रिया को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने के बारे में।
- (4) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने के बारे में।
- (6) श्री एस. मुनिस्वामी द्वारा कर्नाटक के कोलार जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने के बारे में।
- (7) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा फिल्मों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विषय-वस्तु पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा कलबुर्गी रेलवे डिवीजन के बारे में।
- (9) श्री परबतभाई सवाभाई पटले द्वारा गुजरात के थराद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 को चौड़ा किए जाने के बारे में।
- (10) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के रोहतास जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री पी.पी.चौधरी द्वारा राजस्थान में जवाई बांध में पर्याप्त जल छोड़ा जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्य राजमार्ग संख्या 7ई को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा 'कीनू' और 'गाजर' का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने के बारे में।

- (15) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्ययन के लिए समर्पित अनुसंधान संस्थान के बारे में।
- (16) श्री एस.आर. पार्थिवन द्वारा तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना को क्रियान्वित किए जाने के बारे में।
- (17) श्री तालारी रंगैय्या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 को पूरा किए जाने के बारे में।
- (18) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में पुनपुन नदी पर पुल निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री जयदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बरती गई कथित अनियमितताओं के बारे में।

सायं 6.05 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 8 फरवरी, 2021 के
अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 8 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक)

संख्या 97

अपराहन 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 4.09 बजे स्थगित हुई तथा
अपराहन 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न सं. 82-100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921-1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 5.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक') की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए शिक्षा मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :
 - (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन वहन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 27 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)62/2020 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 जो 27 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2019-खंड-दो में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) संशोधन विनियम, 2020 जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/प्रशा./11-विविध(10)/2020 में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलित प्रबंध सेवाएं) संशोधन विनियम, 2020 जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/2-एनजीपीएल टैरिफ(2)/2012 में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन वहन टैरिफ का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)62/2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/ऑथ/1-सीजीडी(06)/2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2020 जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/टेक/2-टी4एसएनजीपीएल/(1)/2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (लेखाओं का वार्षिक विवरण और अभिलेख) संशोधन नियम, 2020 जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.373(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 17 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.569 (अ) का शुद्धिपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020 के लिए संशोधित प्राक्कलन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की युक्तिका की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 जो 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.554(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 जो 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.555(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (पहला) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12/13/1/2016-पीएंडडी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (दूसरा) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12/13/01-2019-पीएंडडी में प्रकाशित हुए थे।
- (8) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) वर्ष 2021-2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) शास्त्री इंडो-कैनेडियन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शास्त्री इंडो-कैनेडियन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) समय शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समय शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) समय शिक्षा-संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समय शिक्षा-संघ राज्यक्षेत्र मिशन प्राधिकरण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) समय शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समय शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (43) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए), 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/ओआरडी./2361 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (डॉक्टर हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए), 2019 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. डीएचएसजीयू/20/ स्टेट्यूट्स/7/415 में प्रकाशित हुए थे।
- (46) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह "क" "ख" और "ग" पद) (पांचवां संशोधन) भर्ती विनियम, 2018 जो 5 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती विनियम/2011/भाग एक में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 12 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती विनियम/2011/खंड एक अधिसूचना का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।
- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह "क" "ख" और "ग" पद) (चौथा संशोधन) भर्ती विनियम, 2018 जो 5 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती विनियम/2011/भाग एक में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 12 मार्च,

2020 की अधिसूचना संख्या 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती विनियम/2011/खंड एक अधिसूचना का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, गुडगांव के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इनवेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) इनवेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) इनवेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) डिपोजिट इश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) डिपोजिट इश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) वर्ष 2019-2020 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋणों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालेंटरी वाइडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता के 31.03.2020 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता का 31.03.2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए समापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता का 30.06.2020 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता का 30.06.2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए समापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ.) (एक) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के पचासवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफिसर्स (कंडक्ट, डिसिप्लिन एण्ड अपील) रेगुलेशंस रूल्स, 2020 जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 9/1/2011-आईएफ-आई(ई) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जनरल रेगुलेशंस, 2020 जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 9/13/2018-आईएफ-आई(ई) में प्रकाशित हुए थे। ।
- (11) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अधीन स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2020 जो 27 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण (प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1043(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1044(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) (संशोधन) नियम, 2016 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1045(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2016 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1047(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपील अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने के नियम, 2020 जो 23 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 2002 जो 4 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1046(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) (संशोधन) 2020 जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 313 (अ) जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 की मद संख्या (आठ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 399 (अ) जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 की मद संख्या (छह) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा.का.नि. 525 (अ) जो 24 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 की मद संख्या (नौ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2020 जो 24 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 526(अ) में प्रकाशित हुए थे

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो 18 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2020 जो 6 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 13 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) कंपनी (परिसमापन) नियम, 2020 जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (चार) कंपनी (लेखे) संशोधन नियम, 2020 जो 30 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 60 (अ) में प्रकाशित हुए थे
- (पांच) कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 79 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (संशोधन) नियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 80 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) निधि (संशोधन) नियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 81 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) कंपनी (इश्यू ऑफ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट) संशोधन नियम, 2020 जो 13 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 111 (अ) में प्रकाशित हुए थे
- (नौ) निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 114 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिकरण जो दिनांक 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 150 (अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दस) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2020 जो 18 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 128 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 145 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) सा.का.नि. 151 (अ) जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेरह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2020 जो 18 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 127 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चौदह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पंद्रह) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 169 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सोलह) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2020 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (सत्रह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 268 (अ) में प्रकाशित हुए थे
- (अठारह) कंपनी (शेयर पूंजी एंड डिबेंचर) संशोधन नियम, 2020 जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 372 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (उन्नीस) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 396 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (बीस) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (इक्कीस) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2020 जो 29 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 420 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (बाईस) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2020 जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेईस) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2020 जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 538 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चौबीस) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियम, 2020 जो दिनांक 7 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि 548(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (16) उपर्युक्त 15 की मद संख्या (एक) से (सत्रह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सत्रह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1/1/2014-सीएल-पांच, जिसके द्वारा दिनांक 05.06.2015 की एमसीए अधिसूचना संख्या सा.का.नि 464(अ) में और संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2019-2020 के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षाप्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयर धारकों का आईआईबीआई द्वारा स्वैच्छिक समापन), कोलकाता की 01.07.2020 से 30.9.2020 तक की अवधि के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (इक्विटी शेयर धारकों का आईआईबीआई द्वारा स्वैच्छिक समापन), कोलकाता की 01.07.2020 से 30.9.2020 तक की अवधि के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (24) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखा जाना) संशोधन नियम, 2020 जो 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 228 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखा जाना) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 15 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखा जाना) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 16 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 254 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण(चेयरपर्सन, प्रेसीडेंट और अन्य सदस्यों के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया) नियम, 2020 जो 28, जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बाहर आना और आहरण) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 30 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 में प्रकाशित हुए थे।
- (30) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां इश्यू) (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 284 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) राष्ट्रीय बचत आवर्ती निक्षेप (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (चार) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (पांच) वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (छह) सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (सात) राष्ट्रीय बचत समय निक्षेप (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (आठ) लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2020 जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (31) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) बैंक ऑफ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीसीसी:एचआरएम:ईएक्सई:112/274 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी स्वीकार करना) (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीसीसी:एचआरएम:ईएक्सई:112/275 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी स्वीकार करना) (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. सीओ:ईआरडी:1073:2020 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या सीओ:ईआरडी:1071:2020 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या सीओ:ईआरडी:1072:2020 (अ) में प्रकाशित हुए थे। ।
- (छह) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 28 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यूपीएम 01 एके1078 2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरियों की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2020 जो दिनांक 27 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी: पीओएल:ओएसआर (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2020 जो दिनांक 27 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी/पीओएल/ओएसआर (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 28 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी/पीओएल/ओएसआर (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) अधिसूचना संख्या एफ संख्या एचआरडीडी/पीओएल/ओएसआर (अ) जो दिनांक 28 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-27032020-218942 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(32) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2020 जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 647 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) वर्ष 2020-2021 के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड और वित्त मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2020 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1278 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1374 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 जो दिनांक 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 2442 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(35) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2020 जो दिनांक 17 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 565 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 20 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 37 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह मनाने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2020 जो दिनांक 18 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 727 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (श्रीमत् स्वामी प्रणवानंदजी महाराज की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2021 जो दिनांक 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 41 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(36) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2020 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 7 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/09 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020 (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/26 में प्रकाशित हुए थे।

(37) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आबद्धकर समाप्ति जो 30 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरआई/6/172/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा (संशोधन) नियम, 2020 जो 1 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 229 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) उपर्युक्त (37) की मद सं. (दो) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम सूचना) विनियम, 2020 जो 24 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/3/169/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकक) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 26 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/4/170/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(40) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 1383 (अ) जो 27 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईएफएससी प्राधिकरण, गांधीनगर, गुजरात की स्थापना के बारे में है।

(दो) का.आ. 1384(अ) जो 27 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईएफएससी अधिनियम, 2019 की धाराओं के प्रवर्तन के बारे में है।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का.आ. 2844(अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईएफएससी अधिनियम, 2019 की धाराओं के प्रवर्तन के बारे में है तथा जिसका एक शुद्धि-पत्र जो 26 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2869(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) का.आ. 2957(अ) जो 31 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईएफएससी प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद के रूप में बुलीयन और वित्तीय सेवाओं के रूप में संबंधित सेवाओं के बारे में है।

(41) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना यूटीलिटी) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 13 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी065 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020 जो 13 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी066 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 जो 13 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी067 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक प्रतिवेदन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायनिर्णयन प्राधिकरण पर लागू होना) (संशोधन) नियम, 2020 जो 24 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 6 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी053 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 15 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी054 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 12 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी055 में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 14 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आरईजी055(1) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी056 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी057 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरणों के मॉडल उप-विधि और शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी058 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी059 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी060 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी061 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी062 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी063 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए शोधन समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी064 में प्रकाशित हुए थे।

(42) उपर्युक्त (41) की मद संख्या (छह) से (सत्रह) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2020 जो 6 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2020 जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 315(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2020 जो 28 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020 जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1129(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन और उसका शुद्धिपत्र जो 20 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 1195(अ) में प्रकाशित हुआ है।
- (पांच) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2020 जो 20 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 304(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2020 जो 28 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (सात) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2020 जो 26 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 415(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2020 जो 29 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 421(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2020 जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 423(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2020 जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 429(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2020 जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2020 जो 10 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का.आ. 2745(अ) जो 13 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 3264 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) का.आ. 2746(अ) जो 13 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 3265 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का.आ. 2227(अ) जो 6 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो धारा 10 (23एफई) के अंतर्गत अवसंरचना उपक्षेत्र की हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) का.आ. 2148(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 10 (ई),(एफ) और (जी) में विनिर्दिष्ट शर्तों को अधिसूचित किया

गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 1879(अ) जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) 22 अप्रैल, 2020 का परिपत्र सं. 9/2020 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों के रूप में स्पष्ट किए गए विभिन्न प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए हितधारकों के प्रश्नों के संबंध में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(44) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 630(अ) जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, श्रीलंका और थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "6 एमएम और उससे अधिक मोटाई के साधारण मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का और तीन माह की अवधि के लिए, जो कि 20 जनवरी, 2021 तक है और उसमें 20 जनवरी, 2021 सम्मिलित है, विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 646(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए बने फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का 30 नवम्बर, 2020 अवधि के लिए विस्तार करना है और उसमें 30 नवम्बर, 2020 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 649(अ) जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड से "पोलिएस्टर के सभी फुल्ली ड्रान या फुल्ली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न" के आयात पर 21 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम के

अध्यधीन, 30 नवम्बर, 2020 अवधि के लिए विस्तार करना है और उसमें 30 नवम्बर, 2020 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 672(अ) जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "फ्लूओरोइलास्टोमर्स (एफकेएम)" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, पदाभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुपालन में, 27 नवम्बर, 2020 की और अवधि के लिए विस्तार करना है और उसमें 27 नवम्बर, 2020 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 692(अ) जो 9 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "रबड़ के उपयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के निबंधनों में, व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर, 31 दिसम्बर, 2020 की और अवधि के लिए विस्तार करना है और उसमें 31 दिसम्बर, 2020 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 697(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैक्स फैब्रिक" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा इस मामले में की गई सनसेट रिव्यू जांच में की गई सिफारिश के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 707(अ) जो 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाइलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित अक्राइलिक फाइबर के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को हटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 708(अ) जो 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "क्लियर फ्लोट ग्लास" पर व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क

आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (नौ) सा.का.नि. 730(अ) जो 19 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान और रूस से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पैथालिक एनहाइड्राइड पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, पदाभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुपालन में, 31 जनवरी, 2021 की अवधि के लिए विस्तार करना है और उसमें 31 जनवरी, 2021 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि. 738(अ) जो 26 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड से "पोलिएस्टर के सभी फुल्ली ड्रान या फुल्ली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न" के आयात पर 21 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क और जिसे अधिसूचना सं. 32/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया था, का 31 दिसम्बर, 2020 अवधि के लिए विस्तार करना है और उसमें 31 दिसम्बर, 2020 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 743(अ) जो 27 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "फ्लूओरोइलास्टोमर्स (एफकेएम)" के आयात पर, पदाभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के सनसेट रिव्यू अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) सा.का.नि. 741(अ) जो 27 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए बने फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का 31 जनवरी, 2021 की अवधि के लिए और विस्तार करना है और उसमें 31 जनवरी, 2021 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (तेरह) सा.का.नि. 746(अ) जो 1 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मिथाइलिन क्लोराइड के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, पदाभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय की समीक्षा के अनुपालन में, 31 जनवरी, 2021 की अवधि के लिए और विस्तार करना है और उसमें 31 जनवरी, 2021 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 748(अ) जो 2 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और यूएई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 80:20 के अनुपात में आइसोमर कंटेंट वाले टॉल्यून डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात पर पदाभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय की प्रारंभिक जांच में सिफारिश के अनुसार छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 751(अ) जो 3 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के 7219 टैरिफ शीर्ष के अंतर्गत आने वाले स्टेनलेस स्टील के कोल्ड-रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट, जिनकी चौड़ाई 600 एमएम से 1250 एमएम और 1250 एमएम से ऊपर हो और जिनका गैर वास्तविक प्रयोग किया जाता हो, के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, 31 जनवरी, 2021 की अवधि के लिए और विस्तार करना है और उसमें 31 जनवरी, 2021 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि. 752(अ) जो 3 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन गणवादी राज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को हटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सत्रह) सा.का.नि. 753(अ) जो 7 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "फ्लोट ग्लास" पर 8 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. 47/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, 6 फरवरी, 2021 की अवधि के लिए और विस्तार करना है और उसमें 6 फरवरी, 2021 सम्मिलित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि. 762(अ) जो 15 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डाइमिथाइलाइसेटामाइड के आयात पर, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कतिपय विशिष्ट वाली वस्तुओं को बाहर करने के लिए, पदाभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के मध्यावधि समीक्षा निष्कर्षों के अनुपालन में, प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि. 811(अ) जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड से "पोलिएस्टर के सभी फुल्ली ड्रान या फुल्ली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न (नॉन-टैक्सचर्ड और नॉन पीओवाई)" के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को हटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा.का.नि. 623(अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पाद" पर, व्यापार उपचार महानिदेशालय की 7 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. 6/16/2019-डीजीटीआर के प्रारंभिक निष्कर्ष के आधार पर, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख, जो कि 9 अक्टूबर, 2020 है, से चार माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिकारी शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (45) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.1126 (अ) जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के

संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- [illegible]

- (तिरतालीस) 17 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या 113/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चवालीस) 30 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या 114/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पैंतालीस) का.आ.4793 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छियालीस) 7 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 03/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सैंतालीस) का.आ.204 (अ) जो 15 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रॉस-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अड़तालीस) सा.का.नि. 296 (अ) जो 14 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा निर्यात कार्य-निष्पादन प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि को 30.09.2020 तक बढ़ाया गया है और यह एक व्यापार सरलीकरण उपाय है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनचास) सा.का.नि. 227 (अ) जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजी माल योजनाओं के अंतर्गत आयातित माल पर समेकित कर और प्रतिकर उपकर में छूट को 31.03.2021 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पचास) सा.का.नि. 307(अ) जो 21 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन करना था ताकि उन पतनों जहां से ऐसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत आयात और निर्यात की अनुमति है, की सूची में गोपालपुर पत्तन को शामिल किया जा सके एवं यह एक व्यापार सुकर करने का उपाय है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (इक्यावन) सा.का.नि. 599(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एलसीडी/एलईडी टेलीविजन के पैनलों के विनिर्माण में उपयोग के लिए ओपन सैल (15.6" और अधिक) पर 5% एड वालोरेम की दर पर आधारभूत सीमा शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (बावन) सा.का.नि. 651(अ) जो 20 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपाय महानिदेशालय की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 13.07.2020 की अधिसूचना संख्या 31/2020-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाए गए भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के अंतर्गत अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय से पॉलीब्यूटाडाइन

- रबड़ के टाइटेनियम और लिथियम ग्रेडो को बाहर करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (तिरपन) सा.का.नि. 680(अ) जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 दिसम्बर, 2020 तक मसूर का संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य देशों से आयात पर 10% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर 30% की रियायती आधारभूत सीमा शुल्क को विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (चौवन) सा.का.नि. 681(अ) जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 जनवरी, 2021 तक आलू के 10 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित कोटा (टीआरक्यू) पर 10% की रियायती आधारभूत सीमा शुल्क को विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (पचपन) सा.का.नि. 683(अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उक्त अधिसूचना में कतिपय मरीज सहायता कार्यक्रमों एवं मरीज सहायता कार्यक्रम चला रही भेषज कंपनियों के नामों में परिवर्तन करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (छप्पन) सा.का.नि. 705(अ) जो 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शीर्ष 8529 के अंतर्गत आ रहे एलसीडी/एलईडी टेलीविजन के ओपन सैल (15.6" और अधिक) के निम्नलिखित तीन पुर्जों अर्थात् (क) शीर्ष 8529 के अंतर्गत आ रहे फिल्म की चिप (ख) शीर्ष 8529 के अंतर्गत आ रहे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली (पीसीबीए) एवं (ग) शीर्ष 8529 के अंतर्गत आ रहे सैल (ग्लास बोर्ड/सब्सट्रेट) पर 5% एड वालोरेम की दर पर आधारभूत सीमा शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (सत्तावन) सा.का.नि. 736(अ) जो 26 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कूड पाम तेल पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 44% से कम कर 27.5% करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (अठावन) सा.का.नि. 777(अ) जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियम, 2017 के अंतर्गत व्यापार उपाय महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों की सिफारिश पर भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में उद्भूत पथालिक एनहाइडाइड के आयातों पर अंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय की पुष्टि करना है एवं उक्त आयातों पर सीमा-शुल्क की दर में संशोधन करने के लिए 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क में और संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (उनसठ) सा.का.नि. 810(अ) जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-आशियान मुक्त व्यापार समझौते के अनुसार 01.01.2021 से प्रभावी आशियान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में प्रशुल्क रियायतों को और बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (साठ) का.आ. 2350(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (इकसठ) दिनांक 16 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या 59/2020-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

- (बासठ) का.आ. 2423(अ) जो 23 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (तिरसठ) का.आ. 2448(अ) जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (चौसठ) का.आ. 2565(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (पैंसठ) का.आ. 2645(अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (छियासठ) दिनांक 6 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 69/2020-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (सड़सठ) का.आ. 2649(अ) जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (अड़सठ) का.आ. 2753(अ) जो 13 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (उनहत्तर) का.आ. 2770(अ) जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (सत्तर) दिनांक 20 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 80/2020-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (इकहत्तर) दिनांक 3 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या 84/2020-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (बहत्तर) का.आ. 2956(अ) जो 31 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रैप, सोना, चांदी और ऐरिका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (46) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 442(अ) जो दिनांक 13 जुलाई, 2020 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या-07/2020-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(47) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 571(अ) जो 21 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31(7) के अंतर्गत दी गई समय-सीमा को 31.10.2020 तक एक बार बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 572(अ) जो 21 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए माल और सेवा कर विवरणी-4 फार्म प्रस्तुत नहीं करने के लिए, इस शर्त के अधीन कि 22.09.2020 से 31.10.2020 के बीच विवरणी भरी जानी है, विलंब शुल्क माफ करना/में कमी करना है एवं दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576(अ) में उसका शुद्धिपत्र प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 573(अ) जो 21 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी-10 फार्म प्रस्तुत नहीं करने के लिए, इस शर्त के अधीन कि 22.09.2020 से 31.12.2020 के बीच विवरणी भरी जानी है, विलंब शुल्क माफ करना/में कमी करना है एवं दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577(अ) में उसका शुद्धिपत्र प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 595(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय धारा 44 के अधीन विवरणी भरने की नियत तिथि को 31.10.2020 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 5.5.2020 की अधिसूचना संख्या 41/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 596(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 21.03.2020 की अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) सा.का.नि. 602(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बी2सी बीजकों के लिए डायनमिक क्यूआर कोड के कार्यान्वयन की तिथि को 01.12.2020 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना संख्या 14/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) केन्द्रीय माल और सेवाकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 603(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका शुद्धिपत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 611(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) सा.का.नि. 613(अ) जो 01 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.10.2020 से 31.10.2020 की अवधि में ई-बीजकों को जारी करने के

लिए करदाताओं के लिए विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (नौ) सा.का.नि. 634(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक और जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक की तिमाहियों के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दस) सा.का.नि. 635(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, 2020 से मार्च 2021 तक के प्रत्येक माह के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 636(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के माल और सेवा कर विवरणी-3ख फार्म में अक्टूबर, 2020 से मार्च 2021 तक के लिए उक्त फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथियों के साथ विवरणी प्रस्तुत करने को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 637(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन छोटे करदाताओं जिनका सकल कारोबार 2 करोड़ रुपए से कम है एवं जिन्होंने उक्त विवरणी निर्धारित तिथि के पूर्व नहीं प्रस्तुत की है, के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(1) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करना वैकल्पिक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तेरह) सा.का.नि. 638(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन अंकों की संख्या को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चौदह) केन्द्रीय माल और सेवाकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पन्द्रह) सा.का.नि. 679(अ) जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय धारा 44 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को 31.12.2020 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 05.05.2020 की अधिसूचना संख्या 41/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सोलह) का.आ. 4043(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 39 की उपधारा (1), (2) और (7) में किए गए संशोधन को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सत्रह) केन्द्रीय माल और सेवाकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2020 जो दिनांक 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 698(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा

- जिनका शुद्धिपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (अठारह) सा.का.नि. 699(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर विवरणी-1 फार्म प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (उन्नीस) सा.का.नि. 700(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय धारा 39(1) के परन्तुक के अधीन व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (बीस) सा.का.नि. 701(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पहले 2 माह में कर देयता के रूप में 35% भुगतान करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (इक्कीस) सा.का.नि. 702(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 15.8.2020 की अधिसूचना 76/2020-केन्द्रीय कर का निरसन करना है एवं जिसका शुद्धिपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (बाईस) सा.का.नि. 703(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई से सितम्बर, 2020 की अवधि के लिए आईटीसी-04 फार्म प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को 30 नवम्बर, 2020 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तेईस) सा.का.नि. 704(अ) जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 100 करोड़ से अधिक सकल कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए 01 जनवरी, 2021 से ई बीजक प्रस्तुत करने को कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चौबीस) सा.का.नि. 745(अ) जो 29 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 14/2020-केन्द्रीय कर के उपबंधों के अनुपालन नहीं करने के लिए देय शास्ति को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पच्चीस) सा.का.नि.747(अ) जो 1 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 28.06.2017 में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सा.का.नि.759(अ) जो 14 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी के अंतर्गत मुनाफाखोरी-रोधी उपायों के संबंध में अनुपालनों और कार्रवाइयों के लिए नियत तारीख को 31.03.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) का.आ.4643(अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 119,120,121,122,123,124,126,127 और 131 को प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अठाईस) सा.का.नि.785(अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 फाइल करने के लिए विलंब शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.786 (अ) में प्रकाशित हुए थे और उसका शुद्धि-पत्र जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 801(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीस) सा.का.नि.809(अ) जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 44 के अंतर्गत निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को 28.02.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.2(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) सा.का.नि.18(अ) जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय कर अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के संशोधन की अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतीस) सा.का.नि.604(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में सीमा-शुल्क के क्लीरेंस स्टेशनों से भारत से बाहर किसी स्थान को विमान द्वारा अथवा समुद्र द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से सेवाओं पर सीजीएसटी छूट को एक वर्ष के लिए अर्थात् 30.09.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौत्तीस) सा.का.नि.643(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है ताकि इसरो, एंट्रिक्स कं. लिमिटेड और एनएसआईएल द्वारा प्रदान की जा रही सेटेलाइट लांच सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (48) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.640(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन अंकों की संख्या को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.605(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में सीमा-शुल्क के क्लीरेंस स्टेशनों से भारत से बाहर किसी स्थान को विमान द्वारा अथवा समुद्र द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से सेवाओं पर आईजीएसटी छूट को एक वर्ष के लिए अर्थात् 30.09.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि.644(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि इसरो, एंट्रिक्स कं. लिमिटेड और एनएसआईएल द्वारा प्रदान की जा रही सेटेलाइट लांच सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (49) संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि.606(अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में सीमा-शुल्क के क्लेरेंस स्टेशनों से भारत से बाहर किसी स्थान को विमान द्वारा अथवा समुद्र द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से सेवाओं पर यूटीजीएसटी छूट को एक वर्ष के लिए अर्थात् 30.09.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.645(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्य-क्षेत्र कर (दर) को अधिसूचित करना है ताकि इसरो, एंट्रिक्स कं. लिमिटेड और एनएसआईएल द्वारा प्रदान की जा रही सेटेलाइट लांच सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (50) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।
- (3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।
- (4) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।
- (5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन।

- (6) इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।
- (7) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।
- (8) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।
- (9) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के '5जी के लिए भारत की तैयारी' विषय संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

5. रक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) ने सभी नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की गरिमा बनाये रखने की अपील की और पूर्व प्रथा के अनुसार इस पर चर्चा आरंभ की।

श्री अधीर रंजन चौधरी भी बोले।

इस पर, अध्यक्ष ने टिप्पणी* की।

*मूल हिन्दी में। विस्तृत जानकारी के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

#*6. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कटंगी-तिरोडी रेल लाइन परियोजना के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान में सरिस्का और रणथम्बौर वन्य जीव अभ्यारणों के आसपास पशुओं द्वारा की गई जानमाल की हानि के लिए क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखण्ड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जापला सीमेंट फैक्ट्री को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महिला महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 की मरम्मत और उसे चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को हुई कृषि उपज की हानि के बीमा दावों का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रधान डाक घर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में बीएमएचआरसी अस्पताल के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#सायं 6.28 बजे ।

- (10) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनटीपीसी सोलर प्लांट के लिए आरक्षित निधियों के विनियोग में कथित अनियमितताओं के बारे में।
- (11) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के औतराम घाट में एक सुरंग के निर्माण के बारे में।
- (12) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तनगिना और अनजान धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रवनीत सिंह द्वारा वस्त्र और होजरी उद्योग को आ रही समस्याओं के बारे में।
- (15) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल के तिरुअनंतपुरम में मुथलापोजी फिशिंग हार्बर में मौजूदा ब्रेकवाटर की समीक्षा के बारे में।
- (16) श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा कोयम्बटूर में एक सीजीएचएस वेलनेस सेन्टर खोले जाने के बारे में।
- (17) प्रो. सौगत राय द्वारा किसानों के मुद्दों का शीघ्र समाधान किए जाने के बारे में।
- (18) श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा मुम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग के अंतर्गत भूमि पर बने भवन का पुनर्विकास किए जाने के बारे में।
- (19) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएनजी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में स्वच्छ जल की झील अनसुपा के विकास के लिए धनराशि मंजूर किए जाने के बारे में।
- (21) कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के गजरौला में लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रही मल्टीनेशनल कम्पनी को स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरसित किए जाने के बारे में।
- (23) श्री के. सुब्बारायण द्वारा गैस कनेक्शनों के अंतरण के बारे में।

%7. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 8 फरवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है।

%8. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021

अपराहन 5.13 बजे

9. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय : 10 घंटे

लिया गया समय : 6 घंटे 51 मिनट

शेष : 3 घंटे 09 मिनट

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2021 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

सायं 6.27 बजे

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित [&]घोषणा की:-

“धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शायी जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।”

% सायं 7.42 बजे।

[&]मूल हिन्दी में। विस्तृत जानकारी के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अइतीस (11-20, 22-31, 128-137 और 148-155) संशोधन पेश किए गए।

सायं 6.29 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री टी.आर.बालू
3. सुश्री महुआ मोइत्रा
4. श्री पी.वी.मिथुन रेड्डी
5. श्री प्रतापराव जाधव
6. श्री राजेश रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह
7. श्री पिनाकी मिश्रा
- 8* श्री गणेश सिंह
- 9* श्रीमती रमा देवी
- 10* श्री विष्णु दयाल राम
- 11* श्री बिद्युत बरन महतो
- 12* डॉ. राजकुमार रंजन सिंह
- 13* श्री मुकेश राजपूत
- 14* श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
- 15* श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
16. श्री रितेश पाण्डेय
- 17* श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
- 19* श्री गिरीश चन्द्र
20. श्री जगदम्बिका पाल
- 21* श्री चन्देश्वर प्रसाद
- 22* श्री नायब सिंह
- 23 श्री मनीश तिवारी
- 24* डॉ. उमेश जी. जाधव
25. एडवोकेट ए.एम.आरिफ

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

26. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
27. श्री उदय प्रताप सिंह
- 28* डॉ. टी. सुमति(ए) तामिझाची थंगापंडियन
- 29* श्री श्रीरंग अप्पा बारने
30. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह ऊर्फ पवन राजेनिम्बलकर
- 31 श्रीमती नवनीत रवि राणा
- 32* श्री मनोज किशोरभाई कोटक
- 33 श्री पी.पी.चौधरी
- 34* श्रीमती सुप्रिया सुले
35. श्री गुरजीत सिंह औजला
36. श्री पी. रविन्द्रनाथ
37. डा. अमोल रामसिंह कोल्हे
38. श्री जसबीर सिंह गिल

रात्रि 11.59 बजे

10. प्रश्न काल निलंबित किए जाने के बारे में घोषणा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण करने के लिए 9 और 10 फरवरी, 2021 को प्रश्न काल निलंबित किया जा सकता है।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने सभा की सहमति जाननी चाही तथा सभा सहमत हुई।

पूर्वाह्न 12.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 9 फरवरी, 2021 के अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 फरवरी, 2021/20 माघ, 1942 (शक)

संख्या 98

1. प्रश्न

चूंकि आज के लिए प्रश्न काल समाप्त कर दिया गया था, इसलिए आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न सं. 101-120 को अतारांकित प्रश्न माना गया तथा उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न सं. 1151-1380 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

2. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) ने उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन के बारे में वक्तव्य दिया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) (2020 का संख्यांक 7)-(अनुपालन लेखापरीक्षा) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों के सामान्य प्रयोजन संबंधी वित्तीय प्रतिवेदन।
- (2) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) (2020 का संख्यांक 18)- अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्संस विद फिजिकल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्संस विद फिजिकल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर , नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर , नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आधार (टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंसिएल एंड अदर सबसिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अंतर्गत जारी निजी सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में अधिसूचना संख्या का.आ. 3816(अ) से का.आ. 3833(अ) जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसके द्वारा "साजिद मीर, युसुफ मुजम्मिल, अब्दुर रहमान मक्की, शाहिद महमूद, फरहतुल्लाह गोरी, अब्दुल रऊफ असगर, इब्राहीम अतहर, युसुफ अजहर, शाहिद लतीफ, सैय्यद मुहम्मद युसुफ शाह, गुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट, रियाज ईस्माइल शाहबंदरी, मो. इकबाल, शेख शकील, मोहम्मद अनीस, इब्राहीम अब्दुल रजाक मेमन और जावेद चिकना" के नाम जोड़े गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) गृह मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-I)।
- (2) गृह मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (संघ राज्यक्षेत्र) (खंड-II)।
- (3) गृह मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मध्य प्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (6) वर्ष के लिए 2021-2020 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2020 जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3646(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2020 जो 26 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4243(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (8) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2020 जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 19 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 34(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 के लिए निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (तीन) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वर्ष 2018 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी व्याख्यात्मक जापन।
- (4) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत वर्ष 2018 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फराश) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2020 जो 4 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 97 में प्रकाशित हुए थे।
(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 जो 6 जून, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 82 में प्रकाशित हुए थे।
- (4) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, सहायक, (समूह ख) भर्ती नियम, 2020 जो 10 अक्टूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 141 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उधमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उधमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचंद्र बापट ने प्राक्कलन समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'केन्द्रीय बजट में संरचनात्मक परिवर्तन' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।
- (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतमाला परियोजना सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्राक्कलन तथा कार्यकरण' विषय संबंधी सातवां प्रतिवेदन।
- (3) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 'खेलो इंडिया योजना के प्रदर्शन की समीक्षा' विषय संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2017-18) से अधिक व्यय" संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (2) 'पूर्णता-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण वित्तीय हानि', 'विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफलता के कारण हानि' और 'संविदाकार को अनुचित लाभ' संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
- (3) "भारत में जल प्रदूषण" के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।
- (4) "परिधान निर्यात संवर्धन परिषद" के बारे में समिति के 129वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
- (5) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" के बारे में समिति के 134वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (6) "विनियोग लेखाओं में अपवाद रिपोर्टिंग के लिए अधिकतम सीमा में संशोधन" विषय के बारे में पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
- (7) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2016-17) से अधिक व्यय" विषय के बारे में चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) “आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गये)” के बारे में 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) “आश्वासनों को छोड़े जाने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)” के बारे में 14वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) “संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा” के बारे में 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) “शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा” के बारे में 16वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

7. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) जल शक्ति मंत्रालय- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ‘अनुदानों की मांगों (2019-20)’ के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) जल शक्ति मंत्रालय- पेयजल और स्वच्छता विभाग की ‘अनुदानों की मांगों (2019-20)’ के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) जल शक्ति मंत्रालय- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ‘अनुदानों की मांगों (2020-21)’ के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) जल शक्ति मंत्रालय- पेयजल और स्वच्छता विभाग की ‘अनुदानों की मांगों (2020-21)’ के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की 2019-20 की अनुदानों की मांगों संबंधी दूसरे प्रतिवेदन और 2020-21 की अनुदानों की मांगों संबंधी तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) संबंधी खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 4.15 बजे

9. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2021 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2021 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2021 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2021 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2021 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2021 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2021 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य

नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

“कि सभा द्वारा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 23 सितम्बर, 2020 को संसद के शीतकालीन सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक बढ़ाए गए समय को संसद के बजट सत्र, 2021 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाया हुआ माना जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.21 बजे

11. नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अमित शाह* ने 8 फरवरी, 2021 को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण** दिया।

*गृह मंत्री

** उन्होंने अध्यक्षपीठ की अनुमति से सभा पटल पर दस्तावेज भी रखे।

%12. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमुर् निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में धार्मिक महत्व के स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में।
- (2) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर जिले में रेल कोच फैक्ट्री के बारे में।
- (3) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के बारे में।
- (4) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि निर्गत किए जाने के बारे में।
- (5) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा वन क्षेत्रों में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भूमि अधिकार प्रदान किए जाने के बारे में।
- (6) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा झारखण्ड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बारे में।
- (7) डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा पश्चिम ओडिशा में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने के बारे में ।
- (9) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जिलिंग हिल्स, तराई और दोआर में चाय और सिनकोना बागानों हेतु परजा पट्टा अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए जाने के बारे में।
- (10) श्री नितेश गंगा देब द्वारा सम्बलपुर स्थित वीर सुरेन्द्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी (वीएसएसयूटी) बुर्ला को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलोजी के रूप में घोषित किए जाने के बारे में।
- (11) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा ईपीएस पेंशन धारकों की शिकायतों के समाधान के बारे में।
- (12) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा महाराष्ट्र के लेवा (एलईवीए) अथवा लेवा (एलईडव्ल्यूए) समुदाय के लोगों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने के बारे में।
- (13) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

% अपराहन 5.03 बजे

- (14) श्रीमती माला राज्य शाह लक्ष्मी द्वारा देहरादून के चकराता प्रखण्ड में बागुर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल में प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड सिल्वर लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट की पुनर्समीक्षा किए जाने के बारे में।
- (16) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र हेतु धनराशि निर्गत किए जाने के बारे में।
- (17) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली विभाग का निजीकरण किए जाने के बारे में।
- (18) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में उभयलिंगी व्यक्तियों को शामिल करने और विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण को अनिवार्य किए जाने के बारे में।
- (19) श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा सलेम और उलंडुरपेट्टाई को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 79) के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।
- (20) श्री रघु राम कृष्ण राजू द्वारा विजयवाड़ा में केआरएमबी का कार्यालय खोले जाने के बारे में।
- (21) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा कोविड महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ऐसे प्रवासी श्रमिकों जिनकी रोजी-रोटी चली गई, हेतु एक योजना की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री राजेन्द्र गावित द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में।
- (23) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा 2021 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री मलूक नागर द्वारा चीनी मिलों द्वारा लम्बित देनदारियों का भुगतान किए जाने और गन्ने के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री जयदेव गल्ला द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने के बारे में।
- (26) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा कोल इंडिया द्वारा भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं के बारे में।

13. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय : 15 घंटे 24 मिनट

श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा 08 फरवरी, 2021 को पेश किए गए और डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2021 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। ’

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रमेश बिधूड़ी
2. श्री नामा नागेश्वर राव
3. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
- 4* श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित
- 5* श्री राजू बिष्ट
- 6* डॉ. भारतीबेन धीरूभाई श्याल
- 7* श्री देवजी एम. पटेल
- 8* श्रीमती क्वीन ओझा
- 9* श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
- 10* श्रीमती रीती पाठक
- 11* श्रीमती सुमलता अम्बरीश
- 12* डॉ. गौतम सिगामणि पोन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- 13* श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
- 14* श्री भर्तृहरि माहताब
- 15* श्री दुराल मुरुगन कथीर आनन्द
- 16* श्री रामचरण बोहरा
- 17* श्री के. नवासखनी
- 18* श्री पी.सी. गद्दीगौडर
- 19* श्री गोपाल चिनैय्या शेटी
- 20* श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल
- 21* श्री अजय मिश्र टेनी
- 22* श्रीमती मीनाक्षी लेखी
- 23 श्रीमती सुनीता दुग्गल
- 24* श्री अशोक महादेवराव नेते
- 25* श्री एस.आर. पार्थिबन
- 26* श्री राकेश सिंह
- 27* डॉ. आलोक कुमार सुमन
28. श्री अखिलेश यादव
- 29* डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
- 30* श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
- 31* श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
- 32* श्रीमती अपरूपा पोद्दार
33. श्री शङ्कीया दिलीप
- 34* श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
35. श्रीमती परनीत कौर
36. श्री एस. जगतरक्षकन
37. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
- 38* श्री तालारी रंगैय्या
- 39* श्री अरूण कुमार सागर
- 40* श्री अशोक कुमार रावत

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

41. श्री सौगत राय
42. श्री श्रीनिवास केसिनेनी
- 43* श्री राजेन्द्र अग्रवाल
44. डॉ. निशिकांत दुबे
- 45* श्री शिवकुमार चन्नबसप्पा
- 46* श्री राहुल कस्वां
- 47* डॉ. सुभाष रामराव भामरे
- 48* डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
49. श्री श्रीकृष्णा देवरायाळू लावू
50. कुंवर दानिश अली
51. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
52. श्री हनुमान बेनीवाल
- 53* श्रीमती प्रतिमा मण्डल
- 54* डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
55. श्री के. सुब्बारायण
56. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
- 57* श्री देवेन्द्र सिंह ऊर्फ भोले सिंह
58. श्री असादुद्दीन ओवैसी
59. श्री चाजिकाडन थोमस
- 60* सुश्री एस. जोतिमणि
61. श्रीमती अन्नपुर्णा देवी
- 62* श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
63. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
64. श्री भगवंत मान
65. श्री पी.सी. मोहन
66. श्री रवनीत सिंह
- 67* श्री अजय भट्ट
68. श्री अच्युतानंद सामंत
69. प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
70. श्री विजय कुमार हांसदाक

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

71. श्रीमती अपराजिता सारंगी
- 72* श्री अरविंद गणपत सावंत
73. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
74. श्री तिरुमावलवन थोल
- 75* डॉ. भारती प्रवीण पवार
76. श्री डी. रविकुमार
77. श्री एस. वेंकटेशन
78. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
79. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
- 80\$ श्री कैलाश चौधरी
81. डॉ. अमर सिंह
82. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
83. श्री हाजी फजलुर रहमान
84. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
85. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
86. श्री अब्दुल खालेक
87. श्री अनुराग शर्मा
88. श्रीमती संगीता आजाद
89. श्री उत्तम कुमार नालमाडा रेड्डी
90. श्री जुगल किशोर शर्मा
- 91* श्री मलुक नागर

चर्चा पूरी नहीं हुई।

पूर्वाहन 12.59 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 फरवरी, 2021 के अपराहन 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

\$कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 फरवरी, 2021/21 माघ, 1942 (शक)

संख्या 99

अपराहन 4.00 बजे

1. प्रश्न

चूंकि आज के लिए प्रश्न काल समाप्त कर दिया गया था, इसलिए आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न सं. 121-140 को अतारांकित प्रश्न माना गया तथा उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न सं. 1381-1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

*अपराहन 4.12 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 जो 22 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3786(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) निर्वाचन का संचालन (संशोधन) नियम, 2020 जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3667(अ) में प्रकाशित हुए थे।

* अपराहन 4.00 बजे से अपराहन 4.12 बजे, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री पीयूष गोयल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार

द्वारा समीक्षा।

- (दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) रेल यात्री (अप्रिय घटनाओं की जांच की रीति) नियम, 2020 जो 4 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.346(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) रेल दुर्घटनाएं और अप्रिय घटनाएं (मुआवजा) संशोधन नियम, 2020 जो 4 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.347(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) रेल (माल डिब्बों की अति भराई के लिए दंडात्मक शुल्क) (संशोधन) नियम, 2020 जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.560(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) रेल (माल डिब्बों की अति भराई के लिए दंडात्मक शुल्क) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 17 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.566(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2020, जो रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.553(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों का 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन [खंड दो (भाग 1, 2 और 3)], लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए कोयला मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

- (4) (एक) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) वर्ष 2020-2021 के लिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए योजना मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2020-2021 के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन ।
- (2) वर्ष 2020-2021 के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
- (3) वर्ष 2020-2021 के लिए माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
 - (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए अंतरिक्ष मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
 - (तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
 - (चार) वर्ष 2021-2022 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड), मुम्बई के वर्ष 2019-

2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड), मुम्बई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 7 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 618(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

- (एक) लोकपाल (मल्टी टास्किंग स्टाफ, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 जो 5 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 6 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) लोकपाल (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2020 जो 25 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 733 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) लोकपाल (वित्त और लेखा) नियम, 2020 जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 793 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय मसाला बोर्ड,कोचीन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय मसाला बोर्ड,कोचीन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(तीन) भारतीय मसाला बोर्ड,कोचीन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फोरमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फोरमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) निम्नलिखित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:-
- (एक) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- (दो) फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- (तीन) सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- (चार) विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- (पाँच) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- (छह) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- (सात) मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
- (12) उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समग्र समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2019 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 6 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 12(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2021-2022 के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे।

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (संशोधन) नियम, 2020 जो 10 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 694(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (11वां संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 301-20/2020-एफएंडईए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2020 जो 27 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 744(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाक विभाग की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) डाक विभाग की वर्ष 2021-2022 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे।

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया-इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जिबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडिया-इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जिबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेटेंट (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 4 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 689 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेटेंट (अधिनियम) नियम, 2020 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 20 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 652 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, जो 11 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 551 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 9 फरवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है।

4. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) और (2020-21) के संबंध में क्रमशः दूसरे और तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा और सातवां प्रतिवेदन।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2019-20) और (2020-21) के संबंध में क्रमशः पहले और चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां और आठवां प्रतिवेदन।

7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।
- (2) 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

8. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रसून बनर्जी ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'जैविक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर' के बारे में समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 155वां प्रतिवेदन।
- (2) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 156वां प्रतिवेदन।
- (3) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 157वां प्रतिवेदन।
- (4) 'कोविड-पश्चात अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करना: भारत के लिए चुनौतियां और अवसर' संबंधी 158वां प्रतिवेदन।

9. मंत्री द्वारा विवरण

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2019-20 की अनुदानों की मांगों संबंधी तीसरे प्रतिवेदन और 2020-21 की अनुदानों की मांगों संबंधी छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2019-20 की अनुदानों की मांगों संबंधी चौथे प्रतिवेदन और 2020-21 की अनुदानों की मांगों संबंधी सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 4.15 बजे

10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय : 16 घंटे 58 मिनट

श्रीमती लॉकेट चटर्जी द्वारा 08 फरवरी, 2021 को पेश किए गए और डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2021 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। ’

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्री तीरथ सिंह रावत
2. श्री हरीश द्विवेदी
3. श्री हेमंत तुकाराम गोडसे
4. श्री एंटो एन्टोनी
5. श्री सुनील कुमार सिंह
6. डॉ. संघमित्रा मौर्य
7. श्री कुलदीप राय शर्मा
8. एडवोकेट अदूर प्रकाश
9. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा
10. श्री निहाल चन्द चौहान
11. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
12. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
13. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
14. डॉ. संजय जायसवाल
15. श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
16. डॉ. डीएनवी सैथिलकुमार एस.
17. श्री धनुष एम. कुमार
18. श्री रामशिरोमणि वर्मा
19. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी संशोधनों, जिन्हें पेश किया गया था, को सभा की स्वीकृति के लिए रखा गया और वे अस्वीकृत हुए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 5.49 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लेवल-क्रॉसिंग्स पर आरओबी का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री देवेन्द्र सिंह ऊर्फ भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर स्थित भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के अनुरोध के बारे में।
- (3) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान में मदार रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू किए जाने के बारे में।
- (4) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ में धमतरी से कांकेर होते हुए कौडागांव तक रेल मार्ग का विस्तार किये जाने के बारे में।
- (5) श्री हंसमुख सोमभाई पटले द्वारा गुजरात के अहमदाबाद पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी एक्सप्रेस-वे सं. 1 पर एक ब्रिज या अंडरब्रिज का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राप्ती नदी में बाढ़ रोकने के लिए उपाय किए जाने के बारे में।
- (7) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा प्रयागराज के 'संगम क्षेत्र' और ऐतिहासिक किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकमा रेलवे स्टेशन पर पाटलिपुत्र-लखनऊ गाड़ी सं. 025229/30 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) डॉ. उमेश जी जाधव द्वारा कर्नाटक के कलबुर्गी में योग पार्क की स्थापना के बारे में।
- (10) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा हमारी पाठ्यपुस्तकों में भारतीय इतिहास, दर्शन और सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित मौजूदा जानकारी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा आयोध्या और प्रयागराज के बीच एनएच-96 पर कुसमी रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पूर्वी भटनी रेलवे जंक्शन के निकट लेवल क्रॉसिंग सं. 115 पर ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री कनकमल कटारा द्वारा राजस्थान के बांसबाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बनेश्वर धाम में पुलों के निर्माण के बारे में।
- (14) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा पालक्काड में एफएम स्टेशन की स्थापना के बारे में।
- (15) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा मनुष्यों और जानवरों के बीच टकराव के बारे में।
- (16) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ में नागरनार स्टील संयंत्र के निजीकरण के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री एस.आर. पार्थिवन द्वारा ईपीएफ पेंशनरों की समस्या के बारे में।
- (18) श्री वी. बालाशौरी द्वारा आंध्र प्रदेश में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने के बारे में।
- (19) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन दिए जाने के बारे में।
- (20) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी द्वारा किसानों को मुआवजे का भुगतान किए जाने के बारे में।
- (21) श्री संतोष कुमार द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण के बारे में।
- (22) श्रीमती संगीता आजाद द्वारा वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण बेरोजगार हुए लोगों के कल्याण के उपायों के बारे में।
- (23) डॉ. गद्दाम रणजीत रेड्डी द्वारा रेलवे स्टेशनों को बंद किए जाने के बारे में।
- (24) श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा प्रवासी आयोग की स्थापना के बारे में।
- (25) श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा तमिलनाडू में तेवराम और सक्कुलातुमेत्तु के बीच सड़क निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (26) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में।

अपराह्न 5.50 बजे

12. केंद्रीय बजट - 2021-2022

आबंटित समय: 10 घंटे
लिया गया समय: 6 घंटे 42 मिनट
शेष: 3 घंटे 18 मिनट

वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री तिरू दयानिधि मारन
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
- 6* श्री के. सुब्बारायण
- 7* श्री पी.आर. नटराजन
- 8* एडवोकेट अदूर प्रकाश
- 9* श्री एस.आर. पार्थिवन
- 10* श्री संजय सेठ
11. श्री अरविंद गणपत सावंत
- 12* डॉ. टी.सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

13. श्री दिनेश चन्द्र यादव
14. श्रीमती शर्मिष्ठा कुमारी सेठी
- 15* श्री रेड्डप्प नालकोंडा गरि
16. श्रीमती संगीता आजाद
- 17* श्री नायब सिंह
18. डॉ. गद्दाम रणजीत रेड्डी
19. श्रीमती सुप्रिया सुले
- 20* श्री पी.पी. चौधरी
21. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या
22. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
23. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
24. श्रीमती नवनिता राणा
25. श्रीमती हेमा मालिनी
26. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
- 27* डॉ. संघमित्रा मौर्य
28. श्री गणेश सिंह
29. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
30. कुमारी दिया कुमारी
31. श्री श्याम सिंह यादव
32. श्रीमती संध्या राय
33. श्री हरीश द्विवेदी
34. श्री निहाल चन्द चौहान
35. श्री मलूक नागर
36. डॉ. भारती प्रवीण पवार

चर्चा पूरी नहीं हुई।

पूर्वाह्न 12.32 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 11 फरवरी, 2021 के अपराह्न 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 फरवरी, 2021/22 माघ, 1942 (शक)

संख्या 100

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

प्रश्न सं. 141 तथा 143-145 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम से तारांकित प्रश्न सं. 142 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

तारांकित प्रश्न सं. 152 और 157 युग्मित किए गए। सदस्य, जिनके नाम से तारांकित प्रश्न सं. 152 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न सं. 157 के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

तारांकित प्रश्न सं. 146 और 154 युग्मित किए गए। सदस्य, जिनके नाम से तारांकित प्रश्न सं. 146 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न सं. 154 के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न सं. 147-151, 153, 155, 156 तथा 158-160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं. 1611-1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जीएस और सीएसएस योजना की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2020-2021 के लिए एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (दो) वर्ष 2020-2021 के लिए एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (तीन) वर्ष 2020-2021 के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (चार) वर्ष 2020-2021 के लिए पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (पांच) वर्ष 2020-2021 के लिए एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन।

- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (9) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा लेखापरीक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता, ऊर्जा लेखापरीक्षक (भवन) और ऊर्जा प्रबंधक) नियम, 2020 जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.607(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ऊर्जा संरक्षण (नामनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत सन्निधिम और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर, और योजना को तैयार करने तथा कार्यान्वयन की रीति, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) संशोधन नियम, 2020 जो 21 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.779(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (4) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) वर्ष 2021-2022 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2020, जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.769(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) अधिसूचना सं. का.आ.4683(अ), जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के उपबंधों का विस्तार उक्त अधिनियमों के अंतर्गत जारी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल महानगर क्षेत्र और इंदौर महानगर क्षेत्र तक किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार सामान्य पूल रिहायशी आवास (संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.593(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2020-2021 के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (दो) वर्ष 2020-2021 के लिए शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (3) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- [illegible]

- (दो) नव मंगलूर पत्तन न्यास, नव मंगलूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) नव मंगलूर पत्तन न्यास, नव मंगलूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) नव मंगलूर पत्तन न्यास, नव मंगलूर के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम् के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (उद्ग्रहण तथा शुल्क और प्रभारों का संग्रह) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईडब्ल्यूएआई/कार्गो/184/2009/खंड-2 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगुन सिंह कुलस्ते) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए इस्पात मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

चौदहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 33	तेरहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 39	दूसरा सत्र, 2009
3.	विवरण संख्या 32	तीसरा सत्र, 2009
4.	विवरण संख्या 33	चौथा सत्र, 2010
5.	विवरण संख्या 33	पांचवां सत्र, 2010
6.	विवरण संख्या 31	छठा सत्र, 2010
7.	विवरण संख्या 31	सातवां सत्र, 2011
8.	विवरण संख्या 34	आठवां सत्र, 2011
9.	विवरण संख्या 31	नवां सत्र, 2011
10.	विवरण संख्या 30	दसवां सत्र, 2012
11.	विवरण संख्या 28	ग्यारहवां सत्र, 2012
12.	विवरण संख्या 26	बारहवां सत्र, 2012
13.	विवरण संख्या 27	तेरहवां सत्र, 2013
14.	विवरण संख्या 22	चौदहवां सत्र, 2013
15.	विवरण संख्या 23	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

16.	विवरण संख्या 22	दूसरा सत्र, 2014
17.	विवरण संख्या 22	तीसरा सत्र, 2014
18.	विवरण संख्या 21	चौथा सत्र, 2015
19.	विवरण संख्या 18	पांचवा सत्र, 2015
20.	विवरण संख्या 18	छठा सत्र, 2015

21.	विवरण संख्या 16	सातवां सत्र, 2016
22.	विवरण संख्या 16	आठवां सत्र, 2016
23.	विवरण संख्या 15	नवां सत्र, 2016
24.	विवरण संख्या 13	दसवां सत्र, 2016
25.	विवरण संख्या 13	ग्यारहवां सत्र, 2017
26.	विवरण संख्या 11	बारहवां सत्र, 2017
27.	विवरण संख्या 10	तेरहवां सत्र, 2017-18
28.	विवरण संख्या 9	चौदहवां सत्र, 2018
29.	विवरण संख्या 8	पंद्रहवां सत्र, 2018
30.	विवरण संख्या 6	सोलहवां सत्र, 2018-19
31.	विवरण संख्या 5	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोक सभा

32.	विवरण संख्या 4	पहला सत्र, 2019
33.	विवरण संख्या 3	दूसरा सत्र, 2019
34.	विवरण संख्या 2	तीसरा सत्र, 2020
35.	विवरण संख्या 1	चौथा सत्र, 2020

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के.सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग- अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 3184 (अ) जो 18 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 8ड. के डिजाइन किमी. 140.470 से किमी. 181.450 तक (वर्तमान में चैनेज किमी. 139.915 से किमी. 180.478 तक) कागवदार-ऊना के चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का. आ. 3185 (अ) जो 18 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 18 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 40) के डिजाइन किमी. 108.850 से किमी. 160.130 तक राष्ट्रीय राजमार्ग- 18 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 40) के रायाचोटी से कडापा खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (तीन) का. आ. 3186 (अ) जो 18 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 548ख पर किमी. 32.225 से किमी. 66.693 तक लोखंडी-सावरगांव-रेनापुर खंड और किमी. 0.000 से किमी. 3.815 तक अम्बजगांव बाईपास परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चार) का. आ. 3217 (अ) जो 22 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड (पैकेज-2) पर एनएचडीपी-4 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 73 के किमी. 33.000 (डिजाइन चैनेज किमी. 35.400) से किमी. 71.640 (डिजाइन चैनेज किमी. 86.855 तक) के गागलहेड़ी-सहारनपुर-यमुनानगर (उत्तरप्रदेश/हरियाणा सीमा) की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पांच) का. आ. 3254 (अ) जो 23 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 544घघ के डिजाइन किमी. 0.00 से किमी. 56.00 तक अनंतपुरामू से कल्याणदुर्ग खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छह) का. आ. 3255 (अ) जो 23 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 5 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 18) के किमी. 0.000 से किमी. 80.600 (डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 81.257 तक) बालासोर से बारीपाडा से झारपोखरिया की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सात) का. आ. 3256 (अ) जो 23 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 361ख के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 50.275 तक कलम्ब-रालेगांव-वाडकी खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (आठ) का. आ. 3298 (अ) जो 25 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 167 के डिजाइन किमी. 15.525 से किमी. 62.880 तक जड़चेरला-कलवाकुर्ती खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (नौ) का. आ. 3425 (अ) जो 30 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 05 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 95) के किमी. 170.380 से किमी. 194.040 तक तलवंडी भाई से फिरोजपुर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (दस) का. आ. 3469 (अ) जो 6 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 925 (डिजाइन चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 136.520 तक) के गागरिया-बौरी-कलां-सेरवा-बाखासर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग- 925क (डिजाइन चैनेज किमी. 0.000 से 60.450 तक) के सत्ता-गांधव खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (ग्यारह) का. आ. 3508 (अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 149 के किमी. 0.000 से किमी. 68.280 तक पल्लाहारा से पीतरी खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का. आ. 3509 (अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 211 (राष्ट्रीय राजमार्ग- 211 से राष्ट्रीय राजमार्ग- 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 61)) के मनवत (तदबोरगांव) तक) के किमी. 342.000 से किमी. 444.000 तक मनवत (तदबोरगांव) खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का. आ. 3510 (अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 221) के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 70.190 तक इब्राहिमपट्टनम से आंध्र प्रदेश/तेलंगाना सीमा खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का. आ. 3637 (अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 57 (बोलनगीर -खुर्दा खंड) के दोनों ओर 1.5 मीटर पीएस के साथ दो लेन सीई के चौड़ीकरण और किमी. 162.010 से किमी.

224.900 तक मजबूत किए जाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (पंद्रह) का. आ. 3638 (अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 381 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 13.400 तक और किमी. 13.800 से किमी. 31.800 तक (वर्तमान किमी. 0.000 से 13.400 तथा 13.800 से 31.800 तक) अविनाशी-त्रिपुर-अविनाशीपलयम खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सोलह) का. आ. 3815 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएचडीपी-फेज 5 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 2) के डिजाइन किमी. 712.900 से किमी. 785.544 तक (वर्तमान किमी. 713.215 से किमी. 785.859 तक) हांडिया-राजातालाब खंड की छह लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सत्रह) का. आ. 3887 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730 के बरहनी-कात्या चौक खंड (किमी. 385.00 से किमी. 420.00 तक) की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अठारह) का. आ. 3888 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-तीन के अंतर्गत झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 के किमी. 0.000 से किमी 40.500 तक बरही-हजारीबाग खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उन्नीस) का. आ. 3889 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 730 के किमी. 323.745 से किमी. 351.000 तक बलरामपुर-तुलसीपुर खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बीस) का. आ. 3890 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 58 के किमी.

131.000 से किमी. 211.000 तक मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का. आ. 3891 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में मन्था तालुक सीमा-वाथुर फाटा-अस्थि-माजलगांव धरुर कैज-कालम्ब यरमला-बरसी के किमी. 101.740 से किमी. 159.258 तक के माजलगांव से कैज खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का. आ. 3939 (अ) जो 2 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 16 के किमी. 1022.494 से किमी. 1100.694 तक गुंडुगोलानू से कनक दुरगम्मा वाराधी खंड तक वर्तमान चार लेन मार्ग की छह लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का. आ. 4033 (अ) जो 9 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेज-चार के बारे में झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 32 के किमी. 0.000 से किमी 56.889 तक गोविंदपुर (राजगंज)-चास-पश्चिम बंगाल सीमा खंड की दो/चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का. आ. 4180 (अ) जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी फेज-दो के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग- 7 के किमी. 624.480 से किमी 653.225 तक सिओनी-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का. आ. 4181 (अ) जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 254 के किमी. 82.400 से किमी 132.300 तक मौर से रमन मंडी तक की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का. आ. 4248 (अ) जो 26 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 42 के डिजाइन किमी. 76.000 से किमी 99.971 तक और किमी. 99.971 से किमी. 133.471 तक अनंतपुरामू से मुदिगुब्बा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (सत्ताईस) का. आ. 4258 (अ) जो 27 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 76 के किमी. 285.000 से किमी. 326.00 तक कालूपुर-ललता खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का. आ. 4423 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 57 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 224) के डिजाइन चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 45.750 तक (वर्तमान चैनेज किमी. 0.000 से किमी. 45.750 तक) बोलनगीर -सोनेपुर खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनतीस) का. आ. 4502 (अ) जो 11 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 74 के डिजाइन किमी. 71.614 से किमी. 170.407 तक (वर्तमान किमी. 73.000 से किमी. 175.000 तक) नगीना-काशीपुर की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तीस) का. आ. 4586 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- संख्या 709ख के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 61.409 तक (वर्तमान किमी. 30.790 से किमी. 92.200 तक) ईपीई चौराहे से शामली बाईपास की शुरुआत तक चार और अधिक लेन खंड परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इकतीस) का. आ. 4587 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- संख्या 58 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 34) के डिजाइन किमी. 209.100 से किमी. 216.824 तक (वर्तमान किमी. 211.000 से किमी. 218.200 तक) और डिजाइन किमी. 158.900 से डिजाइन किमी. 188.324 तक (वर्तमान किमी. 165.000 से किमी. 196.825 तक) हरिद्वार-देहरादून खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बत्तीस) का. आ. 4635 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- संख्या 8ड. के डिजाइन किमी. 287.430 से किमी.

379.100 तक (वर्तमान किमी. 263.200 से किमी. 356.766 तक) गाढ़ू-पोरबंदर खंड के नीचे सारणी-1 के कॉलम (1) में वर्णित वाहनों के प्रकार संबंधी चार और अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैतीस) का. आ. 4791 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में उमापुर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग- 76 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 35) के किमी. 382.930 से किमी. 377.550 तक की संशोधन शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौतीस) का. आ. 27 (अ) जो 5 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग- 6 (रायपुर-औरंग) के किमी. 239.000 से किमी. 281.000 तक दो लेन मार्ग से चार लेन विभाजन तक की परियोजना संशोधन शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैतीस) का. आ. 63 (अ) जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 76 के डिजाइन किमी. 92.025 से 133.500 तक (वर्तमान किमी. 89.600 से 133.520 तक) हरपालपुर-सुगीरा खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का. आ. 64 (अ) जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 233 के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी 65.870 तक (वर्तमान किमी. 0.000 से किमी. 65.000 तक) भारत-नेपाल सीमा से रुधौली खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का. आ. 280 (अ) जो 20 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 58 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 334) के डिजाइन किमी. 166.000 से किमी 209.120 तक (वर्तमान किमी. 166.000 से किमी. 211.000 तक) मुजफ्फरनगर-हरिद्वार खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 जो 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन-एक में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020 जो 23 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (एक) का. आ. 4262 (अ) जो 25 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लद्दाख के लिए 'एलए' पंजीकरण चिन्ह के बारे में है।
- (दो) केन्द्रीय मोटरवाहन (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 26 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय मोटरवाहन (तेरहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 934(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय मोटरवाहन (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 935(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) केन्द्रीय मोटरवाहन (चौदहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 959(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केन्द्रीय मोटरवाहन (पहला संशोधन) नियम, 2020 जो 17 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (सात) का. आ. 295 (अ) जो 22 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो दादरा नागर हवेली और दमन दीव के लिए 'डीडी' पंजीकरण चिन्ह तथा छत्तीसगढ़ के लिए 'सीजी' पंजीकरण चिन्ह के बारे में है।
- (आठ) केन्द्रीय मोटरवाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 11 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 104(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) केन्द्रीय मोटरवाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 16 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) केन्द्रीय मोटरवाहन (चौथा संशोधन) नियम, 2020 जो 22 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 308(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) केन्द्रीय मोटरवाहन (पांचवा संशोधन) नियम, 2020 जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) केन्द्रीय मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2020 जो 26 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) का. आ. 2339 (अ) जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो पंजीकरण चिन्ह के अल्फान्युमेरिक एंड बैकग्राउंड कलर के बारे में है।
- (चौदह) केन्द्रीय मोटरवाहन (सातवां संशोधन) नियम, 2020 जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) केन्द्रीय मोटरवाहन (आठवां संशोधन) नियम, 2020 जो 1 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) का. आ. 3204 (अ) जो 21 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो कोविड-19 के दौरान परिवहन वाहन के द्वारा ऑक्सीजन ले जाने के बारे में है।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग- शुल्क (दरों का नियतन और संग्रहण) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 804(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 109 की उपधारा (3) के अंतर्गत मोटर वाहन (हार्ड सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) संशोधन आदेश, 2020 जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1759 (अ) में प्रकाशित हुए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय मोटर वाहन (शुल्क में ढील) आदेश, 2020, जो 22 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1579 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए वित्त मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) वर्ष 2021-2022 के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सेनिटेशन एंड क्वालिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) वर्ष 2021-2022 के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र षड्गंगी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (2) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (7) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (8) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (9) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (10) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनिताल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनिताल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण
- (13) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एन्टरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एन्टरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) वर्ष 2020-2021 के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच समझौता-जापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 10 फरवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है तथा इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि राज्य सभा को उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना दी जाए।

5. राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री अजय मिश्र टेनी ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) परिपक्वता पर सावधि जमा राशि का भुगतान न करने के सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देओली (केकरी), क्षेत्र - अजमेर पर आरोप लगाने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।
- (2) देश में कृषि व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधनों तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री मनमोहन कालांतरी के अभ्यावेदन के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन।
- (3) देश में पत्रकारिता में सुधार आरंभ करने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री मनोहर सिंह तथा अन्यो के अभ्यावेदन के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) के तैतीसवें से सैंतीसवें प्रतिवेदन (मूल) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

9. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

- (2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
- (3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
- (4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (6) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (7) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (8) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (9) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

10. विदेशी मामलों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने विदेशी मामलों संबंधी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) संभावित उत्प्रवासियों के लिए समुचित विधायी रूपरेखा और कौशल विकास पहलों सहित प्रवासी कामगारों से संबंधित मामले के बारे में 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन*।
- (2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 5वां प्रतिवेदन।
- (3) समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019 संबंधी छठा प्रतिवेदन।
- (4) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2020-21 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

11. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने 'अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

श्री उदय प्रताप सिंह ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की 2019-20 की अनुदानों की मांगों के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 2019-20 की अनुदानों की मांगों के संबंध में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 2019-20 की अनुदानों की मांगों के संबंध में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'उर्वरक राजसहायता तंत्र का अध्ययन' के संबंध में पांचवे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।
- (5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की 2020-21 की अनुदानों की मांगों के संबंध में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।
- (6) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 2020-21 की अनुदानों की मांगों के संबंध में सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।
- (7) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 2020-21 की अनुदानों की मांगों के संबंध में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा

* चौथा प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निर्देश 71क के अंतर्गत 9 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया था और उसे राज्य सभा के माननीय सभापति के समक्ष उनके अवलोकन के लिए भी रखा गया था।

की-गई-कारवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

अपराहन 5.04 बजे

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) ने पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराहन 5.17 बजे

(2) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'हाइड्रो पावर- एक सतत, स्वच्छ और हरित विकल्प' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन (2015-16) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बारे में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पुनरीक्षित रूपरेखा का प्रभाव' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (5) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'हाइड्रो क्षेत्र का विकास' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (2013) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (6) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'हाइड्रो पावर' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन (2019) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

14. प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

“कि यह सभा 10 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-2021 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरा बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा चुनाव सुधारों के बारे में।
- (2) श्री संजय भाटिया द्वारा विभिन्न योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आयु और शुल्क में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जुएल ओराम द्वारा तलचर-विमलगढ़ रेल लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।
- (4) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में।
- (5) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में पीरुमदारा रेलवे स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने तथा यहां दोनों ओर से भूमिगत मार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा नहरों को जोड़े जाने और अधूरी परियोजनाओं के बारे में।
- (7) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा भाषा संहिता में कुडमाली भाषा को शामिल किए जाने के बारे में।
- (8) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की समय सारणी के बारे में।

- (9) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विद्युत संयंत्र में हुई दुर्घटना में घायल होने वाले कामगारों के उपचार के बारे में।
- (10) कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा कर्नाटक में काफी उत्पादकों के लिए विशेष पैकेज दिए जाने के बारे में।
- (11) डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर के जाट समुदाय के लोगों को अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री मनोज कोटक द्वारा वैश्विक महामारी कोविड के करण मुंबई और महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों पर लागू प्रतिबंध के बारे में।
- (13) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा ललितपुर-खजुराहो-पन्ना-सतना ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के लिए मध्य प्रदेश में पन्ना के जिन लोगों की जमीन अधिगृहित की गई है उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं खोले जाने के बारे में।
- (17) श्री वी. कलानिधि द्वारा उत्तर चेन्नई में एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा देश के रेलवे स्टेशनों पर विक्रेताओं की लाइसेंस फीस और बिजली बिल माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के बारे में।
- (21) श्री एस. वेंकटेशन द्वारा मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पुनः खोले जाने के बारे में।
- (22) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा चीन में मेडिकल (चिकित्सा विज्ञान) की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के बारे में।

अपराहन 5.22 बजे

17. केन्द्रीय बजट - 2021-2022

लिया गया समय: 13 घंटे 25 मिनट

वर्ष 2021-2022 के लिए केन्द्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राहुल गांधी
- 2* श्रीमती अपरूपा पोद्दार
- 3* श्री धनुष एम. कुमार
- 4* श्री भर्तृहरि माहताब
- 5* डॉ. वीरेन्द्र कुमार
- 6* श्री ए. गणेशमूर्ति
- 7* श्री देवेन्द्र उर्फ भोले सिंह
- 8* श्री मनोज किशोरभाई कोटक
- 9\$ श्री अनुराग सिंह ठाकुर
10. श्री जयदेव गल्ला
- 11* श्री नलीन कुमार कटील
12. डॉ. के. जयकुमार
13. डॉ. संजय जायसवाल
14. डॉ. मुनियन सेल्वराज
15. श्री अजय मिश्र टेनी
- 16* डॉ. (प्रो.) किरिट पी. सोलंकी
17. श्री हसनैन मसूदी
- 18* श्री श्रीनिवास केसिनेनी
- 19* श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
- 20* श्री चन्देश्वर प्रसाद

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

\$वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

- 21* श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
- 22* श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
23. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
24. श्री मोहम्मद जावेद
- 25* श्री प्रतापराव जाधव
26. श्री के. नवासखनी
- 27* श्री सुदर्शन भगत
- 28* श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
29. कुमारी प्रतिमा भौमिक
- 30* श्री राहुल रमेश शेवाले
31. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
32. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
- 33% श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी
- 34* श्री राकेश सिंह
35. डॉ. एस.टी. हसन
36. श्री हनुमान बेनीवाल
- 37* श्री विवेक नारायण शेजवलकर
38. श्री पी. रविन्द्रनाथ
39. श्री रोडमल नागर
- 40* डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव
41. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
42. श्री दुर्ई मुरुगन कथीर आनन्द
43. श्रीमती जसकौर मीना
44. श्री थोमस चाजिकाडन
- 45* डॉ. उमेश जी. जाधव
46. श्री राजवीर (राजू भैय्या) सिंह
- 47* श्री नामा नागेश्वर राव
48. श्री दीपक बैज
49. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
50. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
51. श्री कौशलेन्द्र कुमार
- 52* श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

%महिला और बाल विकास मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री

53. श्री अनुभव मोहंती
54. श्री शंकर लालवानी
55. श्री रामलु पोथुगन्ती
56. श्री अजय भट्ट
- 57* श्री अच्युतानंद सामंत
58. श्री एंटो एन्टोनी
- 59* श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल
- 60* श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
61. श्रीमती रमा देवी
62. श्री थोल तिरुमावलवन
63. श्री रामदास चंद्रभानजी तडस
64. सुश्री एस. जोतिमणि
65. श्री संगमलाल कडेदीन गुप्ता
66. श्री कनकमल कटारा
- 67* डॉ. डी. रविकुमार
68. श्री विनोद सोनकर
69. श्री बिद्युत बरन महतो
70. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
71. श्री गिरीश चन्द्र
72. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी
73. श्री रामचरण बोहरा
74. डॉ. राजकुमार रंजन सिंह
75. श्री रामशिरोमणि वर्मा
- 76* श्री जगदम्बिका पाल
77. श्री सतीश कुमार गौतम
78. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
79. डॉ. डीएनवी सेंथिल कुमार एस.
80. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
- 81* श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल
- 82* श्री तालारी रंगैय्या
- 83* श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
- 84* डॉ. आलोक कुमार सुमन
- 85* श्री राजेन्द्र धेइया गावित

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- 86* श्रीमती रीती पाठक
87* श्री विष्णु दयाल राम

चर्चा पूरी नहीं हुई।

पूर्वाहन 12.05 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 के अपराहन 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021/23 माघ, 1942 (शक)

संख्या 101

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

प्रश्न सं. 161-166 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न सं. 172 और 180 युग्मित किए गए। सदस्य, जिनके नाम से तारांकित प्रश्न सं. 172 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न सं. 180 के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

तारांकित प्रश्न सं. 167-171 तथा 173-179 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न सं. 1841-2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने 13 फरवरी, 2021 को सभा की बैठक पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होने के बारे में टिप्पणी की। सभा सहमत हुई।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) भारतीय रेशम निर्यात, संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय रेशम निर्यात, संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
 - (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए वस्त्र मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
 - (तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
 - (चार) वर्ष 2021-2022 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसियन रिसर्च, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसियन रिसर्च, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफोरमेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफोरमेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलेओसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलेओसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जरवेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जरवेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) सेंटर फॉर नेनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर नेनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए आयुष मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए आयुष मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (चार) वर्ष 2021-2022 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) (एक) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए विद्युत मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2019-2020 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख:-
- (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (जेएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक रिसर्च), धारवाड़।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय), पटना।
- (तीन) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (जनरल एंड अप्लाइड भूगोल विभाग, डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर।
- (चार) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापत्तनम।
- (पांच) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हेतु संस्थान), बैंगलुरु।
- (छह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।
- (सात) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ), दिल्ली।
- (आठ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, विज्ञान संकाय, महाराज सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय), वडोदरा।
- (नौ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गौहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी।
- (दस) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र), चंडीगढ़।
- (ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स), पुणे।
- (बारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला।
- (तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर।
- (चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम ।
- (पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान), गांधीग्राम।
- (सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।
- (18) वर्ष 2019-2020 के लिए उपर्युक्त मद संख्या (17) में उल्लिखित जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सोलह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत भेषजी में डिप्लोमा कोर्स हेतु शिक्षा विनियम, 2020 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-55/2020-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का. आ. 382(अ) जो 27 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का पुनर्गठन, जिसमें उसमें उल्लिखित व्यक्ति शामिल हैं, किया गया है।
- (दो) का. आ. 4640(अ) जो 22 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का. आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का. आ. 4278(अ) जो 27 नवंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3023(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) सा.का.नि. 906(अ) जो 12 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) सा.का.नि. 113(अ) जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) सा.का.नि. 46(अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का. आ. 2587(अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का पुनर्गठन, जिसमें उसमें उल्लिखित व्यक्ति शामिल हैं, किया गया है।
- (आठ) का. आ. 3659(अ) जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2587(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) सा.का.नि. 714(अ) जो 13 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा द्वारा 5 मार्च, 2020 को हुई उसकी बैठक में लोक लेखा समिति के सात सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए स्वीकृत प्रस्ताव के अनुक्रम में, जिसमें से पांच सदस्य विधिवत रूप से निर्वाचित किए गए थे और सभा को इसकी सूचना 20 मार्च, 2020 को दी गई थी, राज्य सभा लोक लेखा समिति के लिए राज्य सभा की शेष दो रिक्तियों के निर्वाचन के संबंध में लोक सभा को सिफारिश करने के लिए सहमत हुई तथा राज्य सभा से निम्नलिखित दो सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हुए हैं:-

1. श्री भुवनेश्वर कालिता
2. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

6. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :-

(1)	श्री मोहम्मद आजम खां	2.03.2020 से 23.03.2020 और 14.09.2020 से 23.09.2020
(2)	श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	14.09.2020 से 23.09.2020; 29.01.2021 से 13.02.2021; और 8.03.2021 से 8.04.2021
(3)	श्री संजय शामराव धोत्रे, (राज्य मंत्री)	29.01.2021 से 13.02.2021
(4)	श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	29.01.2021 से 13.02.2021
(5)	श्री श्रीधर कोटागिरी	29.01.2021 से 13.02.2021

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खानों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में श्री धरमबीर सिंह के अभ्यावेदन के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।
- (2) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा पी15ख परियोजना के कॉपर-निकेल पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए संविदा(एं) तथा निविदा(एं) देकर अयोग्य बोली लगाने वाले अर्थात् मैसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड पर कथित रूप से विचार किए जाने संबंधी श्री योगेश सरदा के अभ्यावेदन के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।
- (3) दिल्ली में मोटर वाहनों की बड़े पैमाने पर चोरी के बारे में श्री आर.के. सिन्हा, संसद सदस्य, राज्य सभा द्वारा अग्रेषित श्री सुरेश श्रीवास्तव के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा अपने पैंसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन।

8. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने 'महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल: नीतिगत विकल्प' विषय पर ग्यारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2020-2021) का चौथा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जुएल ओराम ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'साधारण निर्वाचनों में रक्षा सेवा कर्मिकों द्वारा परोक्षी और डाक मतदान- एक मूल्यांकन' विषय पर तेईसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (2) 'पहुंच मार्गों सहित रणनीतिक क्षेत्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमा सड़क संगठन(बीआरओ) तथा अन्य अभिकरणों के अंतर्गत ऑल वेदर रोड संपर्क का प्रावधान- एक मूल्यांकन' विषय पर पचासवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (3) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय कोस्ट गार्ड, सैन्य अभियांत्रिकी सेवा, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कैन्टीन स्टोर विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन, सैनिक स्कूल (मांग सं. 18 और 21)' पर 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

- (4) 'सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (5) 'आयुध निर्माणी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (6) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय कोस्ट गार्ड, सैन्य अभियांत्रिकी सेवा, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कैन्टीन स्टोर विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन, सैनिक स्कूल (मांग सं. 18,19,20 और 21)' पर 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (7) 'सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (8) 'आयुध निर्माणी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

10. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।
- (2) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

- (3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।
- (4) 'ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (5) 'ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (6) 'पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों' के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां पंद्रहवां प्रतिवेदन।
- (4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के संबंध में समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

- (एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के कार्यकरण के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 110वें और 121वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 329वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-
- (एक) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

13. अवंतिपुरा, जम्मू-कश्मीर तथा मदुरै स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में से प्रत्येक के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. हर्ष वर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया -

“कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अवंतिपुरा, जम्मू-कश्मीर तथा मदुरै स्थित दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में से प्रत्येक के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराहन 5.07 बजे**

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश में एनएच 730सी को लिंक एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 5.08 बजे से 5.39 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (2) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के अंतर्गत नई रेल लाइनों के निर्माण के बारे में।
- (3) श्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा देश में मानसिक विकार के बढ़ते मामलों के बारे में।
- (4) डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखण्ड के देवघर जिले के कारोवन ब्लॉक में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के बारे में।
- (5) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में 4जी इंटरनेट सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा नंदगांव स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
- (7) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान में हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन में वाशिंग लाइन और सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जाने तथा राजस्थान के गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद की गई रेल सेवाओं को पुनः बहाल किए जाने के बारे में।
- (8) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में।
- (9) श्री गणेश सिंह द्वारा लघु, सूक्ष्म और सीमांत उद्योगों तथा उनके उत्पादों के संवर्धन के बारे में।
- (10) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री लालूभाई बी. पटेल द्वारा केंद्रीय बजट 2021-2022 के बारे में।
- (12) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में बांध के निर्माण के बारे में।
- (13) श्री रमेशभाई एल. धडुक द्वारा गुजरात के पोरबंदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में।
- (15) श्री डीएनवी सैथिलकुमार एस. द्वारा तमिलनाडु में थोप्पुर घाट खण्ड का विस्तार किए जाने के बारे में।
- (16) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पीएसयू की नौकरियों में आरक्षण के बारे में।
- (17) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में नांडियाल स्टेशन से डंपिंग यार्ड को शिफ्ट किए जाने के बारे में।
- (18) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (19) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर ब्लॉक में गोमदाही गांव के निकट पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 5.39 बजे

15. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन - स्वीकृत

#महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020

श्री मनसुख मांडविया ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाए:-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में
"इकहत्तरवें" शब्द के स्थान पर "बहत्तरवें" शब्द प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में
"2020" अंक के स्थान पर "2021" अंक प्रतिस्थापित करें।

खंड 2

3. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 8 में
"अधिसूचित पद" शब्दों के स्थान पर "अधिसूचित" और "अधिसूचित किया गया पद" शब्द प्रतिस्थापित करें।

खंड 54

4. कि पृष्ठ 21, पंक्ति 35 में
"मुंबई में होगा" शब्दों के स्थान पर "किसी ऐसे स्थान पर होगा, जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा" शब्द प्रतिस्थापित करें।

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनसुख मांडविया ने प्रस्ताव किया कि सभा राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और सभा संशोधनों से सहमत हुई।

#विधेयक लोक सभा द्वारा 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया तथा राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 10 फरवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में संशोधनों के साथ विधेयक को पारित किया और इसे उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

अपराहन 5.42 बजे

%16. सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत

लिया गया समय : 2 घंटे 28 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 4 नवम्बर, 2020 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।"

श्री अधीर रंजन चौधरी भी बोले।

संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिए रखा गया और वह अस्वीकृत हुआ।

%17. सरकारी विधेयक - पारित

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया
2. श्री धनुष एम. कुमार
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री पिनाकी मिश्रा
5. डॉ. आलोक कुमार सुमन
6. श्री रितेश पाण्डेय
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. श्री जयदेव गल्ला
10. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
11. श्री हसनैन मसूदी
12. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
13. श्री गोपाल चिनैय्या शेटी
14. श्री एस.आर. पार्थिवन
15. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

%एक साथ चर्चा की गई।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।
खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
श्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.10 बजे

18. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प - विचाराधीन

श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 20 मार्च, 2020 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:-

"यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए-

- (1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;
- (2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;
- (3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाए;
- (4) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था की उपलब्धता सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनका उन्नयन करना; और
- (5) देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अजय मिश्र टेनी
2. श्री हनुमान बेनीवाल
3. श्री जगदम्बिका पाल (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

***रात्रि 10.12 बजे**

19. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री संतोष पान्डेय ने छत्तीसगढ़ी भाषा को मान्यता प्रदान किए जाने तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में रेडियो स्टेशन प्रारंभ किए जाने का मुद्दा उठाया।

श्री कुलदीप राय शर्मा, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल सहयोजित हुए।

&श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तर दिया।

रात्रि 11.11 बजे

(लोक सभा शनिवार, 13 फरवरी, 2021 के पूर्वाह्न 10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

*रात्रि 9.11 बजे से रात्रि 11.11 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

&पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शनिवार, 13 फरवरी, 2021/24 माघ, 1942 (शक)

संख्या 102

पूर्वाह्न 10.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए रक्षा सेवा अनुमान।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की निर्गत परिणामी रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(दो) वर्ष 2021-2022 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) विपरीतलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विपरीतलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 जो दिनांक 25 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 592 (ड) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने महिला और बाल विकास मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी) की ओर से वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच समझौता-जापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा की वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

- (दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
(दो) भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
(दो) भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
(दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (घ) और (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2020-2021 के लिए इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन ।
- (4) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वर्ष 2021-2022 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

1. (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में-केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड), नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2020-2021 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पाद बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 जो 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 जो 13 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.423(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (प्रथम) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2016-पीएंडडी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (द्वितीय) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13/01-2019-पीएंडडी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अधिसूचना संख्या एन-12/13/01-2019-पीएंडडी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संशोधन के बारे में है, तथा जो 11 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छह) अधिसूचना संख्या एन-12/13/01-2019-पीएंडडी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संशोधन के बारे में है, तथा जो 11 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

(6) उपर्युक्त 5 की मद सं. 1,3 और 4 में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.675(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.676(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2020 जो 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.555(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) उपर्युक्त (7) की मद (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।

(दो) वर्ष 2021-2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

(2) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) डॉ. अम्बेडकर होटल प्रबन्ध कैटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, चंडीगढ़।

(दो) होटल प्रबन्ध और कैटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम।

(तीन) होटल प्रबन्ध, कैटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली।

(चार) होटल प्रबन्ध, कैटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, लखनऊ।

(पांच) होटल प्रबन्ध, कैटरिंग एवं पोषाहार संस्थान, शिमला।

(छह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई।

(सात) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।

(आठ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।

(नौ) होटल प्रबन्ध, कैटरिंग एवं पोषाहार संस्थान(सोसाएटी), गुरदासपुर।

(दस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (कलकत्ता) सोसाइटी, कोलकाता।

(ग्यारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग।

(बारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।

(तेरह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर।

(चौदह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।

(पंद्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।

(सोलह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

(सत्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।

(अठारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

(उन्नीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बेंगलोर।

(बीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।

(इक्कीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गांधीनगर।

(बाईस) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग तकनीक परिषद, नोएडा।

- (3) उपर्युक्त मद सं. (2) में उल्लिखित संस्थानों के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन क्लीनरी इंस्टीट्यूट (तिरुपति और नोएडा), नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन क्लीनरी इंस्टीट्यूट (तिरुपति और नोएडा), नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह-लद्दाख के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह-लद्दाख के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह-लद्दाख के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इलाहाबाद संग्राहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलाहाबाद संग्राहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दहूंग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दहूंग के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) गाडन रेबजीलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गाडन रेबजीलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) फुटवियर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फुटवियर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) वर्ष 2020-2021 के लिए हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ज) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता-जापन।
- (दो) वर्ष 2020-2021 के लिए मेकोन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता-जापन।
- (तीन) वर्ष 2020-2021 के लिए एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता-जापन।
- (चार) वर्ष 2020-2021 के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता-जापन।
- (पांच) वर्ष 2020-2021 के लिए एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता-जापन।
- (छह) वर्ष 2020-2021 के लिए केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता-जापन।
- (सात) वर्ष 2020-2021 के लिए एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता-जापन।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) एन्ड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एन्ड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2020-2021 के लिए एन्ड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
- (दो) वर्ष 2020-2021 के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
- (3) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सोसायटी ऑफ खृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी ऑफ खृष्ट ज्योति, वाराणसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि डीफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि डीफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अलकेन्दु बोध आवासीय निकेतन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011, 2011-2012 तथा 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अलकेन्दु बोध आवासीय निकेतन, कोलकाता के वर्ष 2010-2011, 2011-2012 तथा 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) वोलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वोलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एलईबीईएनएसएचआईएलएफई, विशाखापट्टनम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एलईबीईएनएसएचआईएलएफई, विशाखापट्टनम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) टाईप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोबाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाईप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोबाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोबाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोबाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मॅटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मॅटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) पहल (विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति), कानपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पहल (विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति), कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सेंट एन्स मनोविकास केंद्र, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट एन्स मनोविकास केंद्र, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सिरी इंस्टीट्यूट फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिरी इंस्टीट्यूट फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, समालकोट के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) उमा एजुकेशनल एंड टेक्नीकल सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम), काकीनाडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उमा एजुकेशनल एंड टेक्नीकल सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम), काकीनाडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) शान्तिनिकेतन-रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शान्तिनिकेतन-रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, वनस्थलीपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) साधना सोसायटी फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साधना सोसायटी फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) मानसिक विकास केंद्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मानसिक विकास केंद्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर दी मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2021-2022 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (दो) वर्ष 2021-2022 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) (एक) भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 3257(अ) जो 24 सितंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (दो) का.आ. 4584(अ) जो 18 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (5) भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) भांडागार (विकास और विनियमन) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संशोधन नियम 2020 जो 21 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 670(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भांडागार (विकास और विनियमन), भांडागारों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2020 जो 22 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 782(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंचकूला का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) पौध किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पौध किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पौध किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (एक) कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 30 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 805(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 2582(अ) जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में दर्शायी गई सामग्रियां उल्लिखित हैं।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रिजन), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) *केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई* के वर्ष 2016-2017 और 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) समग्र शिक्षा गुजरात काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा गुजरात काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेन्ट्री एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेन्ट्री एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) समग्र शिक्षा उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा तेलंगाना, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (46) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2020-2021 के लिए ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
 - (दो) वर्ष 2020-2021 के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
 - (तीन) वर्ष 2020-2021 के लिए ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
 - (चार) वर्ष 2020-2021 के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा संचार मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन।
- (47) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुदुचेरी, कराइकल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुदुचेरी, कराइकल के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) समग्र शिक्षा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, श्रीनगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, श्रीनगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (54) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (64) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बरहामपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बरहामपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2018-2019 तथा वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) समग्र शिक्षा त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (73) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजॉल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, वारंगल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, वारंगल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) (एक) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा के वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वड़ोदरा के वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) उपर्युक्त (89) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (91) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) उपर्युक्त (91) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) उपर्युक्त (93) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) उपर्युक्त (97) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (99) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (100) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (101) उपर्युक्त (100) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (104) उपर्युक्त (103) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (105) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (106) उपर्युक्त (105) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (107) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (108) उपर्युक्त (107) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (109) (एक) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (110) उपर्युक्त (109) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (111) (एक) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-20 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (112) उपर्युक्त (111) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (113) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (114) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (समग्र शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (समग्र शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (115) उपर्युक्त (114) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (116) (एक) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (117) उपर्युक्त (116) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (118) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (119) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमन, 2020, जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. सीए/193/2020/एमएसईआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (120) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (121) उपर्युक्त (120) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वर्ष 2019-2020 के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्यक्रम और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (दो) वर्ष 2019-2020 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यक्रम और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (तीन) वर्ष 2019-2020 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यक्रम और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

- (चार) वर्ष 2019-2020 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (पांच) वर्ष 2019-2020 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (छह) वर्ष 2019-2020 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सात) वर्ष 2019-2020 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (आठ) वर्ष 2019-2020 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (नौ) वर्ष 2019-2020 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (दस) वर्ष 2019-2020 के लिए कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ग्यारह) वर्ष 2019-2020 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (बारह) वर्ष 2019-2020 के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (तेरह) वर्ष 2019-2020 के लिए सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (चौदह) वर्ष 2019-2020 के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (पंद्रह) वर्ष 2019-2020 के लिए आंध्रा बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सोलह) वर्ष 2019-2020 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सत्रह) वर्ष 2019-2020 के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखा तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।
- (10) (एक) उपर्युक्त मद संख्या (9) में उल्लिखित बैंकों के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सत्रह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) वर्ष 2020-21 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन:-
- (एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
- (दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, काडपा
- (तीन) आर्यवर्त बैंक, लखनऊ
- (चार) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाहरलागुन
- (पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- (छह) बंगिय ग्रामीण विकास बैंक, बरहामपुर
- (सात) बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा
- (आठ) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
- (नौ) बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, गोरखपुर
- (दस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
- (ग्यारह) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर
- (बारह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

(तेरह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर
(चौदह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
(पंद्रह) जेएंडके ग्रामीण बैंक, जम्मू
(सोलह) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची
(सत्रह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक
(अठारह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड
(उन्नीस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी
(बीस) केरल ग्रामीण बैंक, तिरुवनंतपुरम
(इक्कीस) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, पटना
(बाईस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
(तेईस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद
(चौबीस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
(पच्चीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग
(छब्बीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल
(सत्ताईस) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा
(अट्ठाईस) ओडिशा ग्राम्या बैंक, भुवनेश्वर
(उनतीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावडा
(तीस) प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
(इकतीस) पुदुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुदुचेरि
(बत्तीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
(तैंतीस) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर
(चौंतीस) राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर
(पैंतीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर
(छत्तीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
(सैंतीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
(अइतीस) तमिलनाडु ग्राम बैंक, सलेम

- (उनतालीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
- (चालीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
- (इकतालीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलंगीर
- (बयालीस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
- (तैंतालीस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- (चौवालीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून
- (पैंतालीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
- (18) वर्ष 2019-2020 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पैंतालीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 60(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 61(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 62(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 25/99-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 63(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 24/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 64(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 2 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 08/2020-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 65(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सा.का.नि. 66(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 153/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि. 67(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि. 69(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल हेतु कृषि अवसंरचना और विकास प्रशुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करने की मांग की गई है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 70(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 12/2018-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) सा.का.नि. 71(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 7106 और 7108 के अंतर्गत आनेवाले सभी माल को भारत में आयातित किए जाने पर छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेरह) सा.का.नि. 72(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 73(अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 27 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पंद्रह) आयात (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 74(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सोलह) सा.का.नि.52(अ) जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियम, 2017 के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशक के अंतिम निष्कर्षों की सिफारिश पर अधिरोपित अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के अधिरोपण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कोरिया आरपी से "पॉलीब्यूटेडीन रबर, टिटेनियम और लीथियम ग्रेड को छोड़कर" के आयात पर निश्चयात्मक द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सत्रह) सा.का.नि. 615(अ) जो 5 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे,

जिनके द्वारा 14 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 13/2020-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(अठारह) सा.का.नि. 657(अ) जो 21 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा वस्त्रों और उनसे निर्मित सामान के निर्यात पर राज्य लेवी के रिबेट की स्कीम के अंतर्गत जारी भारत में आयातित और शुल्क क्रेडिट स्क्रीप से स्वीकृति प्राप्त माल पर सीमा-शुल्क की विनिर्दिष्ट इयूटी से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

21 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.78(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) के 2 फरवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि हेतु उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन पर अस्थाई रोक लगाने के निमित्त कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(दो) सा.का.नि. 79(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 38/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के 2 फरवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि हेतु उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन पर अस्थाई रोक लगाने के निमित्त कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(तीन) सा.का.नि. 80(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा दिनांक 23 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या 16/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के 2 फरवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि हेतु उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन पर अस्थाई रोक लगाने के निमित्त कतिपय संशोधन किए गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(चार) सा.का.नि. 81(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 02/2020- सीमा शुल्क (सीवीडी) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(पांच) सा.का.नि.82(अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (सीवीडी) के 2 फरवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 की अवधि हेतु उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन पर अस्थाई रोक लगाने के निमित्त कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(छह) सा.का.नि. 7(अ) जो 6 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 28 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 2/2016-सी.शु.(एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (सात) सा.का.नि. 53(अ) जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 3/2018-सी.शु.(एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि. 54(अ) जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 23 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 27/2016-सी.शु.(एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) सा.का.नि. 58(अ) जो 30 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख अर्थात् 30 जनवरी, 2021 से 30 माह की अवधि के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में उदभूत या उससे निर्यात होने "स्टयरिंग नकल्स मैट फॉर हैवी एंड मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल्स" के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (22) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 83 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 84 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 05/2019-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 85 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय मिश्रित ईंधनों को कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 86 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा एम-15 तथा ई-20 ईंधनों को विशिष्ट अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने तथा कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर के संदर्भ को उपयुक्त उत्पाद शुल्क में जोड़ने के निमित्त दिनांक 13.05.2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि. 87 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय एम-15 ईंधन को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) सा.का.नि. 88 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय ई-20 ईंधन को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) सा.का.नि. 89 (अ) जो दिनांक 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर के संदर्भ को उपयुक्त उत्पाद शुल्क में जोड़ने के निमित्त दिनांक 02.02.2018 की अधिसूचना संख्या 10/2018-

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 11/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा 13/2018-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 658 (अ) जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय विनिर्मित उत्पादों को रिबेट ऑफ स्टेट लेवी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गार्मेंट्स एण्ड मेड-अप्स योजना के अन्तर्गत जारी की गई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को स्वीकृत किये जाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियां) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 21 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2021/07 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/06 जो 20 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 11 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन / 2021 /04 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(24) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2020 जो 13 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2020 जो 13 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी002 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (ग्लोब इन हाउस सेंटर) विनियम, 2020 जो 13 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी003 में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 जो 20 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी004 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 जो 11 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी005 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) का.आ.57(अ) जो 06 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2527(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (आठ) का.आ.3652(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वायुयान पट्टे को अधिसूचित किया गया है जिसमें वायुयान या हेलीकॉप्टर के प्रचालन और वित्तीय पट्टे तथा प्रचालन और वित्तीय पट्टे का कोई हाईब्रिड तथा वायुयान या हेलीकॉप्टर के इंजन या उनके कोई अन्य भाग वित्तीय उत्पाद के रूप में शामिल होंगे।
- (नौ) का.आ.3653(अ) जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं, जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा पात्रता मानदंड विनियमों में उपबंधित किए जाएंगे, से संबंधित सेवाएं देने के लिए वित्तीय सेवा के रूप में इनहाउस सेंटर अधिसूचित किए गए हैं।
- (दस) का.आ.2844(अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 2020 की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उसमें उल्लिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 26 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2869(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था।
- (ग्यारह) का.आ.2957(अ) जो 31 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय वित्तीय उत्पादों तथा वित्तीय सेवाओं को अधिसूचित किया गया है तथा जो निदेश करता है कि प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य में उसमें उल्लिखित उक्त वित्तीय उत्पाद तथा वित्तीय सेवाओं का विनियमन शामिल होगा।
- (बारह) का.आ.3374(अ) जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 01 अक्टूबर, 2020 की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब उसमें उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
- (तेरह) का.आ.1383(अ) जो 27 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 अप्रैल, 2020 की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण की स्थापना

की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा उक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय गांधी नगर, गुजरात में होगा।

(चौदह) का.आ.1384(अ) जो 27 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 अप्रैल, 2020 की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के उसमें उल्लिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(25) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन(संशोधन) विनियम, 2020 जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत 08 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/32 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/05 जो 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बाजार भागीदारों का केन्द्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003 तत्काल प्रभाव से निरसित किए गए हैं।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 11 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/04 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/38 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार पद्धति का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/36 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 07 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/36 में प्रकाशित हुए थे।

27. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2020 जो 22 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1278(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 27 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1374(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2442(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2020 जो 08 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4441(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (28) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उपनियम तथा दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 14 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी068 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (न्याय निर्णयन प्राधिकरण को आवेदन) संशोधन नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (29) उपर्युक्त मद संख्या (28)(दो) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (30) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2020 जो 9 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचआर/पीपीजी/पीए/19-20/112 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (31) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन योजना, 2021 जो दिनांक 27 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 366(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन योजना, 2021 जो दिनांक 27 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 367(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. बीओआई/एचओ/एचआर/आईआर/जीएस/एल-241 (अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (32) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एचआरवी सं. एल 001127473/कर्मचारीवृंद सामान्य (2) जो 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारीवृंद) विनियम 2001 में संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 132 के अंतर्गत सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) योजना (संशोधन) नियम, 2020 जो 14 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 295(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (35) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 134 के अंतर्गत सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) योजना (कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2020 जो 13 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (36) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जी/19-सीडब्ल्यू/9/2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) का.आ. 3201 (अ) जो 21 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 3 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1693 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (37) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/71/2020 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/71ए/2020 में प्रकाशित हुआ था ।
- (दो) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम 2020, जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/193/2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (38) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. 104/40/लेखा में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) कंपनी सचिव (व्यावसायिकों और अन्य अवचार की जांच की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) संशोधन नियम, 2020 जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 696 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) सा.का.नि. 726 (अ) जो 17 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (चार) सा.का.नि. 33 (अ) जो 14 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

- (पांच) सा.का.नि. 339 (अ) जो 1 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (39) उपर्युक्त (38) की मद सं. (पांच) के (चार) पर उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सीमाशुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर प्रति-पाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सीमाशुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सीमाशुल्क टैरिफ (संरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 77(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे
- (दो) इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) (एक) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 23 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में डॉ. के. केशव राव की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा राज्य सभा के सदस्य श्री हरद्वार दुबे, जिन्हें उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है, के नाम की सूचना भी दी।

3. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री अजय मिश्र टेनी ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 10.02.2021 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) “आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोध (माने गए)” के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (2) “आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोध (न माने गए)” के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (3) “विद्युत मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा” के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।
- (4) “युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा” के बारे में बीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

पूर्वाहन 10.03 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री डी. रविकुमार द्वारा शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले वेबिनारों पर प्रतिबंधों के बारे में।
- (2) डॉ. बी.वी. सत्यवती द्वारा विशाखापत्तनम जिले में शारदा नदी पर पुल के निर्माण के कारण हो रही समस्याओं के बारे में।

पूर्वाह्न 10.05 बजे

6. केन्द्रीय बजट - 2021-2022

लिया गया समय : 14 घंटे 42 मिनट

वर्ष 2021-2022 के लिए केंद्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्री अशोक महादेवराव नेते
2. श्री एम.के. राघवन
3. श्री श्रीकृष्णा देवरायाळू लावू
4. श्री देवजी एम. पटेल
5. श्री अक्षयवर लाल
6. श्री कुलदीप राय शर्मा
7. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
8. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
9. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
10. श्री तीरथ सिंह रावत
11. श्री राजू बिष्ट
12. श्री सुनील कुमार सिंह
13. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
14. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
15. श्री रामशिरोमणि वर्मा
16. श्री अजय टम्टा
17. श्री अशोक कुमार रावत
18. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
19. श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे
20. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
21. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
22. श्री राहुल कस्वां
23. डॉ. मनोज राजोरिया

श्रीमती निर्मला सीमारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

पूर्वाहन 11.22 बजे

%7. सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत

लिया गया समय : 3 घंटे 57 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 2021 को प्रख्यापित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

श्री अधीर रंजन चौधरी भी बोले।

संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिए रखा गया और वह अस्वीकृत हुआ।

%8. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथा पारित

श्री जी. किशन रेड्डी ने श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री हसनैन मसूदी
2. डॉ. सत्यपाल सिंह
3. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री चिंता अनुराधा
6. श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह
7. श्री मलूक नागर
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
11. श्री बृजेन्द्र सिंह
12. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

%एक साथ चर्चा की गई।

13. श्री जामयांग शेरींग नामग्याल
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्री जुगल किशोर शर्मा
16. श्री असादुद्दीन ओवैसी
17. श्री जसबीर सिंह गिल

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी. किशन रेड्डी ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

***अपराहन 3.34 बजे**

9. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021

(दो) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

अपराहन 5.18 बजे

(लोक सभा सोमवार, 8 मार्च, 2021 के अपराहन 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

*अपराहन 3.20 बजे से अपराहन 5.18 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 103

अपराहन 4.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री मोहन एस. देलकर, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; श्री नंद कुमार सिंह चौहान, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; श्री राजेंद्र कुमार शर्मा, छठी और दसवीं लोक सभा के सदस्य; श्री सरत कर, छठी लोक सभा के सदस्य; श्री एम.आर. कादंबुर जनार्तनन, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य; श्री एम. दीवीकन, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य; श्री महावीर भगोरा, चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; कैप्टन सतीश शर्मा, 10वीं, 11वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य; और श्री डी. पंडियन, 9वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(लोक सभा अपराहन 4.07 बजे स्थगित हुई तथा
अपराहन 5.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 5.01 बजे

2. प्रश्न

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् अपराहन 5.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी इसलिए तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर देने के लिए नहीं लिए जा सके थे। अतः दिन के लिए कार्यसूची में रखे गए तारांकित प्रश्न संख्या 181-200 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071-2300 के उत्तरों के साथ दिन के लिए अधिकारिक प्रतिवेदन में मुद्रित किए जाएंगे।

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक उल्लेख किया।

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा धन्यवाद की अभिव्यक्ति के बारे में राष्ट्रपति से एक संदेश प्राप्त होने की घोषणा की।

5. अध्यक्ष द्वारा लोक सभा की बैठक के संबंध में घोषणा

अध्यक्ष ने घोषणा की कि 9.03.2021 से लोक सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारंभ होगी।

अपराह्न 5.04 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
(ख) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 45 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सीए-31037/5/2019-सीए/पीएनजी, जो दिनांक 9 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021, जो 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य संचालन के बारे में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020, जो 26 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीसीआई/सीडी/संशोधन/संयोजन विनियम/2020 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 399(अ) जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. आईसीएसआई सं. 01, जो 23 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो संस्थान की परिषद के सदस्य के त्यागपत्र के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण) संशोधन योजना, 2021, जो 9 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 611(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 के लिए निर्गत परिणामी रूपरेखा।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (एक) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी 341वां प्रतिवेदन।
- (दो) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी 342वां प्रतिवेदन।
- (तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी 343वां प्रतिवेदन।
- (चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी 344वां प्रतिवेदन।

- (पांच) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी 345वां प्रतिवेदन।
(छह) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी 346वां प्रतिवेदन।
(सात) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी 347वां प्रतिवेदन।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. महेश शर्मा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों 2020-21 (मांग सं. 42) के बारे में समिति के 118वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 125वां प्रतिवेदन।
(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2021-22 (मांग सं. 44) संबंधी 126वां प्रतिवेदन।
(तीन) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2021-22 (मांग सं. 45) संबंधी 127वां प्रतिवेदन।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी छठा प्रतिवेदन।
(दो) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) 'रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाएं' संबंधी छठा प्रतिवेदन।
(दो) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

11. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों' (2021-22) संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (दो) जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों' (2021-22) संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

13. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:-

- (एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 5.14 बजे स्थगित हुई तथा
सायं 7.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

सायं 7.00 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीईडीए एक्ट) की दूसरी अनुसूची में और अधिक उत्पादों को शामिल किए जाने के बारे में ।
- (2) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तरियासूजन रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 05114, 05113, 55008 और 55007 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (3) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर और धमतरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अटल भू-जल योजना को कार्यान्वित किए जाने के बारे में ।
- (5) प्रो. (डॉ.) रामशंकर कठेरिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लायन सफारी पार्क का उन्नयन राष्ट्रीय सफारी पार्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के बिल्हौर तहसील मुख्यालय में एक मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्री हंसमुखभाई एस. पटेल द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर फुटओवरब्रिज के निकट स्थित फूड स्टॉलों को स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एफएम प्रसारण के लिए दस किलोवाट का ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा भंडारा जिले (महाराष्ट्र) और बालाघाट जिले (मध्य प्रदेश) के बीच बावनथडी नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्री राहुल कस्वां द्वारा पेसेंजर ट्रेन सेवाओं को पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में सिनकोना पौधारोपण को पुनः आरम्भ किए जाने के बारे में।
- (13) श्री विनसेंट एचपाला . द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में ।
- (14) डॉ. कलानिधि द्वारा चेन्नै में रेल ओवरब्रिज के निर्माण के बारे में ।
- (15) प्रोसौगत . राय द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वापस लिए जाने के बारे में ।
- (16) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के रोहतास जिले में काओ नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (17) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा आकाशवाणी की हिन्दी भाषा आधारित सेवाओं को पुनः आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (18) श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलू के अनुरूप अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के बारे में ।
- (19) एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ द्वारा कायमकुलम में एनटीपीसी केन्द्रीय विद्यालय को बन्द किए जाने के बारे में ।
- (20) श्री एनप्रेमचन्द्रन .के . द्वारा कोल्लम के असरामम में ईएसआई मॉडल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विद्यमान अवसंरचना का उन्नयन किए जाने के बारे में ।

सायं 7.03 बजे

15. ध्यानाकर्षण - नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा में परिवर्तित

अध्यक्षपीठ ने टिप्पणी* की कि ध्यानाकर्षण के अंतर्गत सूचीबद्ध महिला सशक्तिकरण के विषय के महत्व को देखते हुए इसे नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा में परिवर्तित किया जाए ताकि अधिक सदस्य चर्चा में भाग ले सकें।

तदनुसार डॉ. बी.वी. सत्यवती ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. संघमित्रा मौर्य
2. श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी)
3. श्रीमती नवनित रवि राणा

सायं 7.29 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 9 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 मार्च, 2021/18 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 104

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 तथा 202 के मौखिक उत्तर दिए गए।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.18 बजे स्थगित हुई तथा
अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 12.01 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 203-220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301-2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजुर्न राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ.) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा ।

- (दो) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता जापन।
- (दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता जापन।
- (तीन) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच

वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्दास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्दास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) हेण्डीकैप्ड डवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) हेण्डीकैण्ड डवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) काउंसिल फॉर डवलपमेंट ऑफ पुअर एण्ड लेबरर्स, इंफाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर डवलपमेंट ऑफ पुअर एण्ड लेबरर्स, इंफाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) नेशनल हेण्डीकैण्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हेण्डीकैण्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) उपर्युक्त (4) की मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) अश्रा-अक्रुति, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अश्रा-अक्रुति, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 4 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 319(अ) जो 21 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित सिटी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किसानों को सीधे बड़ी मात्रा में सिटी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स हवलदार (ऑपरेटर रेडियो और लाइन), कम्बैटाइज्ड पद, भर्ती नियम, 2020, जो 16 जनवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 02 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल निरीक्षक (पुस्तकालय अध्यक्ष) (कम्बैटाइज्ड, गैर-राजपत्रित, समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020, जो 16 जनवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 03 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2021, जो 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 21वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 22वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे

- में 23वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) "रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 24वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
 - (5) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 25वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
 - (6) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 26वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
 - (7) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 27वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
 - (8) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 28वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
 - (9) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 29वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
 - (10) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 30वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
- (3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

6. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 13 वां प्रतिवेदन।
- (2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 14वां प्रतिवेदन।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. शिक्षा, महिला, बाल, युवक और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुभव मोहंती ने शिक्षा, महिला, बाल, युवक और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी 323वां प्रतिवेदन।
- (2) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी 324वां प्रतिवेदन।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 287वां प्रतिवेदन।
- (2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 288वां प्रतिवेदन।

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (मनसुख मांडविया) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:-

- (1) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

12. दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री थावरचंद गहलोत ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस अवधि के लिए, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहते हैं, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.07 बजे स्थगित हुई तथा
अपराहन 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 2.02 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान में बजरी के अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक अतिरिक्त नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ में शैक्षिक संस्थानों के स्थानांतरण के बारे में।
- (4) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा मेरठ में एक सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।
- (6) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत की गई किसानों की भूमि के लिए उनको पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र में लातूर रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन के निर्माण हेतु पर्याप्त निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (9) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा भुज-बारमेड़-थारद रेल लाइन का निर्माण आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा 'वैपकोस' परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने के बारे में ।
- (11) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर क्वेरेन्टाइन प्लांट सुविधा स्थापित किए जाने के बारे में।
- (12) श्रीमती गीता कोडा द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण हेतु धनराशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (13) श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा प्लेन पावरलूम/मिल सेक्टर की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (14) डॉ. बी. वी. सत्यवती द्वारा आरएंडबी रोड को चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के बारे में।
- (15) श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा महाराष्ट्र में एनएच-548सी/एनएच-63 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा गोपालगंज जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (17) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में राजमार्गों को चौड़ा किए जाने और उनकी मरम्मत किए जाने तथा एक बाईपास और एक आरओबी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.04 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 10 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 105

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न संख्या 221, 222 तथा 224 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उत्तर पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 221 पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया था। तारांकित प्रश्न संख्या 222 तथा 224 पर सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 223 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.32 बजे स्थगित हुई तथा
अपराह्न 12.31 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 12.31 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 225-240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531-2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंटरनेशनल जिओलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंटरनेशनल जिओलॉजिकल कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) कोल माइंस प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) कोल माइंस प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डिक्राफ्ट्स और हैण्डलूम्स डेपलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।
- (4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो 21 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2018 जो 21 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 781(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 813(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2021 जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 9 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 107(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 9 फरवरी, 2021 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोल्लम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोल्लम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 1681(अ) जो 28 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पैरासिटामोल एपीआई की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
 - (दो) का.आ. 1698(अ) जो 1 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
 - (तीन) का.आ. 1819(अ) जो 10 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

नैदानिक किट/प्रयोगशाला रिजेन्ट्स/नैदानिक अपारट्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

- (चार) का.आ. 1860(अ) जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मानव भ्रूणों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 1963(अ) जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन एपीआई और उसके फार्मूलेशन की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 1996(अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (सात) का.आ. 2125(अ) जो 29 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 2311(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मास्क और कवरऑल्स के लिए वस्त्र कच्ची सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 2405(अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (दस) का.आ. 2471(अ) जो 28 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 2586(अ) जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वेंटिलेटर्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 2680(अ) जो 10 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10 अनुसूची 2, क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 2720(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वर्ष 2020-21 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 2797(अ) जो 18 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मास्क और कवरऑल्स के लिए वस्त्र कच्ची सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 2860(अ) जो 25 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 3130(अ) जो 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो प्याज की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

- (सत्रह) का.आ. 3471(अ) जो 6 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (अठारह) का.आ. 3504(अ) जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ. 3610(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (बीस) का.आ. 3750(अ) जो 22 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ. 3903(अ) जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज बीजों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (बाईस) का.आ. 4641(अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सकीय गोगल्स और नाइट्राइल/एनबीआर ग्लव्स की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (तेईस) का.आ. 4740(अ) जो 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विधेयकों पर सहमति

महासचिव ने 2 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत पिछले प्रतिवेदन के पश्चात् से 17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 2 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

- (1) महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021;
- (2) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 ।

5. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 23वां प्रतिवेदन।
- (3) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री उन्मेश भैर्यासाहेब पाटिल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 5वां प्रतिवेदन।
- (2) 'जैव-ईंधन के विशेष संदर्भ के साथ अपारंपरिक ईंधनों के उत्पादन में प्रगति की समीक्षा' विषयक

छठा प्रतिवेदन।

अपराहन 12.34 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सोमवार, 15 मार्च, 2021 से आरंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.36 बजे

8. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि यह सभा 9 मार्च, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अध्यक्षपीठ द्वारा बैठक रद्द किए जाने की घोषणा

अध्यक्षपीठ ने शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 के लिए नियत सभा की बैठक को रद्द किए जाने की घोषणा[%] की।

अपराहन 12.37 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 82बी पर रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री रामदास सी. तडस द्वारा कपास पर जीएसटी (आरसीएम) लगाए जाने के बारे में ।
- (3) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा न्यायालय में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई के बारे में ।
- (4) श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति के बारे में ।
- (5) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली में 'ओ' क्षेत्र का निर्धारण किए जाने के बारे में ।
- (6) श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) द्वारा उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (7) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा रांची-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस की सेवाएं पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री संजय सेठ द्वारा जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी की चल एवं अचल संपत्ति के बारे में ।
- (10) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्री जी. एस. बसवराज द्वारा घुमक्कड़ कादुगोल्ला समुदाय की अमानवीय दशा के बारे में ।
- (12) श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा गन्ना किसानों की लंबित बकाया राशि के बारे में ।
- (13) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा बीईएमएल में विनिवेश के बारे में ।
- (14) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा एक अमेरिकन कंपनी के साथ केरल सरकार के कथित विवादास्पद सौदे के बारे में ।
- (15) श्री सदाशिव किसान लोखंडे द्वारा महाराष्ट्र के शिर्डी हवाई अड्डे पर कार्गो सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा आकांक्षी जिलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के बारे में ।

*अपराहन 12.51 बजे

11. (एक) सांविधिक संकल्प - पेश नहीं किया गया

(दो) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

लिया गया समय: 27 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेश किया गया:-

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. श्रीमती चिंता अनुराधा
4. डॉ. आलोक कुमार सुमन

* अपराहन 12.38 बजे से अपराहन 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 7 स्वीकृत हुए।

विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हरदीप सिंह पुरी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

*(लोक सभा अपराह्न 1.18 बजे स्थगित हुई तथा
अपराह्न 2.33 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.33 बजे

12. केन्द्रीय बजट - 2021-2022 - अनुदान की मांग

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 09 मिनट

शेष: 3 घंटे 51 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 84 पर चर्चा आरंभ हुई।

तत्पश्चात् अध्यक्षपीठ ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव को पेश किए जाने के संबंध में टिप्पणी# की।

श्री राम कृपाल यादव ने चर्चा में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 2.42 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 15 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 106

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष महामहिम श्री दुआर्ते पचेको के स्वागत के संबंध में घोषणा की, जो सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर आए हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. प्रश्न

(एक) सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न संख्या 261, 262, 266, 268, 269 तथा 270 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे।

तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 261 तथा 262 के संबंध में सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266, 268, 269 तथा 270 के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 263, 264, 265, 267 तथा 271 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 272-280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 2991-3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दो) चूंकि शुक्रवार, 12 मार्च, 2021 के लिए निर्धारित लोक सभा की बैठक रद्द कर दी गई थी, इसीलिए उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 241-260 को अतारांकित माना गया तथा उनके उत्तर भी अतारांकित प्रश्न संख्या 2761-2990 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

अपराहन 12.05 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सोसायटी ऑफ पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सोसायटी ऑफ पेट्रोलियम लेबोरेटरी, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2014 खंड-चार(भाग-1)(पी-1439) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2014 खंड-चार(भाग-1)(पी-1439) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ(2)/2012 (पी-3116) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ(2)/2012 (पी-910) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टताओं के विकास की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टेक/27-पीडीटी4एस/(1)/2020(पी-1922) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए समग्रता प्रबंधन प्रणाली) संशोधन विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टेक/14-आईएमएसएनजीपीएल/(1)/2019(पी-216) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए समग्रता प्रबंधन प्रणाली) संशोधन विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टेक/13-आईएमएससीजीडी/(1)/2019(पी-1384) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2019 जो 8 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 830(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) दूसरा संशोधन आदेश, 2019 जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) संशोधन आदेश, 2020 जो 3 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (ग) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (समग्र शिक्षा), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (समग्र शिक्षा), चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समग्र शिक्षा - यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा - यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) समग्र शिक्षा - यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, सिल्वासा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा - यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, सिल्वासा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) (एक) यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव (समग्र शिक्षा), मोती दमन के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन और दीव (समग्र शिक्षा), मोती दमन के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

- (18) (एक) स्टेट इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी (समग्र शिक्षा) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) स्टेट इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी (समग्र शिक्षा) मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण मिशन), दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण मिशन), दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) (एक) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा), जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (समग्र शिक्षा), जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) पंजाब समग्र शिक्षा अभियान प्राधिकरण, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पंजाब समग्र शिक्षा अभियान प्राधिकरण, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (41) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, गोवा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शुल्कों का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 8 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/031 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 8 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/033 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टीज) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 8 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/034 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 8 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/035 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/37 में प्रकाशित हुए थे।

- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/039 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 8 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/01 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 8 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/02 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 8 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/03 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 4 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/08 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्त्र की वसूली का तरीका) संशोधन विनियम, 2021 जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आर-40007/आरईजी-रिकवरी/अधि./2021-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (संशोधन) विनियम, 2020 जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 121(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 486(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) बिल ऑफ एंट्री (फॉर्मर्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 568(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 600(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (4) अधिसूचना सं. का.आ. 105 (अ) जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिविहित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 142 (अ) जो 28 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 44 के अंतर्गत निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 31.03.2021 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 132 (अ) जो 23 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन व्यक्तियों को अधिसूचित करना है जिनके लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 6ख या उप-धारा 6ग के उपबंध लागू नहीं होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

कि राज्य सभा 10 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन" संबंधी 31वां प्रतिवेदन।
- (2) "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी" संबंधी 32वां प्रतिवेदन।
- (3) "केंद्रीय विद्यालय संगठन और गुजरात विद्यापीठ" के बारे में समिति के 122वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।
- (4) "प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और अवसंरचना विकास" के बारे में समिति के 127वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

- (5) "वायु युद्धाभ्यास उपकरणात्मक प्रणाली की खरीद" के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'महिलाओं और बालकों के प्रति अत्याचार और अपराध' संबंधी 230वां प्रतिवेदन।
- (2) 'गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2021-22)' संबंधी 231वां प्रतिवेदन।
- (3) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2021-22)' संबंधी 232वां प्रतिवेदन।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कृपाल बालाजी तुमाने ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 289वां प्रतिवेदन।
- (2) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 290वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.09 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने कोविड परिस्थिति में विदेश में भारतीयों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के कल्याण से संबंधित हाल के घटनाक्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.21 बजे

9. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021

**(दो) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021*

डॉ. शशि थरूर ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

अपराहन 12.22 बजे

(तीन) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021

अपराहन 12.23 बजे

(चार) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

डॉ. शशि थरूर ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

महिला और बाल विकास मंत्री; और वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

%अपराहन 12.27 बजे

(पांच) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021

अपराहन 1.02 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मुद्दों के बारे में ।
- (2) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा सिर पर मैला ढोने के बारे में ।

* अपराहन 12.01 से 12.04 बजे तक

% अपराहन 12.28 बजे से अपराहन 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (3) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के बिनहारी समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा स्थित 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान' को केन्द्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखण्ड में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के बारे में ।
- (6) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा धनबाद रेल खंड के अंतर्गत चौधरी बांध रेलवे स्टेशन के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए एक उपरि पुल (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के उरई स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के थराड शहर में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए 1 केडब्ल्यू का एफएम ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) डॉ. राजकुमार रंजन सिंह द्वारा मणिपुर में एक साइट्स पार्क की स्थापना किए जाने के बारे में ।
- (11) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा डाक विभाग के मंडल मुख्यालय को महाराष्ट्र के लातूर से अन्यत्र ले जाए जाने के बारे में ।
- (12) श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल द्वारा गुजरात के मेहसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेहसाणा-पालनपुर रेल लाइन पर समपार संख्या 196 पर अंडरपास बनाए जाने के बारे में ।
- (13) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा 'नेशनल इंस्टिट्यूट आफ वन हेल्थ' की स्थापना के बारे में ।
- (14) श्री के. मुरलीधरन द्वारा सर्कस कलाकारों की दयनीय स्थिति के बारे में ।
- (15) डॉ. शशि थरूर द्वारा ब्ल्यू इकॉनोमी पॉलिसी के बारे में ।
- (16) श्री रवनीत सिंह द्वारा साईकिल उद्योग को बढ़ावा देने के बारे में ।
- (17) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा तुर (अरहर) दाल के आयात के बारे में ।
- (18) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के काराकट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (19) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत किए जाने के बारे में ।
- (20) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (21) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा तेलंगाना प्रमुख कार्यक्रम और हरित क्षेत्र में वृद्धि किए जाने के बारे में ।
- (22) श्रीमती वीणा देवी द्वारा बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंडक नदी पर एक पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (23) श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के बारे में ।

अपराहन 1.03 बजे

11. केन्द्रीय बजट - 2021-2022 - अनुदान की मांग

लिया गया समय: 7 घंटे 22 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 84 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राम कृपाल यादव (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री जसबीर सिंह गिल
3. *श्री जगदम्बिका पाल
4. *डॉ. आलोक कुमार सुमन
5. श्री गजानन चन्द्रकान्त कीर्तिकर
6. *श्री अजय मिश्रा (टेनी)
7. श्री दिलेश्वर कामैत
8. *एडवोकेट ए.एम.आरिफ
9. श्री हसनैन मसूदी
10. *डॉ. वीरेन्द्र कुमार
11. श्री सुहील कुमार सिंह
12. *श्री धनुष एम. कुमार
13. *श्री भर्तृहरि महताब

14. *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
 15. *डॉ. उमेश जी. जाधव
 16. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी
 17. *डॉ. संघमित्रा मौर्य
 18. *श्री राजू बिष्ट
 19. *श्री मितेष रमेशभाई पटेल
 20. डॉ. अमर सिंह
 21. *श्री पी.आर. नटराजन
 22. *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
 23. डॉ. डी.एन.वी. सॅथिलकुमार एस.
 24. *श्री जयदेव गल्ला
 25. श्री अच्युतानंद सामंत
 26. *श्रीमती सुप्रिया सुले
 27. श्री तापिर गाव
 28. *श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
 29. श्रीमती वीना देवी
 30. श्री दीपक बैज
 31. श्री श्रीकृष्णा देवरायाळू लावू
 32. *श्री चन्देश्वर प्रसाद
 33. श्री नामा नागेश्वर राव
 34. *श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया
 35. श्री लल्लू सिंह
 36. *श्रीमती सुमलता अम्बरीश
 37. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
 38. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
 39. श्रीमती रीति पाठक
 40. *श्री अशोक महादेवराव नेते
 41. *श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
 42. *डॉ. एस.टी. हसन
 43. श्री राम शिरोमणि वर्मा
 44. *श्री डी.के. सुरेश
 45. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
-

46. श्री गुरजीत सिंह औजला
47. *श्री सुमेधानन्द सरस्वती
48. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
49. *श्री विवेक नारायण शेजवलकर
50. *श्री मनोज किशोरभाई कोटक
51. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
52. श्री हनुमान बेनीवाल
53. श्री अरुण साव
54. *श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
55. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
56. *श्री राहुल कस्वां
57. *श्री पी.पी. चौधरी
58. श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
59. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
60. श्री जुगल किशोर शर्मा
61. *श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
62. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव
63. श्री अनुभव मोहंती
64. श्री विजय कुमार हंसदाक
65. डॉ. रंजन सिंह राजकुमार
66. *श्री अरुण कुमार सागर
67. *श्री अशोक कुमार रावत
68. श्री श्याम सिंह यादव
69. *श्री सुनील कुमार सोनी
70. श्री विद्युत बरण महतो
71. *श्री वाई. देवेन्दरप्पा
72. श्री गिरीश बालचन्द्र बापट
73. *श्री विष्णु दयाल राम
74. *श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
75. श्री शंकर लालवाणी
76. श्री अनुराग शर्मा
77. श्री अनिल फिरोजिया

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

78. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
79. श्री रमेश चन्द्र माझी
80. श्री प्रदीप कुमार सिंह
81. डॉ. भारती प्रवीण पवार
82. डॉ.(प्रो.) किरीट पी. सोलंकी
83. डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी
84. श्रीमती रमा देवी
85. *श्री उन्मेश बी. पाटील
86. श्री रामचरण बोहरा
87. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
88. श्रीमती संध्या राय
89. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
90. श्री संजय सेठ
91. *डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
92. श्रीमती कविता सिंह
93. श्री जनार्दन मिश्रा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.16 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 16 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 मार्च, 2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 107

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 तथा 286 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 287-300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221-3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

***अपराह्न 12.06 बजे**

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2021-2022 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

* अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.05 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री) ने (अर्जुन राम मेघवालपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुड़गांव के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुड़गांव के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) सेन्ट्रल मेन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) (एक) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) विधिक माप विज्ञान (सरकार अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.95(अ) में प्रकाशित हुए थे। ।
- (दो) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) (संशोधन) नियम, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.149(अ) में प्रकाशित हुए थे। ।
- (2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020, जो 11 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी.36(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (अजैविक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2020, जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3885(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 2582(अ) जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए कीटनाशकों को कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल किया गया है।
- (दो) का.आ. 826(अ) जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए कीटनाशकों को कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जुएल ओराम ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' विषय के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 17वां प्रतिवेदन।
- (2) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' विषय के बारे में सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन।
- (3) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैप्टीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 18 और 21)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन।
- (4) 'थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, संयुक्त स्टाफ, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 19 और 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन।
- (5) 'रक्षा सेवाएं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवासीय परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन।
- (6) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (मांग सं. 19 और 20)' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 26वां प्रतिवेदन।
- (3) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
- (4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

- (6) 'आपदा प्रबंधन और राहत के लिए केन्द्रीय सहायता' विषय के बारे में 71वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।
- (7) 'देश में क्रेडिट रेटिंग ढांचे को सुदृढ़ करना' विषय के बारे में 72वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

7. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अरुण साव ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
- (3) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (4) कोयला मंत्रालय से संबंधित "देश भर में कोयला संरक्षण और कोयले के परिवहन के लिए आधारभूत ढांचे का विकास" विषय संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'पट्टे पर दी गयी लौह अयस्क खानों का विकास और इष्टतम क्षमता उपयोग" विषय संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

9. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री ढाल सिंह बिसेन ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखी:-

- (1) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी 325वां प्रतिवेदन।
- (2) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी 326वां प्रतिवेदन।

10. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रघुराम कृष्ण राजू कनुमुरु ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखे:-

- (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 106वां प्रतिवेदन।
- (2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 107वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.09 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) द्वारा दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कासगंज और एटा जिले तक ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में रायपुर से देवभोग तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिए जाने के बारे में ।
- (3) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोर टाड़गर रिजर्व के आसपास जंगली जानवरों से रक्षा हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट, तंडवा के लिए जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गई, उन लोगों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्रीमती रमा देवी द्वारा जयप्रकाश आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों की पेंशन राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी द्वारा महाराष्ट्र के शोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सड़क सम्पर्क के बारे में ।
- (7) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखण्ड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (8) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हवाई अड्डे पर बेहतर बुनियादी सुविधाओं के बारे में ।
- (10) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा देश में आयातित खाद्य उत्पादों की जांच के लिए सभी प्रवेश बिन्दुओं पर प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने हेतु पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्रीमती रेखा अरुण वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 का निर्माण पूर्ण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा कोविड 19-टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में ।
- (13) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा देश में नशामुक्ति/जागरूकता केन्द्र की स्थापना और प्रभावित युवकों के पुनर्वास के बारे में ।
- (14) श्री दीपक बैज द्वारा पुराने पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (15) श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध के बारे में ।
- (16) श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा महाराष्ट्र के परभनी जिले में पूर्ण जंक्शन में कार शेड का निर्माण किए जाने और परभनी-मनमाड रेलवे लाइन का दोहरीकरण किए जाने के बारे में ।
- (17) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित सबेया एअरफिल्ड को विमान सेवाओं के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (18) श्री दयाकर पसुनूरी द्वारा कोच फैक्ट्री की स्थापना और काजीपेठ रेलवे जंक्शन के उन्नयन के बारे में ।
- (19) श्रीमती सुमलता अम्बरीश द्वारा विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों के बारे में ।
- (20) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा एसडीआरएफ मानदंडों के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा के दौरान 'गौ शाला' को 'पशु शिविर' के रूप में शामिल करने और उसे समकक्ष समझे जाने के बारे में ।

अपराहन 12.10 बजे

12. बजट (सामान्य) - 2021-2022 - अनुदान की मांग

लिया गया समय: 9 घंटे 21 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 84 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्री सुनील कुमार सिंह
2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. श्री नितेश गंगा देव

5. श्री संजय सेठ
6. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
7. श्री राकेश सिंह
8. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
9. श्रीमती पूनमबेन हेमन्तभाई माडम
10. श्री अजय टम्टा
11. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
12. श्री रवि किशन

श्री पीयूष गोयल[@] ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 84 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराहन 2.10 बजे

13. बजट (सामान्य) - 2021-2022 - अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 7 घंटे 26 मिनट

शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 24 और 25 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में घोषणा[#] की।

शिक्षा मंत्रालय से संबंधित दस कटौती प्रस्ताव (संख्या 6 और 8 से 16) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री एम. धनुष कुमार
4. श्रीमती चिंता अनुराधा

[@] रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; तथा उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री

[#] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

5. *डॉ. उमेश जी. जाधव
6. *डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. *श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
8. श्री अरविन्द गनपत सावंत
9. *श्री अजय मिश्र (टेनी)
10. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
11. *श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
12. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
13. *श्रीमती सुप्रिया सुले
14. श्री रितेश पाण्डेय
15. *श्री चन्देश्वर प्रसाद
16. *श्री डी.के. सुरेश
17. श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद
18. श्री हसनैन मसूदी
19. *श्रीमती सुमलता अम्बरीश
20. श्री अच्युतानंद सामंत
21. श्री मणिकम टैगोर
22. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या
23. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
24. श्रीमती वीणा देवी
25. कुमारी दिया कुमारी
26. *श्री पी.पी. चौधरी
27. डॉ. एस.टी. हसन
28. *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
29. श्री अजय भट्ट
30. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
31. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
32. श्री श्रीकृष्णा देवरायालु लावू
33. *डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
34. *डॉ. वीरेन्द्र कुमार
35. *डॉ. संघमित्रा मौर्य

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

36. श्री आर.के. सिंह पटेल
37. *श्री रेखा अरुण वर्मा
38. श्री कुंवर दानिश अली
39. *श्री सुनील कुमार सिंह
40. श्री जनार्दन मिश्र
41. *श्री भर्तृहरि महताब
42. श्री संतोख सिंह चौधरी
43. *श्री मनोज किशोरभाई कोटक
44. *श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
45. *श्रीमती जसकौर मीना
46. श्री निहाल चन्द चौहान
47. *श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
48. *श्री विद्युत बरन महतो
49. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
50. *श्री गिरीश चन्द्र
51. *श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
52. *श्री रामचरण बोहरा
53. श्री असादुद्दीन ओवैसी
54. श्री सुनील कुमार सोनी
55. श्री अनुभव मोहंती
56. श्री हनुमान बेनीवाल
57. श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी
58. *श्री कुलदीप राय शर्मा
59. श्री इन्द्रा हांग सुब्बा
60. *श्री रीति पाठक
61. *श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
62. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
63. श्री जगदम्बिका पाल
64. *डॉ. संजय (काका) रामचंद्र पाटील
65. *डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
66. डॉ. मोहम्मद जावेद

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

67. श्री विष्णु दयाल राम
68. *श्री गणेश सिंह
69. *श्री धैर्यशील एस. माणे
70. *डॉ. भारती प्रवीण पवार
71. श्री कौशलेन्द्र कुमार
72. श्री बालक नाथ
73. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
74. प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
75. श्रीमती संगीता आजाद
76. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
77. श्री गोपाल जी ठाकुर
78. श्री जसबीर सिंह गिल
79. श्री संतोष पान्डेय
80. श्री संगमलाल गुप्ता
81. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
82. श्री रामप्रीत मंडल
83. *श्रीमती रंजीता कोली
84. *श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

@श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए, मतदान के लिए रखे गए और वे अस्वीकृत हुए।

शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 24 और 25 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

रात्रि 9.37 बजे

14. कार्य मंत्रणा समित का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@ शिक्षा मंत्री

#रात्रि 9.46 बजे

15. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी ने राजस्थान सरकार द्वारा कथित टेलीफोन टैपिंग के बारे में निवेदन किया।

%श्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया।

रात्रि 11.10 बजे

(लोक सभा बुधवार, 17 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

#रात्रि 9.38 से रात्रि 11.10 तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

%संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 108

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री राम स्वरूप शर्मा, लोक सभा के वर्तमान सदस्य तथा मनोहर लाल सैनी, सदस्य, छठी और सातवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.01 बजे पुनः सम्मेलित हुई।)

*अपराह्न 1.01 बजे

2. प्रश्न

चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी, इसलिए तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर नहीं दिए जा सके थे। अतः, आज की कार्य-सूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 301-320 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3451-3680 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

* अपराह्न 1.01 बजे से अपराह्न 1.04 बजे तक सदस्य ने अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाया।

अपराहन 1.04 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री पीयूष गोयल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) हसन मंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हसन मंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन , नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन , नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर की गई भर्ती और पदोन्नति के संबंध में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य संशोधन नियम, 2021, जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.157(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आणविक खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020, जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.693(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) का.आ.1766(अ), जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नामित प्राधिकारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में है तथा तत्संबंधी शुद्धिपत्र जो 26 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.2870(अ)(अ) में प्रकाशित हुआ था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) छावनी बोर्डों के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) छावनी बोर्डों के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेट्री, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेट्री, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 22 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया और जाँच की प्रक्रिया) विनियम, 2021 जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 016/वीजीएल/073(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (कार्यसंपादन की प्रक्रिया और कार्य का आवंटन) विनियम, 2021 जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 016/वीजीएल/073(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सचिव का दायित्व और शक्तियाँ) विनियम, 2021 जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 016/वीजीएल/073(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) ईओयू और एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईओयू और एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन , नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन , नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व में शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व में शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व में शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एण्ड डाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एण्ड डाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 3181(अ) जो 17 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 201, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 85 और 94 में नीति शर्त को अंतःस्थापित किए जाने के बारे में है।

- (दो) का.आ.3370(अ) जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इस्पात आयात मॉनिटरिंग प्रणाली (एसआईएमएस) के अंतर्गत अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को आवश्यक बनाने के लिए आईटीसी (एचएस), 2017 के अध्याय 72, 73 और 86 में एचएस कोड के अंतर्गत आयात के बारे में नीति शर्त को अंतःस्थापित किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 3369(अ) जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस)- 2017, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 71 के आयात नीति शर्त संख्यांक 3 में संशोधन के बारे में है।
- (चार) का.आ.3629(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 84 के आईटीसी एचएस कोड 84151010 और 84151090 के अंतर्गत मर्दों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (पांच) का.आ.3936(अ) जो 30 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्विजम कोड 07019000 के अंतर्गत मर्दों के लिए आयात नीति शर्तों को अंतःस्थापित किए जाने के बारे में है।
- (छह) का.आ.4634(अ) जो 21 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 12 और 15 के अंतर्गत कोपरा और नारियल तेल के आयात के लिए एक एसटीई के रूप में एसटीसी को अधिसूचना से बाहर निकालने के लिए आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (सात) का.आ.4645(अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची - I (आयात नीति) के अध्याय 27 में नीति शर्त संख्यांक 7 को शामिल करने तथा कोयला की आयात नीति में संशोधन किए जाने के बारे में है।
- (आठ) का.आ.4654(अ) जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 05 के एक्विजम कोड 05040039 के अंतर्गत नीति शर्त को शामिल किए जाने के बारे में है।
- (नौ) का.आ.4772(अ) जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 05 के एक्विजम कोड 05040039 के अंतर्गत नीति शर्त को शामिल किए जाने के बारे में है।
- (दस) का.आ.7(अ) जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय-33 के एचएस कोड 33074900 के अंतर्गत मर्दों के लिए नीति शर्त को शामिल किए जाने के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ.75(अ) जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 41 और 43 के अंतर्गत वर्गीकृत मर्दों की आयात नीति और शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (बारह) का.आ.415(अ) जो 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 27 में नीति शर्त संख्यांक 7 को शामिल करने और कोयला की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 3446(अ) जो 1 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 31.03.2021 तक आयात किए जाने के लिए 1.5 लाख एमटी उड़द के कोटे के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1017(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4 लाख एमटी उड़द के कोटे के बारे में है।

(20) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2121(अ) जो 26 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा यथा निर्धारित शास्तियों को प्रभारित करके नीलामी प्लेटफॉर्म पर अधिशेष अनधिकृत तम्बाकू की खरीद के लिए तम्बाकू के व्यापारियों/डीलरों को अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2122(अ) जो 26 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 (1) के उपबंधों के लागू होने में छूट दिए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 4209(अ) जो 25 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में सरकार द्वारा यथा निर्धारित शास्तियों को प्रभारित करके नीलामी प्लेटफॉर्म पर अधिशेष अनधिकृत तम्बाकू की खरीद के लिए तम्बाकू के व्यापारियों/डीलरों को अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 4210(अ) जो 25 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10 (1) के उपबंधों के लागू होने में छूट दिए जाने के बारे में है।

(21) निर्यात निरीक्षण परिषद (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दुग्ध और दुग्ध उत्पाद का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानिट्रिंग) नियम, 2020 जो 9 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4032(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, निर्यात निरीक्षण परिषद (निदेशक) भर्ती नियम, 2020 जो 27 फरवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 18 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रिसर्च एण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रिसर्च एण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटिरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए रबड़ होज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 478(अ) में प्रकाशित हुआ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 822(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 825(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2020 जो 31 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 826(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

- (नौ) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विद्यावाचस्पति अध्यादेश, 2020 जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पी-24024/11/2018-आईपीआर-पांच में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद की प्रथम संविधियां (संशोधन), 2020 जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एनआईडीए-जीसी-143-144-2016(अ) में प्रकाशित हुई थीं।
- (10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (नौ) और (दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 47 की उप-धारा (4) के अंतर्गत डिजाइन (संशोधन) नियम, 2021 जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 1023 (अ) जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लुग्दी, कागज और अनुषंगी उद्योगों के लिए विकास परिषद की स्थापना के बारे में है।
- (दो) का.आ. 3127 (अ) जो 14 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पादुका और चमड़ा उद्योग के लिए विकास परिषद की स्थापना की गयी है तथा उक्त परिषद के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और सदस्यों के रूप में, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।
- (13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत बॉयलर प्रचालन नियम, 2021 जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सभी रबड़ और सभी पॉलीमरिक सामग्री और इसके घटकों से बनी पादुका (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3858(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (दो) व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण-पादुका (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3857(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) चमड़ा और अन्य सामग्री से बनी पादुका (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019 जो 4 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4379(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) सादा कॉपियर कागज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2149(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) चमड़ा और अन्य सामग्री से बनी पादुका (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3860(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (छह) व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण-पादुका (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 4 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4377(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (सात) सभी रबड़ और सभी पॉलीमरिक सामग्री और इसके घटकों से बनी पादुका (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 4 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4378(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

- (1) कि राज्य सभा ने 15 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 को पारित किया।
- (2) कि राज्य सभा ने 16 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2021 को पारित किया।
- (3) कि राज्य सभा ने 16 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधनों के साथ पारित किया तथा इस अनुरोध के साथ विधेयक वापस किया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखे गए

(एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021

(दो) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2021

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020

अपराहन 1.06 बजे

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (माने गए)" के बारे में 31वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (न माने गए)" के बारे में 32वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) "वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) "श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (5) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (माने गए)" के बारे में 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (6) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (न माने गए)" के बारे में 36वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (7) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 37वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (8) "ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 38वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में विश्वविद्यालयों, तकनीकी, चिकित्सकीय तथा अभियांत्रिकी सहित शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका-दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन" विषय के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अन्तिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

9. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्य पालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
- (2) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

10. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने विदेश मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'महानगरों में वर्षा जल संचयन' विषय के बारे में 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 6वां प्रतिवेदन।
- (2) 'हानिकारक अपशिष्ट, चिकित्सकीय अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' विषय के बारे में 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन।

12. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री जगदम्बिका पाल ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले तथा दूसरे प्रतिवेदनों (17वीं लोक सभा) संबंधी निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण प्रस्तुत किए:-

- (1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) पर पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में तीसरे प्रतिवेदन संबंधी अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण।
- (2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) पर दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में चौथे प्रतिवेदन संबंधी अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

13. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री उदय प्रताप सिंह ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

1. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 'आयात और निर्यात सहित पेट्रोरसायनों की मांग तथा उपलब्धता' विषय संबंधी 16वां प्रतिवेदन।
2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) का 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की समीक्षा' विषय संबंधी 17वां प्रतिवेदन।
3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) का 'बंद और रूग्ण उर्वरक यूनिटों का पुनरुद्धार' विषय संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

4. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2021-22)' संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
5. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2021-22)' संबंधी 20वां प्रतिवेदन।
6. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2021-22)' संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
7. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) का 'भारत में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन की स्थिति' विषय संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

14. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 2021-22 (मांग सं.10) संबंधी 159वां प्रतिवेदन।
- (2) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 2021-22 (मांग सं.11) संबंधी 160वां प्रतिवेदन।

15. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बिद्युत बरन महतो ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 304वां प्रतिवेदन।
- (2) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 305वां प्रतिवेदन।
- (3) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 306वां प्रतिवेदन।
- (4) पीएसयू पर कोविड-19 का प्रभाव और "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के अंतर्गत पीएसयू द्वारा की गई पहलों संबंधी 307वां प्रतिवेदन।

16. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार पिन्टू ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 291वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डा. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 (मांग सं.4) संबंधी 128वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 1.10 बजे

18. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

*(1) विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने “भारत की वैक्सीन मैत्री पहल” के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 338वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(एक) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* अपराहन 2.42 बजे से अपराहन 2.50 बजे तक दिए गए।

19. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि यह सभा 16 मार्च, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 1.12 बजे

20. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

21. अनुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

22. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र)

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

23. अनुदानों की मांगें (पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र)

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 1.14 बजे

24. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी, पानीपत, हरियाणा द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन के बारे में ।
- (2) श्री पंकज चौधरी द्वारा महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कप्तानगंज और खुशहाल नगर के बीच समपार संख्या 18सी पर रेल अंडर ब्रिज/अंडर पास/रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (3) श्री जनार्दन सिंह सींगीवाल द्वारा बिहार के मांझी और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीच सरयू नदी पर जल मार्ग विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री मनोज कोटक द्वारा मुंबई विमान पत्तन के समीप फनल क्षेत्र में आने वाली आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास के बारे में ।
- (5) श्री राजू बिष्ट द्वारा तीस्ता नदी पर कोरोनेशन पुल के बारे में ।
- (6) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा रावेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में गुर्जर जाति तथा उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में ।
- (7) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा फूलेरा-रेवाड़ी रेल खंड को दोहरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (एलएसडी) से पीड़ित मरीजों के बारे में ।
- (9) डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में खनिज आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री देवजी पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले में स्वरूप नगर में रेलवे प्लेटफार्मों के मध्य निर्माणाधीन उपरि पुल का विस्तार किए जाने के बारे में ।
- (11) डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के करौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल और सिंचाई के प्रयोजन के लिए चम्बल-पंचना-जागर लिफ्ट परियोजना के बारे में ।
- (12) श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा खासी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में ।
- (13) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा बैंकों से सेवा निवृत्त लोगों की समस्याओं के बारे में ।
- (14) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों पर नियंत्रण पाने हेतु कठोर कानून बनाए जाने तथा फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (15) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) डॉ. जी. रणजीत रेड्डी द्वारा तेलंगाना में जिलों का निर्माण किए जाने के बारे में ।

अपराहन 1.14 बजे

25. बजट (सामान्य) - 2021-2022 - अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 4 घंटे 56 मिनट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 44 और 45 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में घोषणा# की।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित दस कटौती प्रस्ताव (संख्या 11 से 12) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह
3. डॉ. संजीव कुमार सिंगरी
4. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
5. *श्री संगमलाल गुप्ता
6. *डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. *श्री कुलदीप राय शर्मा
8. *श्री अशोक महादेवराव नेते
9. *श्रीमती शर्मिष्ठा कुमारी सेठी
10. डॉ. राजश्री मल्लिक
11. *श्री भर्तृहरि महताब
12. *श्री परबतभाई सावाभाई पटेल
13. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
14. *श्री चन्देश्वर प्रसाद
15. *श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
16. *श्रीमती सुमलता अम्बरीश
17. डॉ. गद्दम रंजीत रेड्डी
18. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
19. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
20. *डॉ. उमेश जी. जाधव
21. *श्रीमती सुप्रिया सुले
22. *श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
23. डॉ. एस.टी. हसन
24. श्री मलूक नागर
25. डॉ. सत्य पाल सिंह
26. *श्रीमती संगीता आजाद

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

27. श्री हसनैन मसूदी
28. *डॉ. वीरेन्द्र कुमार
29. *डॉ. सुभाष रामराव भामरे
30. *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
31. श्रीमती प्रणीत कौर
32. *श्रीमती जसकौर मीणा
33. श्री जयदेव गल्ला
34. *श्री सुमेधानन्द सरस्वती
35. श्री पी.पी. चौधरी
36. *श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील
37. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
38. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
39. *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
40. *श्री गिरीश चन्द्र
41. *श्री सुनील कुमार सिंह
42. *श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
43. *श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
44. *डॉ. भारती प्रवीण पवार
45. *श्री डी.के. सुरेश
46. *श्रीमती रीति पाठक
47. *श्री सुनील कुमार सोनी
48. श्री सईद इमृत्याज जलील
49. श्री सुजॉय राधाकृष्णा विखेपाटिल
50. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
51. श्री हनुमान बेनीवाल
52. श्री अजय मिश्रा (टेनी)
53. डॉ. मोहम्मद जावेद
54. डॉ. संघमित्रा मौर्य
55. श्री कुलदीप राय शर्मा
56. *श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
57. श्री इन्द्रा हांग सुब्बा
58. *श्री निहाल चन्द चौहान

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

59. *श्रीमती रमा देवी
60. *श्री रितेश पाण्डेय
61. *डॉ. कृष्णा पाल सिंह यादव
62. *श्री अजय भट्ट
63. *श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
64. *श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
65. *श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
66. *श्री विद्युत बरन महतो
67. *श्री मनोज किशोरभाई कोटक
68. *श्री जगदम्बिका पाल
69. *श्री अशोक कुमार रावत

@डॉ. हर्ष वर्धन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए, मतदान के लिए रखे गए और वे अस्वीकृत हुए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 44 और 45 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 6.03 बजे

26. केंद्रीय बजट - 2020-2021 - अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषित⁵ किया कि सभी कटौती प्रस्ताव, जो वर्ष 2021-22 के लिए बजट (सामान्य) अनुदानों की मांगों के संबंध में परिचालित किए गए थे, पेश किए माने जाएं।

सभी कटौती प्रस्ताव, जो पेश किए माने गए थे, अस्वीकृत हुए।

निम्नलिखित अनुदानों की लंबित मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की मांगे-बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए सभा के मतदान हेतु रखी गई तथा वे पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:-

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

⁵ मूल हिन्दी में। विस्तृत विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2;
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3;
- (3) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4;
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7;
- (5) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8;
- (6) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9;
- (7) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11;
- (8) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13;
- (9) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15;
- (10) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16;
- (11) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17;
- (12) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18 से 21;
- (13) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 22;
- (14) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23;
- (15) इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 26;
- (16) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27;
- (17) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28;
- (18) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29 से 36, 39 और 40;
- (19) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41 और 42;
- (20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43;
- (21) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47;
- (22) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48 से 58;
- (23) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59;
- (24) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60;
- (25) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61 और 62;
- (26) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63;
- (27) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64 और 65;
- (28) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67;
- (29) खान मंत्रालय मांग मंत्रालय से संबंधित संख्या 68;
- (30) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;
- (31) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70;
- (32) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;

- (33) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;
- (34) कर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;
- (35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75;
- (36) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;
- (37) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77;
- (38) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78;
- (39) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 80;
- (40) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 81;
- (41) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 82;
- (42) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85;
- (43) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86 और 87;
- (44) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88 से 90;
- (45) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91;
- (46) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92 और 93;
- (47) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 94;
- (48) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95;
- (49) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96;
- (50) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97;
- (51) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98;
- (52) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99;
- (53) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100; और
- (54) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101 ।

सायं 6.09 बजे

27. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021

28. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

#रात्रि 8.42 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 18 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[#] सायं 6.12 बजे से रात्रि 8.42 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 18 मार्च, 2021/27 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 109

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321, 323 (338 के साथ युग्मित), 324 और 326 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न संख्या 322 तथा 325 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उत्तर पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 322 के संबंध में सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 325, 327-337, 339 तथा 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681-3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.04 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) चण्डीगढ़ वक्फ बोर्ड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) चण्डीगढ़ वक्फ बोर्ड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) वक्फ बोर्ड अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) वक्फ बोर्ड अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एनटीपीसी लिमिटेड तथा इसकी धारक कंपनी नीपको के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) एनटीपीसी लिमिटेड तथा इसकी धारक कंपनियों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) एनएचपीसी लिमिटेड तथा एनएचडीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, सिल्वासा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) उपर्युक्त (9) के (झ) और (ट) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लद्दाख भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2020 जो 8 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.936(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना फेस-एक और फेस-दो संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार सामान्य पूल निवास स्थान (संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 4046(अ) जो 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो होलंबी कलां में रसायन व्यापारियों को भूमि के आबंटन के लिए वर्ष 2019-20 हेतु पूर्व निर्धारित दर का नियतन किए जाने के बारे में है।
- (दो) का.आ. 4675(अ) जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निजी स्वामित्व के अधीन भूमि के विकास के लिए नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रभारों का नियतन किए जाने के बारे में है।

(15) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) वायुयान अधिनियम , 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.770(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.142(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(17) भारतीय विमान पतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमान पतन प्राधिकरण (विमान पतनों का प्रबंधन) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 19 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एएआई/पीईआरएस/ईडीपीए/रेग./2002 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) महापतन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा(4) के अंतर्गत पारादीप पतन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 जो 23 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.665(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटान) अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा(4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण में):-

(एक) उड़ीसा उच्च न्यायालय नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटान) नियम, 2020 जो 28 अगस्त, 2020 के उड़ीसा के राजपत्र में अधिसूचना सं. 889-एक्स-3/2020/आर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एसआरओ सी-17/2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मद्रास स्थित उच्च न्यायालय न्यायाधिकारिता के समक्ष लाए गए मामलों में प्रक्रिया तथा संचालन को विनियमित करने के लिए नियमों के बारे में है।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 451(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पैकेज-एक और पैकेज-दो के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड पर हरियाणा और राजस्थान राज्य में एनएच-148ख के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से 31.240 किलोमीटर (वर्तमान किलोमीटर 7.960 से 39.340 किलोमीटर) तक नारनौल बाईपास से पनियालामोड़ तथा एनएच-148ख के डिजाइन किलोमीटर 28.000 से 51.460 किलोमीटर तक नारनौल बाईपास और एनएच-11 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से 11.300 किलोमीटर (वर्तमान किलोमीटर 68.700 से 79.000 किलोमीटर) तक नारनौल से पचेरीकलां तक को 4/6 लेन करने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (दो) का.आ. 452(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेस-दो के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-31 के इस्लामपुर बाईपास - गोशपुकुर खंड (इस्लामपुर बाईपास के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से 10.360 डिजाइन किलोमीटर तक और वर्तमान किलोमीटर 506.950 से 551.000 किलोमीटर तक) को चार लेन किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 453(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-40 (पुराना एनएच-18) के किलोमीटर 300.193 से किलोमीटर 337.693 (पुराना किलोमीटर 18.350 से किलोमीटर 56.000 तक) के चित्तूर-कुरनूल खंड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (चार) का.आ. 509(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएएम पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में एनएच-150 के डिजाइन किलोमीटर 308.550 से डिजाइन किलोमीटर 358.500 (वर्तमान किलोमीटर 309.150 से वर्तमान किलोमीटर 359.120 तक) के बायरापुरा-चल्लाकेरे खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 528(अ) जो 4 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-67 के डिजाइन किलोमीटर 424.650 से किलोमीटर 487.663 (वर्तमान किलोमीटर 424.650 से किलोमीटर 487.693 तक) के गूटी-तड़ीपात्री खंड को चार या अधिक लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (छह) का.आ. 555(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर तेलंगाना राज्य में एनएच-163 के डिजाइन किलोमीटर 59.500 से किलोमीटर 132.033 (वर्तमान किलोमीटर 59.550 से किलोमीटर 132.300 तक) के मन्नेगुड़ा-रावुलापल्ली खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

- (सात) का.आ. 556(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353घ के किलोमीटर 97.487 से किलोमीटर 137.250 के नागबीड से अमरोरी खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 557(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-765घ के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 62.920 के हैदराबाद आउटर रिंग रोड जंक्शन से मेदक खंड को चार या अधिक लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 616(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर हरियाणा राज्य में एनएच-334ख के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 97.864 (वर्तमान किलोमीटर 130.770 से किलोमीटर 228.630 तक) के झज्जर-लोहारू खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (दस) का.आ. 617(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-96 (नया एनएच-330) के डिजाइन किलोमीटर 60.000 से किलोमीटर 90.865 (वर्तमान किलोमीटर 60.000 से किलोमीटर 90.000 तक) के सुल्तानपुर-प्रतापगढ़ खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 618(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-76ड. (नया एनएच-35) के डिजाइन किलोमीटर 450.150 से किलोमीटर 486.970 (वर्तमान किलोमीटर 450.000 से किलोमीटर 486.775 तक) के इलाहाबाद-मिर्जापुर खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता फीस संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 619(अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-461ख के डिजाइन किलोमीटर 44.220 से किलोमीटर 97.450 (वर्तमान किलोमीटर 44.425 से किलोमीटर 97.785 तक) के रिसोड से हिंगोली खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 649(अ) जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-12 (नया एनएच-46) के डिजाइन किलोमीटर 315.725 से किलोमीटर 421.325 (वर्तमान किलोमीटर 316.1 से किलोमीटर 423.4 तक) के भोपाल-बिओरा खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 707(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एचएएम पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-544घ के डिजाइन किलोमीटर 212.983 से किलोमीटर 322.800

- (वर्तमान किलोमीटर 213.000 से किलोमीटर 322.840 तक) के गिद्दालूर से विनुकोंडा खंड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (पन्द्रह) का.आ. 790(अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड (पैकेज-2) पर भारतमाला परियोजना के राजस्थान राज्य में एनएच-911 के डिजाइन किलोमीटर 101.000 से किलोमीटर 263.460 के रायसिंहनगर से पूगल खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 945(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-76 के किलोमीटर 388.263 से किलोमीटर 492.322 तक (किलोमीटर 443.170 से किलोमीटर 458.170 तक के बारन बाइपास) के कोटा बारन खंड डिजाइन चनेज को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ. 946(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाईब्रिड एन्युटी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-150ड के डिजाइन किलोमीटर 99.400 से किलोमीटर 138.352 (वर्तमान किलोमीटर 102.819 से किलोमीटर 141.400 तक) के अक्कालकोट से शोलापुर खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (अठारह) का.आ. 1013(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर एनएचडीपी फेस चार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-29 के डिजाइन किलोमीटर 12.010 से किलोमीटर 84.160 (वर्तमान किलोमीटर 12.000 से किलोमीटर 88.000 तक) के वाराणसी गोरखपुर खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ. 1053(अ) जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-211 के डिजाइन किलोमीटर 320.640 से किलोमीटर 376.250 (वर्तमान किलोमीटर 320.104 से किलोमीटर 375.000 तक) के शोलापुर से धुले खंड को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (बीस) का.आ. 1098(अ) जो 10 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-361ख के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 27.199 के रालेगांव से सिरसगांव से वाडनेर खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ. 1099(अ) जो 10 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353अ के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 53.710 के मोरहसी से चंदुरबजार से अचलपुर खंड को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (बाईस) का.आ. 1100(अ) जो 10 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी

आधार पर केरल राज्य में एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के डिजाइन किलोमीटर 408.100 से किलोमीटर 414.900 (वर्तमान किलोमीटर 408.100 से किलोमीटर 414.900 तक) अलप्पुझा बाईपास को दो लेन में परिवर्तित किए जाने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

- (तेईस) का.आ.1021(अ) जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) का.आ.1022(अ) जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (पच्चीस) का.आ.1054(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का.आ.1055(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सत्ताईस) का.आ.1056(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अट्ठाईस) का.आ.1116(अ) जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (उनतीस) का.आ.1363(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (तीस) का.आ.1364(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकतीस) का.आ.1365(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 जून, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1726(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बत्तीस) का.आ.1366(अ) जो 24 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतीस) का.आ.1506(अ) जो 12 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौतीस) का.आ.1507(अ) जो 12 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

- 13

- (अड़तालीस) का.आ.1967(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनचास) का.आ.1968(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (पचास) का.आ.1969(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1365(अ) को निरस्त किया गया है।
- (इक्यावन) का.आ.1970(अ) जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बावन) का.आ.2065(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (तिरपन) का.आ.2163(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (चौवन) का.आ.2209(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें यह निदेश दिए गए थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड उक्त में उल्लेखित राजमार्ग खंडों के विकास और रख-रखाव संबंधी कार्य करेगा।
- (पचपन) का.आ.2210(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छप्पन) का.आ.2211(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ.465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तावन) का.आ.2212(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1283(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठावन) का.आ.2213(अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनसठ) का.आ.2386(अ) जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (साठ) का.आ.2387(अ) जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकसठ) का.आ.2406(अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित राजमार्गों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (बासठ) का.आ.2407(अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- [illegible]

गया है।

- [illegible]

- (चौरानवे) का.आ. 4581(अ) जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (पचानवे) का.आ. 4582(अ) जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छियानवे) का.आ. 4583(अ) जो 17 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खंडों के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को निदेश दिया गया है।
- (सतानवे) का.आ. 4682(अ) जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठानवे) का.आ. 4733(अ) जो 28 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (निन्यानवे) का.आ. 11(अ) जो 1 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।
- (एक सौ) का.आ. 41(अ) जो 5 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ एक) का.आ. 42(अ) जो 5 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छब्बीस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) की ओर से डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड तथा जल शक्ति मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र षड्गंगी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजायन), हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) कैंयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कैंयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कैंयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) 'नगरीय ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन' विषय के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) 'वाणिज्यिक हानियों को कम करने के उपाय' विषय के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (5) 'भारत में ऊर्जा पहुँच- वर्तमान स्थिति की समीक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका' विषय के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (6) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों के संबंध में ऊर्जा

संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

5. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) 'भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति' के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) 'पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की पेमेन्ट बैंक के रूप में स्थापना-संभावना, उद्देश्य और रूपरेखा' के बारे में समिति के 60वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

6. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के संबंध में "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)" के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के संबंध में "अनुदानों की मांगें (2018-19)" के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 52वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान पेयजल और स्वच्छता विभाग, (पूर्ववर्ती पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) के संबंध में "अनुदानों की मांगें (2018-19)" के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 53वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) पंचायती राज मंत्रालय के संबंध में "अनुदानों की मांगें (2018-19)" के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 54वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

- (5) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के संबंध में “अनुदानों की मांगें (2018-19)” के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 55वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (6) जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान पेयजल और स्वच्छता विभाग, (पूर्ववर्ती पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) के संबंध में “राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण” के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 56वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (7) पंचायतीराज मंत्रालय के संबंध में “पंचायतों के कार्यकरण में सुधार” के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी 57वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में सम्मिलित अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराहन 12.06 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) ने “वाहन स्क्रेपिंग नीति” के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.09 बजे

- (2) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

(एक) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग” विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

8. आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री किरन रिजीजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

“कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) अधिनियम, 2020 की धारा 6(1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराहन 12.21 बजे**

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में स्थित दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री छेदी पासवान द्वारा सासाराम, बिहार में एक एअरपोर्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा ट्रेनों को ठहराव दिए जाने के बारे में ।
- (4) श्री भोला सिंह द्वारा प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के बारे में ।
- (5) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा औरंगाबाद, बिहार में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान में दौसा-कौथून रोड को दौसा-गंगापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के संबंध में ।

* अपराहन 12.22 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (8) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान में पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन पर एक कंटेनर डिपो और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा महानंदा नदी घाटी परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने और इसके निर्माण कार्य को तीव्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषण की रोकथाम की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा कोरोना पीड़ित कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों को अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने के संबंध में ।
- (12) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा जनगणना, 2021 में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग धर्म कोड के संबंध में ।

(लोक सभा अपराहन 1.00 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.06 बजे

10. अनुपूरक अनुदानों की मांगें - 2020-21 के लिए दूसरा बैच

लिया गया समय: 3 घंटे 41 मिनट

अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1 से 11, 13 से 15, 17 से 20, 23 से 29, 31 से 34, 37 से 44, 46 से 54, 57 से 59, 61 से 65, 67 से 71, 73, 75 से 77, 79, 83 से 87, 90 से 92, 94, 95 और 97 से 101 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्तावों को पेश करने के बारे में एक घोषणा[%] की।

9 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 9) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जसबीर सिंह गिल
2. श्री तापिर गाव
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. श्री भारत राम मरगनी
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री सप्तगिरि शंकर उलाका

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

9. श्री अजय मिश्र (टेनी)
10. श्री मलूक नागर
11. डॉ. डीएनवी सैथिलकुमार एस.
12. श्री राहुल कस्वां
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री हसनैन मसूदी
15. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
16. डॉ. एस.टी. हसन
17. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
18. श्री हनुमान बेनिवाल
19. श्री सुरेश कुमार पुजारी
20. डॉ. रंजन सिंह राजकुमार
21. कुमारी प्रतिमा भौमिक
22. श्री देवजी एम. पटेल
23. श्रीमती हेमा मालिनी
24. श्री रवीन्द्र कुशवाहा

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए, मतदान के लिए रखे गए और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 1 से 11, 13 से 15, 17 से 20, 23 से 29, 31 से 34, 37 से 44, 46 से 54, 57 से 59, 61 से 65, 67 से 71, 73, 75 से 77, 79, 83 से 87, 90 से 92, 94, 95 और 97 से 101 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2020-2021 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - दूसरा बैच की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग विधेयक, 2021

12. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग विधेयक, 2021

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.47 बजे

13. (एक) वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें;
(दो) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा;
(तीन) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगें;
(चार) वर्ष 2020-21 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें;
(पांच) वर्ष 2021-22 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा;
(छह) 1 अप्रैल, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक वर्ष 2021-22 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगें;

लिया गया समय: 2 घंटे 30 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर एक साथ संयुक्त चर्चा ली गई:-

- (एक) वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 6, 10, 14, 16 से 18, 23 और 26;
(दो) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा;
(तीन) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 4 और 6 से 36;
(चार) वर्ष 2020-21 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 5, 8, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 26 से 30 और 32;
(पांच) वर्ष 2021-22 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा; और
(छह) 1 अप्रैल, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक वर्ष 2021-22 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 32;

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अनुमला रेवंत रेड्डी
2. श्री जाम्यांग टी. नामग्याल
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री के. प्रभाकर रेड्डी
6. श्री हसनैन मसूदी
7. श्री मोहम्मद जावेद

8. श्री जुगल किशोर शर्मा
9. श्री गिरीश चन्द्र
10. श्री भगवन्त मान

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 3, 6, 10, 14, 16 से 18, 23 और 26 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(एक) (क) सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021

(एक) (ख) सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(दो) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा पूरी हुई।

(तीन) अनुदानों की सभी मांगें संख्या 1 से 4 और 6 से 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(तीन) (क) सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021

(तीन) (ख) सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(चार) अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें संख्या 5,8,10,12,17,18,21,22,26 से 30 और 32 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा, दोनों) वर्ष 2020-2021 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 (पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र) के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(चार) (क) सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

पुदुचेरी विनियोग विधेयक, 2021

(चार) (ख) सरकारी विधेयक - पारित

पुदुचेरी विनियोग विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

(पांच) वर्ष 2021-22 के लिए पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा पूरी हुई।

(छह) लेखानुदानों (सामान्य) की सभी मांगें संख्या 1 से 32 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा, दोनों) 1 अप्रैल, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में) के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(छह) (क) सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

पुदुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021

(छह) (ख) सरकारी विधेयक - पारित

पुदुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.17 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 19 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 19 मार्च, 2021/28 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या 110

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न संख्या 341 तथा 343 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 341 तथा 343 के संबंध में सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 342 तथा 344-346 के मौखिक उत्तर दिये गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 347-360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911-4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैन-मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स्टाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स्टाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (एक) का.आ. 3813 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्ष श्री रजीत रंजन ओखंडियार, एमएस, सीएसबी को 06.11.2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वह पद धारण करते हैं, जो भी पहले हो, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 3814 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्ष संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

- (तीन) का.आ. 4205 (अ) जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्ष श्री रवि कपूर, सचिव, वस्त्र मंत्रालय को अध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर का अतिरिक्त प्रभार उनके द्वारा इस पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तारीख से 31.12.2020 तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया है।
- (चार) का.आ. 349 (अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 479 (अ) जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जैव संसाधन एवं स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रीजनरेटिव मेडिसिन, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत इम्यूनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (34) उपर्युक्त (33) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (36) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत इम्यूनोलॉजीकल्स एण्ड बायोलॉजीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (10) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अंतर्गत चलचित्र (प्रमाणन) संशोधन नियम,

2020 जो 24 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 582(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (ग) केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) भारतीय केंद्रीय औषध परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय केंद्रीय औषध परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2020 जो 20 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 4-90/2018-पीजी विनियमन (आयुर्वेद) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भेषज महाविद्यालयों में रैगिंग की दुष्प्रवृत्ति की रोकथाम के बारे में भेषज में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भेषज परिषद (संशोधन) विनियम, 2019 जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-1/2017-पीसीआई (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नाम निर्देशन का तरीका, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नाम निर्देशन का तरीका, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 772(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सक (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता) संशोधन विनियम, 2020 जो 23 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 7-3/2003-सीसीएच (भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिक्रमण में शासी मंडल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय भेषज परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) नौवां विनियम, 2020, जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/प्रसंस्करण इमदाद/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषक आहार) विनियम, 2020, जो 10 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/03/ अधिसूचना (आईएफआर) / एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020, जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.1-94/ एफएसएसएआई / एसपी (लेबलिंग) /2014 (भाग-2) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादों का सुदृढीकरण) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी/सुदृढीकरण संशोधन(1)/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/

एसपी(एलएण्डसी/ए)/तेल दावे/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 01/प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण/आरईजी/2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) तीसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 26 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ओएण्डएफ/ अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी/ (संदूषक)/अधिसूचना-1/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) छठा संशोधन विनियम, 2020, जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एमएण्डएमपी/अधिसूचना(04)/एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/सीपीएलएण्डसीपी/अधिसूचना/01/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 11023/24/2017-क्यू में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/योज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवां संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफएसएसएआई(पी+1) में प्रकाशित हुए थे।
- (पन्द्रह) खाद्य सुरक्षा और मानक (मद्ययुक्त पेय) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी (जल और पेय)/अधिसूचना(1)/ एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) दूसरा संशोधन विनियम, 2021,

जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/ओएण्डएफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।

- (सत्रह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2020, जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एमएण्डएमपीआईपी(3)/एसपी/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 27 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-110/एसपी (जैवकीय खतरे वाले पदार्थ)/संशोधन-1/एफएसएसएआई/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) आठवां संशोधन विनियम, 2020, जो 13 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1/अतिरिक्त योजक-तीन/एसटीडीएस/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ और संतुलित आहार) विनियम, 2020, जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 15(1)/2016/स्कूली बच्चे विनियम/ईएनएल/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी-18/मीनू लेबलिंग/एफएसएसएआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (बाईस) खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिषेध) पहला संशोधन विनियम, 2021, जो 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आरईजी/एसटीडीएस-खेसारी दाल/एफएसएसएआई-2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2020, जो 21 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-1275/एफएसएसएआई/आयात/2015 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारबार का संचलन तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2021, जो 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-63/एफएसएसएआई/ कारबार एससी और एसपी/आरईजी/2020 में प्रकाशित हुए थे।
- (33) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) प्रसाधन सामग्री नियम, 2020, जो 15 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2021, जो 26 फरवरी 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 140(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (34) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड) संशोधन नियम, 2021, जो 18 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 120(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियम, 2021, जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. वी.15011/09/2019-पीएच-एक में प्रकाशित हुए थे।
- (35) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा(3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2020, जो 13 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन नियम, 2020, जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2020, जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 897(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 1888(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 1889(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में केरल के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।

- (चार) का.आ. 2867(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में जम्मू और कश्मीर चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 3260(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 3261(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चार स्वायत्तशासी बोर्डों के गठन के बारे में है।
- (सात) का.आ. 3262(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के उपबंधों को प्रभावी करने के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 4302(अ) और 4303(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और चिकित्सा परामर्शी परिषद में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 4775(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चिकित्सा परामर्शी परिषद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन के बारे में है।
- (दस) वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं विनियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएमसी/एमसीआई 35(1)98-चिकित्सा(2)123627 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) चिकित्सा कॉलेज की स्थापना विनियम (संशोधन), 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एनएमसी/एमसीआई 34(41)/2020-चिकित्सा/123626 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जी.बी.पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (3) (एक) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2019, जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2019, जो 24 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2019, जो 26 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 952(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2018, जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1241(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2018, जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1095(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020, जो 22 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 27 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.742(अ) में प्रकाशित एक तत्संबंधी शुद्धिपत्र।

- (आठ) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 18 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 263 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2018, जो 29 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश, 2020 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 4014(अ) जो 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनसीआर और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के गठन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 751(अ) जो 18 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि.4014(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री देबाश्री चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय की सूचना दी कि राज्य सभा ने 18 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखा गया

बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021

6. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'सरकारी व्यय के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए हाल में किए गए बजटीय सुधार' विषय के संबंध में प्राक्कलन समिति (2020-21) का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

- (1) 'राष्ट्रीय सौर मिशन - एक मूल्यांकन' के संबंध में अट्ठाईसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।
- (2) 'विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' के संबंध में सैंतीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।
- (3) 'दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान के लिए आरबीआई की संशोधित रूपरेखा का विद्युत क्षेत्र में एनपीए पर प्रभाव' के संबंध में चालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (4) 'गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी आस्तियां' के संबंध में बयालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (5) 'जल विद्युत' के संबंध में तैंतालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।
- (6) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के संबंध में पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।
- (7) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

- (8) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।
- (9) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।
- (10) '175 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना' विषय संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

8. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अजय मिश्र टेनी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में 9वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) के संबंध में 10वां प्रतिवेदन।
- (3) 'आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि- कारण और प्रभाव' विषय के संबंध में 11वां प्रतिवेदन।
- (4) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण- तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना का कार्यान्वयन' विषय के संबंध में 12वां प्रतिवेदन।

9. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण

डॉ. संजय जायसवाल ने जल शक्ति मंत्रालय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के “जल संरक्षण के स्वदेशी तथा आधुनिक रूप - तकनीकें और पद्धतियाँ” के संबंध में 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

10. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. भारती प्रवीण पवार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 के संबंध में 129वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) ने श्री गौतम गंभीर, संसद सदस्य द्वारा (एक) 'केबल डिजिटाइजेशन' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4356 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के 13.12.2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 328वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.06 बजे

12. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 22 मार्च, 2021 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.08 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, श्रीमती गोड्डेति माधवी ने उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए अनुसार, नियम 377 के अधीन अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय की मंजूरी के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.08 बजे

14. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन - सभा सहमत हुई

#गर्भ का चिकित्सिकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020

डॉ हर्ष वर्धन ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, लोक सभा द्वारा यथापारित, में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों, पर विचार किया जाए:-

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति पर 1 "इकहतरवें" शब्द के स्थान पर "बहतरवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति पर अंक 4 "2020" के स्थान पर अंक "2021" प्रतिस्थापित किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. हर्ष वर्धन ने विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

[#] विधेयक लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 2020 को पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 16 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया तथा उसे उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

अपराहन 12.10 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021

लिया गया समय: 3 घंटे 26 मिनट

श्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री विनसेंट एच. पाला
2. श्री सुनील कुमार सिंह
3. श्री एन. रेड्डप्प
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री राम शिरोमणि वर्मा
7. श्री नामा नागेश्वर राव
8. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
10. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
11. श्री सुनील कुमार पिंटू
12. श्री अरुण साव
13. प्रो. सौगत राय
14. डॉ. भारती प्रवीण पवार
15. श्री हनुमान बेनीवाल
16. श्री विश्वेश्वर तुडु
17. श्री भगवंत मान
18. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
19. श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
20. श्री रितेश पाण्डेय
21. श्री संजय सेठ

श्री प्रहलाद जोशी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 18 स्वीकृत हुए।

खंड 19, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 20 और 21 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक, यथासंशोधित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराहन 3.36 बजे

16. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

लिया गया समय: 2 घंटे 07 मिनट

श्री थावर चन्द गहलोत ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गुरजीत सिंह औजला
2. श्रीमती सुनीता दुग्गल
3. श्रीमती गोड्डेति माधवी
4. श्री राहुल रमेश शेवाले
5. श्री विजय कुमार
6. श्री गिरीश चन्द्र
7. श्री रामुलु पोथुगन्ती
8. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
9. डॉ. उमेश जी. जाधव
10. डॉ. अमर सिंह
11. श्री वीरेन्द्र कुमार
12. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
13. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी

श्री थावर चन्द गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री थावर चन्द गहलोत ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.44 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प - विचाराधीन

श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 20 मार्च, 2020 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:-

"यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए-

- (1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;
- (2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;
- (3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाए;
- (4) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था की उपलब्धता सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनका उन्नयन करना; और
- (5) देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"

श्री जगदम्बिका पाल ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।
चर्चा समाप्त नहीं हुई।

#सायं 7.32 बजे

(लोक सभा सोमवार, 22 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

सायं 6.01 बजे से सायं 7.32 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

संख्या 111

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री मोहनभाई पटेल, सदस्य, सातवीं और आठवीं लोक सभा; तथा दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, सदस्य, तेरहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361-365 के मौखिक उत्तर दिये गये। सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न संख्या 366 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 366 के संबंध में सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए थे। तारांकित प्रश्न संख्या 367-380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141-4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक') की ओर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए अर्हताओं, वेतनमान, सेवा शर्तों, करियर उन्नयन योजनाओं (सीएसएस)/पदोन्नतियों आदि के संबंध में सातवें सीपीसी में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण], 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.61-3/आरआईएफडी/सातवां सीपीसी/2016-17 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए अर्हताओं, वेतनमान, सेवा शर्तों, करियर उन्नयन योजनाओं (सीएसएस)/पदोन्नतियों आदि के संबंध में सातवें सीपीसी में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण], 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.27-4/एआईसीटीई/आरआईएफडी/वेतनमान/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) की ओर से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संघ की अधिसूचना की प्रक्रिया) नियम, 2021, जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.102(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
 - (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता जापन।
- (4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी की परिवहन दर और सीएनजी की परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/1-सीजीडी टैरिफ(1)/2015(पी-2750) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/ऑथ/1-सीजीडी टैरिफ(16)/2020(पी-2748) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) विनियम, 2020 जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/टेक/7-टी4एसपीआई(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, 2019 में जिनेवा में आयोजित अपने 108वें सत्र में हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित अंगीकृत आईएलओ अभिसमय सं. 190 और सिफारिश सं. 206 के बारे में विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कुमाराकरूप्या फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कुमाराकरूप्या फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) गेडन रेबगेलिंग मोनेस्टिक स्कूल, बोंमडिला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गेडन रेबगेलिंग मोनेस्टिक स्कूल, बोंमडिला के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) मास्टर ऑफ फार्मसी (एम.फार्मा) पाठ्यक्रम (संशोधन) विनियम, 2020, जो 12 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-136/2019-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे।
 (दो) फार्मा.डी. (संशोधन) विनियम, 2019, जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-126/2019-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1007(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1008(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत

के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1009(अ) में प्रकाशित हुई थी।

- (चार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1010(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (पांच) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1011(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (33) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.1-1/2020 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एसीडी/7वां सीपीसी/सीएस/2019-20/06 जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार इग्नू में लाइब्रेरियन सहित शिक्षकों की वृत्तिक उन्नति योजना तथा अकादमिकों की व्यवसायिक उन्नति योजना संबंधी अध्यादेश के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अधिसूचना संख्या सीयूके/एसटीएटी/संशोधन/12, जो 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कोर्ट के गठन संबंधी केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि 10 में संशोधन के बारे में है।
- (दो) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2019 जो 20 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीयूजे/संविधि/1/2010 में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए), 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या./2361 में प्रकाशित हुई थी।
- (चार) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2019 की पहली संविधि जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या डीएचएसजीयू/20/संविधि/7/414 में प्रकाशित हुई थी।
- (पांच) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां (डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए), 2019 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या डीएचएसजीयू/20/संविधि/7/415 में प्रकाशित हुई थी।

- (36) वास्तुकार अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तु कलात्मक शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीए/193/2020/एमएसएई (विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थानों के लिए स्वीकृतियां देना) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या एबी/एआईसीटीई/आरईजी/2020 (पहला संशोधन, 2021) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखे:-
- (1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी.069 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) संशोधन विनियम, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.संख्या आर-40007/6/विनि.-बैठक/अधि./2021-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2021 जो 2 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.147(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कंपनी (बोर्ड की बैठक तथा इसकी शक्तियां) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2020 जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.589(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण और आवंटन) संशोधन नियम, 2020 जो 16 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.642(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पांचवां संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.774(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) कंपनी (सुलह, प्रबंध और समामेलन) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.773(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.794(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.795(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) चौथा संशोधन नियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.806(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (नौ) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2021 जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.44(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.91(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) कंपनी (परिभाषा विवरणों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.92(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) कंपनी (सुलह, प्रबंध और समामेलन) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.93(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) उत्पादक कंपनी नियम, 2021 जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.112(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2021 जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.113(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पन्द्रह) कंपनी (परिभाषा विवरणों के विनिर्देश) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.123(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) 2020 का परिपत्र संख्या 9 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है।
- (दो) 2020 का परिपत्र संख्या 18 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है।
- (तीन) 2020 का परिपत्र संख्या 21 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है।

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.574(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) चेहराविहीन अपील योजना, 2020 जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3296(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ.3297(अ) जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा चेहराविहीन अपील योजना, 2020 को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.664(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) चेहराविहीन शास्ति योजना, 2021 जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.117(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.118(अ) जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा चेहराविहीन अपील योजना, 2020 को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ण के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम की धारा 194-ण (4) और धारा 206ग (1-1) के अधीन दिशानिर्देशों वाले 29 सितम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) 21 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 05/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ.446(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ.489(अ) जो 2 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) 4 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 14/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को

विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) का.आ.562(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.675(अ) जो 15 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) 18 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 18/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि.103(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.116(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 57/2000- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.117(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि.124(अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों की सिफारिशों के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करने की तारीख, जो कि 29 जुलाई, 2020, से 5 वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एनिलाईन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि.137(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 14.06.2017 की अधिसूचना संख्या 29/2017-सी.शु. (एडीडी) को संशोधित करना है

जिससे कि अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण युक्त पालिश की हई अथवा बिना पालिश की तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोरसेलेन/विट्रीफाइड टाइलों" पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.138(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 मार्च, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.150(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुसरण में यूरोपीय संघ और सिंगापुर से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फिनाँल पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 7 जून, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.153(अ) जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या एफ.सं.6/6/2020-डीजीटीआर द्वारा अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिपाटन शुल्क के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पाउडर फॉर्म में ब्लैक टोनर' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.160(अ) जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं.13/2020-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा, 10 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2021 को आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सात सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:-

1. श्री राजीव चन्द्रशेखर
2. श्री शक्तिसिंह गोहिल

3. श्री भुवनेश्वर कलीता
4. डॉ. सी.एम. रमेश
5. श्री सुखेन्दु शेखर राय
6. डॉ. एम. तंबिदुरे
7. श्री भूपेन्द्र यादव

(दो) कि राज्य सभा, 10 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2021 को आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:-

1. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
2. श्री अनिल देसाई
3. श्री सईद नासिर हुसैन
4. श्री ओम प्रकाश माथुर
5. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
6. श्री के.सी. राममूर्ति
7. श्री एम. शनमुगम

(तीन) कि राज्य सभा ने 10 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में 1 मई, 2021 को आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में सहयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और उक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:-

1. श्री अबीर रंजन बिस्वास
2. श्री शमशेर सिंह दुल्लो
3. श्रीमती कान्ता करदम
4. श्री नारनभाई जे. राठवा
5. श्री राम शकल
6. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी
7. श्री के. सोमप्रसाद
8. श्री प्रदीप टम्टा
9. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
10. श्री राजकुमार वर्मा

(चार) कि राज्य सभा ने 12 फरवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सभा से नौ सदस्यों को दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में सहयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और राज्य सभा के निम्नलिखित नौ सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने तथा वर्तमान सत्र के दौरान शेष एक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित किया-

1. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
2. श्री टी.के.एस. एलनगोवान
3. श्री नारायण कोरागप्पा
4. श्री जयप्रकाश निषाद
5. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
6. श्री के.के. रागेश
7. श्री बी.एल. वर्मा
8. श्रीमती छाया वर्मा
9. श्री हरनाथ सिंह यादव

6. याचिका संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने याचिका संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृतक कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारों के कल्याण के संबंध में राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा एसोसिएशन के श्री स्वपन दास और अन्य के अभ्यावेदन से संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।
- (2) इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और पूर्ण वेतन के बकाया का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में श्री ओम बिरला, संसद सदस्य, लोक सभा और श्रीमती मीनाक्षी बोरकर द्वारा अग्रेषित श्री घनश्याम बैरवा के अभ्यावेदन पर याचिका संबंधी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।
- (3) सिखरपुर स्क्वायर, कटक, ओडिशा में नए अंडरपास/फ्लाइओवर के निर्माण के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री प्रसन्न कुमार मोहंती और अन्य की याचिका के बारे में याचिका संबंधी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के चालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।
- (4) शिक्षा के मौलिक अधिकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम, 1985 के कथित उल्लंघन और तत्संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में डा. अमित कंसल के अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- (1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.02 बजे

8. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021

* अपराहन 12.03 बजे से अपराहन 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.19 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 2 घंटे 35 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
4. श्री सुनील कुमार पिंटू
5. श्री श्याम सिंह यादव
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. डॉ. एस.टी. हसन
8. श्री भीमराव बसवंतराव पाटिल
9. श्री अरविन्द गणपत सावंत
10. श्री जसबीर सिंह गिल
11. श्री गणेश सिंह
12. श्री अजय मिश्र (टेनी)
13. श्री राहुल शेवाले

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

अपराहन 2.55 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर सिटी रेल लाइन परियोजना के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 (मुम्बई-अहमदाबाद) को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 03 (मुम्बई-आगरा) से जोड़ने वाली सड़क का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास करने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं का दोहन करने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक हवाई अड्डे की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ और सूखा की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा सभी पात्र किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर में पीएनजी गैस उपलब्ध कराने संबंधी योजना को मंजूरी दिए जाने के बारे में ।
- (8) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा पटनागढ़-नौपाड़ा-धमतरी सड़क और जूनागढ़ (कालाहांडी जिला)- देवभाग-रायपर सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री मनोज कोटक द्वारा ठाणे-नवी मुंबई-मुंबई के जोड़ने वाला एक जलमार्ग विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (11) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल परियोजनाओं के लिए वन्यजीव मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कृषि निर्यात नीति 2018 के बारे में ।
- (13) श्री मुकेश राजपूत द्वारा एक पोटैटो (आलू) बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (14) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढचिरोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अपना घर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (15) डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय खेलकूद प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री जी . एस . बसवराज द्वारा कर्नाटक में कुंचीटीगा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में सम्मिलित किए जाने के बारे में ।
- (17) श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा सहकारी चीनी मिलों की लंबित देनदारियों के बारे में ।
- (18) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में ।
- (19) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विनिवेश के बारे में ।
- (20) श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा ईपीएस-1995 के अधीन पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (21) श्री अनुभव मोहंती द्वारा एसडीआरएफ पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में ।
- (22) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (23) श्री बी. बी. पाटील द्वारा तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में ऑरियंटल बीमा शाखा बंद होने के संबंध में ।
- (24) श्रीमती वीणा देवी द्वारा बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी के किनारों पर तटबंध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (25) श्री जयदेव गल्ला द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आरक्षित खानों का आवंटन किए जाने के बारे में ।
- (26) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान द्वारा यमुना नदी के आवंटित पानी का प्रयोग करने के लिए मंजूर परियोजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने के बारे में ।

अपराहन 2.55 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021

लिया गया समय: 2 घंटे 33 मिनट

श्री जी. किशन रेड्डी ने श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री चन्द्र शेखर बेल्लाना
4. श्री विनायर भाऊराव राऊत
5. कुंवर दानिश अली
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. डॉ. एस.टी. हसन
8. श्री ब्रिजेन्द्र सिंह
9. श्री हसनैन मसूदी
10. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
11. श्री भगवंत मान
12. श्री जसबीर सिंह गिल

श्री जी. किशन रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी. किशन रेड्डी ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.19 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021

लिया गया समय: 1 घंटा 20 मिनट

श्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
2. श्री राम शिरोमणि वर्मा
3. श्री राजीव प्रताप रूडी
4. श्री मगुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री अरविन्द गणपत सावंत
8. श्री जसबीर सिंह गिल

श्री मनसुख मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 52 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मनसुख मांडविया ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

#सायं 7.35 बजे

13. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में एक गरीब रोगी के लिए कथित रूप से बढ़ाए गए चिकित्सा बिल के बारे में निवेदन किया।

सायं 6.50 बजे से रात्रि 8.50 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, डॉ. संजय जायसवाल, श्री कुलदीप राई शर्मा और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल सहयोजित हुए।

*श्री अर्जुन राम मेघवाल ने उत्तर दिया।

रात्रि 8.50 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री।

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 मार्च, 2021/2 चैत्र, 1943 (शक)

संख्या 112

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्षपीठ द्वारा उल्लेख

अध्यक्षपीठ ने सभा की ओर से भारत माता के महान सपूतों शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु, जो 23 मार्च, 1931 को शहीद हुए थे, को श्रद्धांजलि दी ।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381, 382 और 385 से 386 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 383 और 384 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 383 और 384 के संबंध में सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए थे। तारांकित प्रश्न संख्या 387 से 400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, राय बरेली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) एस.के.आर.प्यूपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकासम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एस.के.आर.प्यूपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकासम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) अनम्मा स्कूल फॉर फिजीकली हैंडीकैप्ड एण्ड बेबी केयर सेंटर, इब्राहिमपट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अनम्मा स्कूल फॉर फिजीकली हैंडीकैप्ड एण्ड बेबी केयर सेंटर, इब्राहिमपट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) चैतन्य इंस्टीट्यूट सेंटर, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) चैतन्य इंस्टीट्यूट सेंटर, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) संजोस वेलफेयर सेंटर केरल, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) संजोस वेलफेयर सेंटर केरल, कोट्टायम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भैरबी क्लब, खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भैरबी क्लब, खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च, भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) काबी नरसिंह मठ ब्लाइंड, डीफ एण्ड एम.आर.स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) काबी नरसिंह मठ ब्लाइंड, डीफ एण्ड एम.आर.स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) दुर्गाबाई देशमुख महिला सभा (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दुर्गाबाई देशमुख महिला सभा (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) वेगेष्णा फाउंडेशन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेगेष्णा फाउंडेशन, रंगा रेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) महिला और बाल कल्याण केंद्र, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महिला और बाल कल्याण केंद्र, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, मणिपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, मणिपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) पंजाब एगो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) पंजाब एगो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) ओडिशा एगो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ओडिशा एगो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 23 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.882(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2021 जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.884(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) का.आ. 885(अ) जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इन इंडिया द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले नैनो यूरिया (द्रवित) उर्वरक के संबंध में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, विनिर्दिष्टताओं को अधिसूचित करता है।
- (5) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.681(अ) जो 16 फरवरी, 2021 को प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.4243(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सहायक कमान्डेंट (तकनीकी) भर्ती नियम, 2020 जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.620(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, लेवल 4 और लेवल 3 (तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2020 जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.621(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, लेवल 7 और लेवल 6 (तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2020 जो 9 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.622(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 183/आरपीसीएयू पूसा, जो 29 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा और अन्य अर्हता के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा, 22 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि राज्य सभा, 22 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

- (1) “आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गए)” के बारे में 39वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

- (2) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)" के बारे में 40वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) "13वीं लोक सभा के लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 41वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) "14वीं लोक सभा के लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 42वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (5) "नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 43वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (6) "विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 44वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री वल्लभनेनी बालाशौरी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

- (1) सीमा शुल्क दलाल लाइसेंसिंग विनियम, 2018 (2018 का सा.का.नि. 451-अ) संबंधी 8वां प्रतिवेदन।
- (2) सी कार्गो मैनीफेस्ट एंड ट्रांस-शिपमेंट रेगुलेशंस, 2018 (2018 का सा.का.नि. 448-अ) संबंधी 9वां प्रतिवेदन।
- (3) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रूम एयर कंडीशनरों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017; और (दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्वतः धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017 को रखे जाने में विलंब संबंधी 10वां प्रतिवेदन।
- (4) खनिज (गैर-अनन्य आवीक्षण अनुज्ञा) नियम, 2015 (2015 का सा.का.नि. 516-अ) संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

*अपराह्न 12.02 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

* अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.04 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (1) श्री नितेश गंगा देव द्वारा सम्बलपुर रोड रेलवे स्टेशन बंद होने के बारे में।
- (2) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
- (3) श्री विश्वेश्वर टुडु द्वारा प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में।
- (4) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा गंगा नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में।
- (5) कुमारी शोभा कारानन्दलाजे द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबित कार्यों को पूरा किए जाने के बारे में।
- (6) डॉ.(प्रो.) किरिट पी. सोलंकी द्वारा भारत में मनोचिकित्सकों की उपलब्धता के बारे में।
- (7) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जैनसारी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान में रेल सम्पर्क के बारे में।
- (9) श्री भोला सिंह द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी के वेतन निर्धारण के बारे में।
- (10) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ की नदियों में कथित अवैध बालू खनन के बारे में।
- (11) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग से संबंधित नए नियमों व कानूनों की समीक्षा के बारे में।
- (12) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा जैविक स्रोतों से उत्पादित वस्त्रों के प्रमाणीकरण के बारे में।
- (13) श्री राजबहादुर सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में रायपुर से धमतरी और राजीम के बीच रेल लाइनों को ब्रॉड गेज (बड़ी लाइन) में बदलने का कार्य तेज करने के बारे में।
- (15) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा निवेशकों को हो रही समस्याओं के बारे में।
- (16) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केरोसिन के कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री रवनीत सिंह द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में।
- (18) डॉ. बी.वी. सत्यवती द्वारा पीआरएएसएडी (प्रसाद) योजना के अंतर्गत धनराशि को जारी किए जाने के बारे में।
- (19) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के उल्हास नगर में ईएसआईसी अस्पताल के नए भवन के विनिर्माण के बारे में।
- (20) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी द्वारा बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-81 के एक खंड के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा पारादीप-हैदराबाद पाइप लाइन परियोजना के बारे में।
- (22) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) डॉ. जी. रणजीत रेड्डी द्वारा तेलंगाना को विशेष अनुदान जारी किए जाने के बारे में।

अपराह्न 12.04 बजे

9. सरकारी विधेयक – पारित

वित्त विधेयक, 2021

लिया गया समय: 6 घंटे 08 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. अमर सिंह
2. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
3. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. श्री सुनील कुमार पिन्टू
6. श्री रितेश पाण्डेय
7. श्री नामा नागेश्वर राव
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
10. श्री हसनैन मसूदी
11. श्रीमती परनीत कौर
12. श्री वीरेन्द्र सिंह
13. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
14. श्री सुधीर गुप्ता
15. श्री किंजारापु राम मोहन नायडू
16. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
17. श्रीमती नवनिता रवि राणा
18. श्री भोला सिंह
19. श्री राहुल रमेश शेवाले
20. डॉ. आलोक कुमार सुमन
21. श्री अनिल फिरोजिया
22. कुँवर दानिश अली
23. श्री हनुमान बेनीवाल
24. श्री पिनाकी मिश्रा
25. श्री सुमेधानन्द सरस्वती

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 4क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 8 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 8क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 9 और 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 16, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 17, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 18 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 18क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 18क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 19 और 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 22 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 27, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 46 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 29क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 29क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 30, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 31, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 53 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 31क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 31क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 32, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 33 और 34 स्वीकृत हुए।

खंड 35, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 36, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 37 स्वीकृत हुआ।

खंड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 39 और 40 स्वीकृत हुए।

खंड 41, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 42 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 63 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 42क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 42क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 43 से 53 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 64 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 53क और 53ख के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 53क और 53ख भी स्वीकृत हुए।

खंड 54 से 70 स्वीकृत हुए।

खंड 71, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 72 से 78 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 67 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 78क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 78क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 79 से 113 स्वीकृत हुए।

खंड 114 और 115 स्वीकृत हुए।

खंड 116 स्वीकृत हुआ।

खंड 117, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 118 और 119 स्वीकृत हुए।

खंड 120, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 121, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 122, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 123, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 124, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 125 और 126 स्वीकृत हुए।

खंड 127, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 128 से 132 स्वीकृत हुए।

खंड 133, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 134 स्वीकृत हुआ।

खंड 135, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 136 से 141 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 122 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 141क और 141ख के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नए खंड 141क और 141ख भी स्वीकृत हुए।

खंड 142 से 151 स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 123 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 151क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 151क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 152 से 158 स्वीकृत हुए।

खंड 159, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 160 स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो,

उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 126 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 161 के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 161 भी स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, और चौथी अनुसूची, स्वीकृत हुईं।

पाँचवी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

छठी अनुसूची स्वीकृत हुई।

सातवी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक, यथासंशोधित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ ने विधेयक में जोड़े गए कतिपय नए खंडों के बारे में एक टिप्पणी[%] की।

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सायं 6.12 बजे

10.सरकारी विधेयक – पारित

राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021

लिया गया समय: 2 घंटे 42 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जसबीर सिंह गिल
2. श्री जयंत सिन्हा
3. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
4. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
5. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
6. श्री चन्द्र शेखर साहू
7. श्रीमती संगीता आजाद
8. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री शिवशंकर चनाबसप्पा उदासी
11. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
12. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
13. श्रीमती सुनीता दुग्गल
14. डॉ. अमर सिंह
15. श्री रवि किशन शुक्ला
16. श्री हनुमान बेनीवाल
17. श्री राहुल कस्वां

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 48 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.54 बजे

(लोक सभा बुधवार, 24 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

संख्या 113

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401, 402 (407 और 417 के साथ युग्मित), 403, 404, 405, 409 और 410 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 406 और 408 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर सभा पटल पर रखे। तारांकित प्रश्न संख्या 408 के संबंध में सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 411 से 416 और 418 से 420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 से 4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.05 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री पीयूष गोयल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (तीन) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (चार) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (पांच) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (छह) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (सात) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (आठ) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 66 की उप-धारा (2) के अंतर्गत छावनी बोर्ड लेखा नियम, 2020 जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) केंद्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2020 जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) मंत्रियों द्वारा चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

चौदहवीं लोक सभा

1. विवरण सं. 35	तीसरा सत्र, 2004
पंद्रहवीं लोक सभा	
2. विवरण सं. 40	दूसरा सत्र, 2009
3. विवरण सं. 34	चौथा सत्र, 2010
4. विवरण सं. 35	आठवां सत्र, 2011
5. विवरण सं. 32	नौवां सत्र, 2011
6. विवरण सं. 31	दसवां सत्र, 2012
7. विवरण सं. 27	बारहवां सत्र, 2012
8. विवरण सं. 28	तेरहवां सत्र, 2013
9. विवरण सं. 23	चौदहवां सत्र, 2013
10. विवरण सं. 24	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

11. विवरण सं. 23	दूसरा सत्र, 2014
12. विवरण सं. 23	तीसरा सत्र, 2014
13. विवरण सं. 22	चौथा सत्र, 2015
14. विवरण सं. 19	पांचवां सत्र, 2015
15. विवरण सं. 19	छठा सत्र, 2015
16. विवरण सं. 17	सातवां सत्र, 2016
17. विवरण सं. 17	आठवां सत्र, 2016
18. विवरण सं. 16	नौवां सत्र, 2016
19. विवरण सं. 14	दसवां सत्र, 2016
20. विवरण सं. 14	ग्यारहवां सत्र, 2017
21. विवरण सं. 12	बारहवां सत्र, 2017
22. विवरण सं. 11	तेरहवां सत्र, 2017-18

23. विवरण सं. 10	चौदहवां सत्र, 2018
24. विवरण सं. 9	पंद्रहवां सत्र, 2018
25. विवरण सं. 7	सोलहवां सत्र, 2018-19
26. विवरण सं. 6	सत्रहवां सत्र, 2019
सत्रहवीं लोक सभा	
27. विवरण सं. 5	पहला सत्र, 2019
28. विवरण सं. 4	दूसरा सत्र, 2019
29. विवरण सं. 3	तीसरा सत्र, 2020
30. विवरण सं. 2	चौथा सत्र, 2020

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- जम्मू-कश्मीर सरकार (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 2) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए- राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों पर जम्मू-कश्मीर सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 1)।
- (तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 16) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर) - मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के मूल्यांकन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 और मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 1) (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर), राजस्व विभाग।
- (पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 17) (राजस्व विभाग-सीमाशुल्क) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।
- (छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (सिविल)(2021 का प्रतिवेदन संख्यांक 2)-अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2018-2019 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त लेखा (खंड-एक)।

(दो) वर्ष 2018-2019 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त लेखा (खंड-दो)।

(तीन) वर्ष 2018-2019 के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के विनियोग लेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) सेंट्रीफ्यूगली कास्ट (स्पन) आयर्न पाइप्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 116(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (2) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 12 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1045(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (3) घरेलू प्रेशर कूकर (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2019(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (4) ट्रांसपेरेंट फ्लोट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2016(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (5) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2018(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (6) खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 11 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4514(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (7) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 18 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3190(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (8) खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 15 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3146(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (9) फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2017(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (10) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 902(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (11) एयरकंडीशनर और इससे संबंधित कलपुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 22 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4671(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (12) प्लग्स और सॉकेट-आउटलेट्स तथा सक्रिय ऊर्जा के लिए अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट कनेक्टेड स्टैटिक प्रीपेमेंट मीटर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1517(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (13) एयरकंडीशनर और इससे संबंधित कलपुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1518(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (14) बटरफ्लाई वाल्व्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 17 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1920(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (15) बाईसिकल्स-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2290(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (16) तन्य आयरन शोट्स और ग्रिट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2767(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (17) प्रेस टूल-पंचेज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 4 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3994(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (18) प्रशीतन उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 10 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4489(अ) में प्रकाशित हुआ था।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा को 17 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 18 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग विधेयक, 2021 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को 18 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021, के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को 18 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा को 18 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021, के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(छह) कि राज्य सभा को 18 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021, के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

सुश्री प्रतिमा भौमिक ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित दो प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)' के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन।
- (2) न्यू इंडिया एश्यरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल) से संबंधित 'अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग और उचित जोखिम निर्धारण की कमी के कारण हानि' के संबंध में 2019 के प्रतिवेदन संख्या 13 (अनुपालन लेखापरीक्षा) का पैरा सं. 3.2 के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का नौवां प्रतिवेदन।

7. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों को युक्तिसंगत बनाना' विषय पर 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में प्राक्कलन समिति (2020-21) का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. प्राक्कलन समिति के विवरण

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई कार्रवाई दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' विषय के बारे में चौतीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'प्रोजेक्ट ऐरो का कार्य-निष्पादन' विषय के बारे में सत्ताईसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालयों से संबंधित 'पर्यटन का विकास' विषय के बारे में पैंतीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय [अब जल शक्ति मंत्रालय(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)] से संबंधित 'गंगा संरक्षण' विषय के बारे में पंद्रहवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

अपराहन 12.10 बजे

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

***अपराहन 12.10 बजे**

10. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

* अपराहन 12.12 बजे से अपराहन 12.14 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 12.14 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील ने डिम्भेध-मानिकदोह जल सुरंग को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने के बारे में।
- (2) श्रीमती केशरी देवी पटेल ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली और प्रयागराज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री कनकमल कटारा ने राजस्थान के डुंगरपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में विकास से संबंधित मुद्दों के बारे में।
- (4) श्रीमती गीताबेन राठवा ने गुजरात के छोटा उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल यातायात की सुविधा में वृद्धि किए जाने के बारे में।
- (5) डॉ. भारती प्रवीण पवार ने गोदावरी नदी की सफाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री देवसिंह जेसिंगभाई चौहान ने नाडियाड रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद-केवडिया जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने के बारे में ।
- (7) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने खरवार-भोगता समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री सुदर्शन भगत ने झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गाय की तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बारे में ।
- (9) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 को अद्यतन किए जाने के बारे में।
- (10) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने गुजरात में पालनपुर और द्वारिका के बीच एक सीधी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री मनसुखभाई डी. वसावा ने गुजरात में राजपिपला-केवडिया रेल लाइन बिछाए जाने के बारे में।
- (12) श्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मगरा-मेड़वारा क्षेत्र के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) श्री बिद्युत बरन महतो ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू ने आंध्रप्रदेश के हिंदू मंदिरों में बर्बरता की घटनाओं के बारे में।
- (15) श्री प्रतापराव जाधव ने जिगांव बांध परियोजना के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री महाबली सिंह ने टोल प्लाजाओं से वाहनों के निर्बाध आवागमन के बारे में।

अपराहन 12.15 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2021, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय : 2 घंटे 51 मिनट

डॉ. हर्ष वर्धन ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
2. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
5. डॉ. आलोक कुमार सुमन
6. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
7. श्री रितेश पाण्डेय
8. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
9. श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद
10. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
11. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
12. डॉ. मनोज राजोरिया
13. श्री हसनैन मसूदी
14. श्रीमती नवनित रवि राणा
15. श्री हनुमान बेनीवाल
16. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

डॉ. हर्ष वर्धन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 70 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. हर्ष वर्धन ने विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

अपराहन 3.07 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

लिया गया समय : 3 घंटे 58 मिनट

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती परनीत कौर
2. श्रीमती अपराजिता सारंगी
3. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
4. श्री अरविंद गणपत सावंत
5. श्री चन्देश्वर प्रसाद
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्री मलूक नागर
8. श्री श्रीनिवास रेड्डी मन्ने
9. श्री हसनैन मसूदी
10. श्री जसबीर सिंह गिल
11. डॉ. वीरेन्द्र कुमार
12. श्री अनुभव मोहंती
13. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
14. श्री हनुमान बेनीवाल
15. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी

16. श्रीमती नवनिता रवि राणा
17. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
18. श्रीमती संगीता आजाद
19. डॉ. संघमित्रा मौर्य
20. श्री संगमलाल कडेडिन गुप्ता
21. डॉ. भारती प्रवीण पवार
22. श्रीमती जसकौर मीना
23. कुँवर दानिश अली
24. डॉ. सत्य पाल सिंह

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 से 29 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

***रात्रि 9.44 बजे**

(लोक सभा गुरुवार, 25 मार्च, 2021 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* सायं 7.05 बजे से रात्रि 9.44 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 25 मार्च, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक)

संख्या 114

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 427 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 428 से 440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14(क) के अंतर्गत मानवरहित वायुयान प्रणाली नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अंतर्गत पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा को 23 मार्च, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2021 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 24 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनमें से प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गयी:

(1) श्री संजय शामराव धोत्रे (राज्य मंत्री)	8.03.2021 से 4.04.2021
(2) जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह (राज्य मंत्री)	10.03.2021 से 8.04.2021
(3) श्री अब्दुल खालेक	11.02.2021 से 13.02.2021
	और
	8.03.2021 से 6.04.2021
(4) श्री अनंत कुमार हेगड़े	8.03.2021 से 5.04.2021
(5) श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी	4.03.2020 से 23.03.2020;
	14.09.2020 से 23.09.2020
	29.01.2021 से 13.02.2021;
	और
	8.03.2021 से 18.03.2021
(6) श्री शिशिर कुमार अधिकारी	29.01.2021 से 13.02.2021
	और
	8.03.2021 से 8.04.2021

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सामान्य रक्षा बजट, बीआरओ, आईसीजी, एमईएस, डीजीडीई, डीपीएसयू, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन और ईसीएचएस (मांग संख्या 19 और 22)' के बारे में वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) विद्युत मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज कुमार सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय बिजली नीति-एक समीक्षा' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत एक्सचेंज की भूमिका, प्रदर्शन और कार्यकरण का मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यकरण' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यकरण' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'जैविक उत्पादों का निर्यात: चुनौतियां और अवसर' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

7. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के मानसून सत्र, 2021 के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री छतर सिंह दरबार ने मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में इंटरसिटी ट्रेन (गाड़ी सं. 02529) को भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री उन्मेश बी. पाटिल ने जलगांव में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने और रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के बारे में।
- (4) श्री अशोक कुमार रावत ने उत्तर प्रदेश की मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सण्डीला तहसील में बुनाई मिल पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को भूतपूर्व सैनिकों के समान सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में।

- (6) श्रीमती माला राज्य शाह लक्ष्मी ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी-कमाद-अनियार कखल-बूढा केदार-घन्साली-म्याली-तिलवाड़ा सड़क को बारहमासी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किए जाने के बारे में।
- (7) श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान में चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं शेखावाटी क्षेत्र के लिए पेयजल और सिंचाई परियोजना का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री अनुराग शर्मा ने उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिला के विकास के बारे में।
- (9) श्री रविन्दर कुशवाहा ने दिल्ली और गोरखपुर के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी तथा लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी रेल खंड पर शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने के बारे में।
- (10) श्री अर्जुन लाल मीणा ने राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित ओगाना में लवीना विकास सेवा संस्थान द्वारा अनाथ बच्चों के लिए संचालित खुला आश्रयगृह के बारे में।
- (11) श्री धर्मवीर सिंह ने हरियाणा में रेलवे से जुड़े मुद्दों के बारे में।
- (12) श्रीमती रमा देवी ने बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चिरैया-दिपही-घोड़ासहन सड़क का शीघ्र निर्माण कराए जाने के बारे में।
- (13) श्री सुशील कुमार सिंह ने बिहार के औरंगाबाद जिले में पत्थर खनन स्थलों पर पर्यावरण संबंधी मानदण्डों के कथित उल्लंघन के बारे में।
- (14) श्री सदाशिव किसान लोखंडे ने महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे से जुड़ी समस्याओं का उचित समाधान किए जाने के बारे में।

9. अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:-

“माननीय सदस्यगण, हमें सत्र के सुचारु संचालन एवं सदस्यों की सुविधा हेतु व्यापक प्रबंध करने के लिए माननीय अध्यक्ष की प्रशंसा करते हैं। हम उनके प्रति अपना आभार भी प्रकट करते हैं। कई माननीय सदस्यों ने भी माननीय अध्यक्ष महोदय की कुशलता की कामना करते हुए अपनी संवेदनाएं अभिव्यक्त की हैं। उनकी स्थिति अब स्थिर है।

मैं, इस सभा की ओर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।”

अपराह्न 12.09 बजे

10. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्षपीठ ने सत्रहवीं लोक सभा के पाँचवे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 12.14 बजे

11. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजायी गयी।

अपराह्न 12.15 बजे

(लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव